खण्ड-161, अंक-4
गुरूवार, 17 अग्रहायण, शक संवत् 1877
(8 दिसम्बर, 1955 ई0)

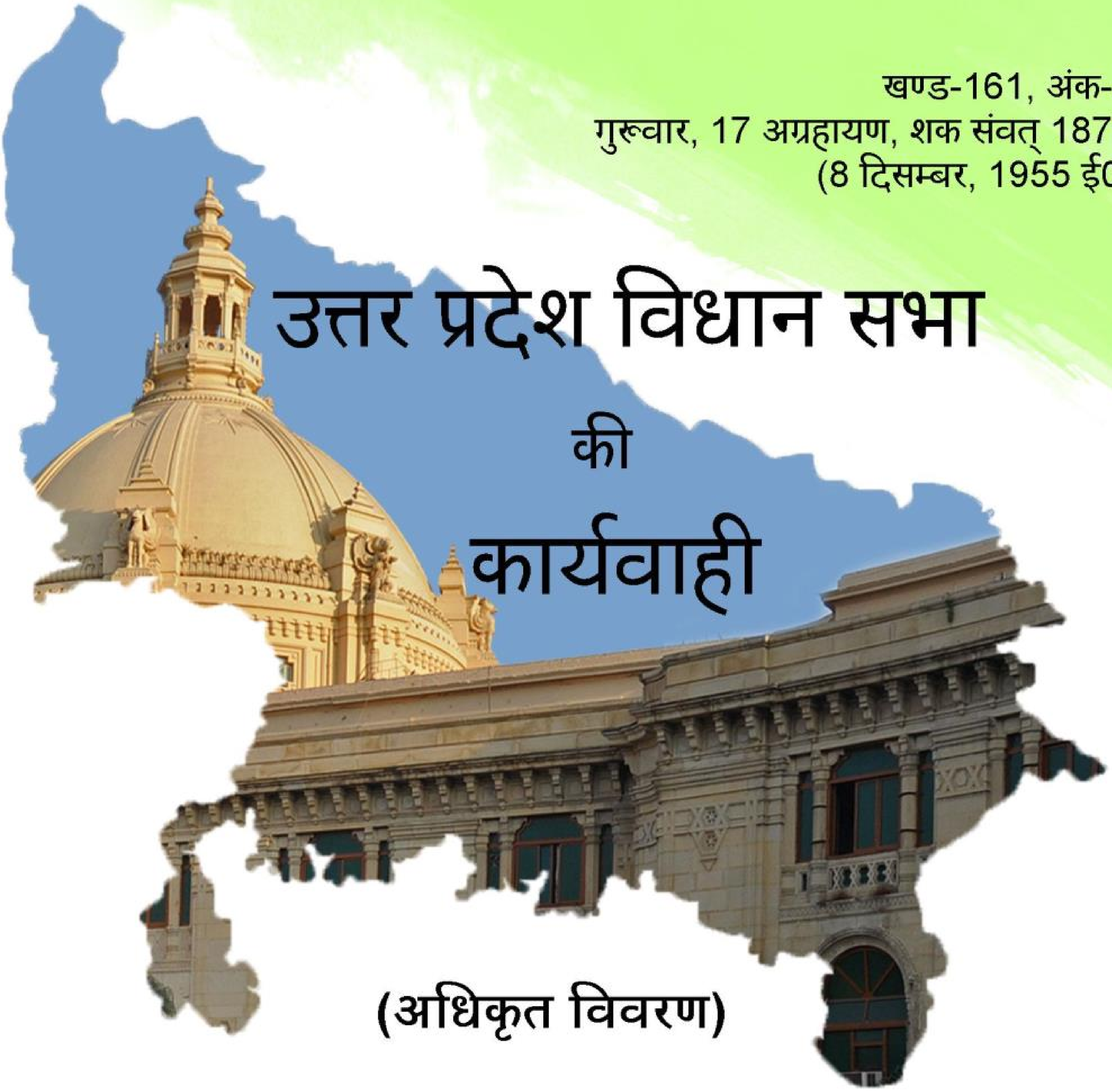

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 161 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, ८ दिसम्बर, १९५५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४०)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमालअहमद रिजवी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छन्नगुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरन टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किशन स्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाश प्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजा रमण शुक्ल, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री

चिरंजी लाल जाटव, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दासाराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन विहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचन राम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनी सिंह, श्री

बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मंगला प्रसाद, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, मिश्र
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री

लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लाल बहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीधर धनगर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजय शंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
विष्णु शरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगन चन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखपाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ८ दिसम्बर, १९५५

[२४ नवम्बर, १९५५ के स्थगित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को बिजली कर की अदायगी

*१—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर)—क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय रक्षा विभाग और रेल विभाग इस प्रदेश में जिन स्थानों पर बिजली का व्यापार (Business) करते हैं उस पर प्रादेशिक सरकार को विद्युत कर (Electricity Duty) देना पड़ता है ? यदि हां, तो ऐसे कुल कितने स्थान हैं ?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)—जी हां, केन्द्रीय रक्षा विभाग के ऐसे २० स्थान हैं और रेल विभाग के ९ ।

*२—श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अब तक कुल कितना बिजली का टैक्स जमा करके इन विभागों को प्रादेशिक सरकार को देना था और इन्होंने कितना अदा किया है ?

श्री मंगलाप्रसाद—अब तक इन विभागों के उपर्युक्त स्थानों से प्रादेशिक सरकार को यह सूचना नहीं मिल सकी है कि इनको कुल कितना बिजली का टैक्स जमा करके प्रादेशिक सरकार को देना था और इसकी लिखा पढ़ी केन्द्रीय सरकार से हो रही है । अब तक रक्षा विभाग से कुल ४,५८५ और रेल विभाग से २०,४४६ विद्युत कर के रूप में सरकारी कोषों में जमा हुआ है ।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय रक्षा विभाग ने राज्य सरकार को यह लिखा है कि यह टैक्स इन कंज्यूमर्स से न लेना चाहिये जिन्हें वह बिजली सप्लाई करते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उस पत्र का सारांश सुनाने की कृपा करेगी ?

श्री मंगलाप्रसाद—पत्र तो यहां नहीं है लेकिन सिर्फ रक्षा विभाग वालों ने लिख कर यह भेजा है कि उन्होंने अपने यहां ला मिनिस्ट्री में इस मसले को भेज रखा है कि कंज्यूमर्स को बिजली कर देना चाहिये या नहीं देना चाहिये और यह सवाल अभी तय नहीं हुआ है । तय होने पर आपको बताया जायगा कि क्या हुआ ?

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पत्र आया है और जिसका सारांश मंत्री जी ने बताया है कि उसमें एक कानूनी अड़चन है तो क्या उसके सिलसिले में प्रादेशिक सरकार ने अपने कानूनी सलाहकार से सलाह की है ? अगर ली है तो वह क्या है ?

श्री मंगला प्रसाद—अभी तो उसका जबाव आने की बात है । उनका जबाव आ जाय तो उसको अपने यहां के ला विभाग को भेज देंगे और जो कार्यवाही उचित होगी की जायगी ।

कौन्सिलर्स रेजीडेन्स में कमरों का किराया

*३--श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कौन्सिलर्स रेजीडेंस में कुछ कमरों का किराया २२५ रुपया साल तथा कुछ का १,४६० रु० साल है ?

श्री मंगलाप्रसाद---जी नहीं ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ कमरों का किराया ४ रुपये रोज भी है ?

श्री मंगलाप्रसाद---किसी कमरे का किराया ४ रुपये रोज इस तरह से है कि जो कमरे मेम्बरों के लिये हैं उनका किराया सालाना २२५ रुपये है लेकिन अगर वे कमरे रोजाना के हिसाब से लिये गये हैं तो उसके लिये ४ रुपया रोज किराया है ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या उन कमरों को जिनके लिये रोजाना की बात कही जाती है अगर वह वार्षिक दर पर कोई सदस्य ले तो उसका किराया २२५ रुपया है या ४ रुपया के हिसाब से उसको देना पड़ेगा ?

श्री मंगलाप्रसाद---कमरों का यह तरीका तय हो चुका है कि एक कमरे में २ सदस्य रहेंगे । जिन कमरों में दो सदस्य रहेंगे उनके लिये सालाना किराया २२५ रुपये होगा और जो माननीय सदस्य अकेले रहना चाहें क्योंकि अकेले रहने की जगह उन कमरों में नहीं है, अब भी बहुत से मेम्बर ऐसे हैं जिनके पास कमरे नहीं हैं इसलिये ऐसा रखा गया था कि जिसमें मेम्बर को स्थान मिल जाय तो उसमें थोड़ा-सा रेट बढ़ा दिया गया था जिससे जगह खाली होकर लोगों को जगह मिल जाय । अगर ऐसा नहीं करते तो बहुत से कमरों में एक एक माननीय सदस्य रहते और २२५ रुपया किराया देते ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या किसी एक सदस्य के कहने पर कमरे में अकेला रहना उसकी मर्जी पर है या वह कोई साथी अपनी मर्जी से रख सकता है या सरकार अपनी तरफ से उसमें रखती है ?

श्री मंगलाप्रसाद---अपनी मर्जी से रखने का सवाल मेम्बरों को है ही कि वह किसी साथी को अपने साथ रख लें लेकिन अगर्चे किसी कमरे में एक ही है तो उसमें कोई आदमी भेजा जा सकता है या उस सदस्य से कहा जा सकता है कि वह उस कमरे में चला जाय । आमतौर पर सदस्य यह कहते हैं कि हमारे यहां कोई आ जाय हम वहां जाने के लिये तैयार नहीं हैं । यह दिक्कत होती है । इसलिये चार रुपये की कैद लगी हुई है ।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ ऐसे मेम्बर हैं जो अकेले कमरों में रहते हैं और जिन्होंने बराबर दरख्वास्त की है कि उनको दूसरा साथी दिया जाय लेकिन उनको दूसरा साथी नहीं दिया गया तो उनसे भी ४ रुपया लिया जा रहा है ?

श्री मंगला प्रसाद---ऐसी तो मुझे कोई जानकारी नहीं है । लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य इस तरह के हैं जो चाहते हैं कि उनको साथी दिया जाय तो उनके यहां मेम्बर भेजा जा सकता है । दूसरे से कहा जा सकता है कि आप वहां पर जायें । जब तक वह दो आदमी न हो जायं तब तक वही किराया चार्ज होगा ।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो माननीय सदस्य अकेले कमरों में रह रहे हैं और किसी दूसरे सदस्य के रहने की आपत्ति नहीं कर रहे हैं बल्कि एप्लीकेशन देते हैं कि दूसरा आदमी भेज दिया जाय उनसे भी ४ रुपया क्यों लिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष---माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दे चुके हैं ।

श्री राजनारायण---क्या ऐसे सम्मानित सदस्य जो यह प्रार्थना-पत्र देते हैं कि कोई दूसरा सज्जन भेज दिया जाय और उनके पास कोई दूसरा सज्जन नहीं भेजा जाता है तो जो ४ रुपया उनसे लिया जाता है उसको कम करने की कोई सरकार योजना बनायेगी ?

श्री मंगलाप्रसाद---अभी तक तो कोई योजना नहीं बनी है लेकिन विचार किया जा सकता है ।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---क्या यह सच है कि बहुत से कमरे दो सदस्यों के नाम से एलाटेड हैं लेकिन वहां एक ही सदस्य रहते हैं ?

श्री मंगलाप्रसाद---यदि माननीय सदस्य को ऐसा मालूम है तो सही हो सकता है लेकिन मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि विधायक निवास एजवाइजरी कमेटी ने जो अभी वित्त मंत्री जी के सभापतित्व में हुई थी यह निश्चय किया है कि बड़े कमरों का किराया भी २२५ रुपया ही रक्खा जाय चाहे उनमें एक रहे अथवा दो ?

श्री मंगलाप्रसाद---मुझे मालूम नहीं है । यदि ऐसा तय हुआ है तो उस पर अवश्य ही कार्यवाही होगी ।

श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)---क्या सरकार यह बतायेगी कि ४ रुपया और २ रुपया किराया निश्चय करने का आधार क्या है ?

श्री मंगलाप्रसाद---मैं बता चुका हूं कि यह इसलिये किया गया कि आम तौर पर लोगों को कमरे मिल जायं लेकिन अब भी ३०-४० माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनको अभी तक स्थान नहीं मिला है ।

* * * *

मुरलीधर गजानन्द इन्स्टीटयूट, हाथरस के छात्रावास निर्माण की योजना

*१२---श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार ने मुरलीधर गजानन्द इंस्टीट्यूट, हाथरस के शिक्षार्थियों के रहने के लिये एक छात्रावास बनाने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो उसके लिये कहीं जमीन खरीदी गई है ?

श्री मंगलाप्रसाद---जी हां, छात्रावास इन्स्टीट्यूट की इमारत की जमीन ही में बनेगा ।

श्री हरदयाल सिंह पिपल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह छात्रावास कब तक बन कर तैयार हो जायेगा और इसमें कितने कमरे होंगे ?

श्री मंगलाप्रसाद---इसमें ५ लाख रुपये के करीब लागत लगेगी और वह उसी स्कूल के हाते में बनने वाला है । इसका बनना गालिबन ५६ के आखिर तक शुरू हो सकेगा ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस छात्रावास का प्रबंध किसके हाथ में है और सरकार उसको कितनी सहायता दे रही है ?

श्री मंगलाप्रसाद---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

आगरा जिले के पारना सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, नौगांव में गबन

*१३—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य के किसी Co-operative Bank में आर्थिक वर्ष १९५४–५५ में कोई गबन हुआ है ? यदि हां, तो कहां तथा कितने रुपये का ?

श्री मंगलाप्रसाद—जी हां, आगरा जिले के पारना सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, नौगांव में आर्थिक वर्ष १९५४–५५ में १७,८७५ रुपये का गबन हुआ है।

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो यह १७ हजार रुपये के करीब गबन हुआ है यह किस तरीके से हुआ और कितने दिनों के बीच में हुआ ?

श्री मंगलाप्रसाद—ऐसा मालूम होता है कि इस रुपये को कई सालों से धीरे-धीरे वहीं के एक अधिकारी श्री रघुनाथ प्रसाद जी ले रहे थे लेकिन जब यह मामला खुल गया तब उन्होंने कुल कर्जा अपने नाम लिख लिया। जब यह मालूम हुआ कि कार्यवाही होगी तो उसके पहले ही कि कोई कार्यवाही हो वे फरार हो गये।

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि इस सम्बन्ध में उसने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री मंगलाप्रसाद—उनके ऊपर दफा ७७–७८ की कार्यवाही की गई और उसके बाद उसकी जांच भी हो रही है, उनकी तलाश की भी कोशिश हो रही है और मामला अब पुलिस की तशखीस में है और चूंकि यह बैंक का मामला है उसकी बहुत छानबीन होती है, वह सब पूरी होने के बाद चार्जशीट दे दिया जायगा।

श्री भगवान सहाय—क्या मंत्री जी बताने की तकलीफ फर्मायेंगे कि उन ऊंचे अधिकारियों के खिलाफ जो इस बैंक के संचालन के जिम्मेदार थे कोई कार्यवाही की गई, यदि हां, तो क्या ?

श्री मंगलाप्रसाद—उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है क्योंकि अभी जांच हो रही है, अगर मालूम हुआ कि अधिकारी भी जिम्मेदार हैं तो उन पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग की ओर से यह केस पुलिस की जांच के लिए कब भेजा गया था ?

श्री मंगलाप्रसाद—इसकी इत्तला तो इस वक्त नहीं है कि किस तारीख को दिया गया लेकिन जून में वह दिया गया था।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या मंत्री जी कृपया बतावेंगे कि जिसने यह गबन किया है वह किस तारीख से फरार है ?

श्री मंगलाप्रसाद—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि यह गबन कितने दिनों से हो रहा था और सरकार को इसकी जानकारी कब हुई ?

श्री मंगलाप्रसाद—यह तो मैंने बता दिया कि यह सात आठ साल से थोड़ा-थोड़ा चल रहा था और जब उसको मालूम हुआ कि बात जाहिर हो गयी है तो उसने उस रुपये को अपने नाम लिख कर कहा कि कर्जा लिया है गोकि वह गबन बहुत दिन से चल रहा था।

* * * *

बिजलीघर देवरिया की उत्पादन शक्ति

*१६—श्री रामेश्वर लाल—क्या विद्युत मंत्री कृपाकर बतायेंगे कि देवरिया नगर का बिजलीघर कितना किलोवाट बिजली उत्पन्न करता है?

श्री मंगला प्रसाद—केवल ४०० किलोवाट।

*१७—श्री रामेश्वर लाल—क्या मंत्री महोदय कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया बिजलीघर से उत्पन्न बिजली कहां-कहां इस्तेमाल होती है?

श्री मंगलाप्रसाद—इस क्षेत्र के नलकूपों को इस बिजलीघर से शक्ति दी जाती है।

श्री रामेश्वर लाल—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इस क्षेत्र के नलकूपों पर कितने किलोवाट बिजली व्यय होती है?

श्री मंगलाप्रसाद—यह तो इस वक्त बताना मुश्किल है लेकिन वहां जितनी बिजली पैदा होती है वह ज्यादातर उसी काम में खर्च हो जाती है।

श्री रामेश्वर लाल—क्या मंत्री जी को इसकी सूचना है कि नलकूपों को जो बिजली दी जाती है उसके अतिरिक्त और भी बहुत सी बिजली बिजलीघर के पास बच जाती है?

श्री मंगलाप्रसाद—अगर बच जाती है तो उसका प्रयोग आइन्दा हो सकता है लेकिन उसकी कैपेसिटी ६०० किलोवाट की है, चूंकि वह केवल ८ घंटे डीजल इंजन की वजह से चलता है इसलिए किलोवाट्स की मात्रा कम होती है और आगे चल कर ज्यादा चलने पर बढ़ जायगी।

श्री रामेश्वर लाल—क्या मंत्री जी इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे कि जो बिजली नलकूपों को देने के बाद बच जाती है उसका उपयोग ऐसे कस्बों की काटेज इंडस्ट्रीज के लिए किया जाय?

श्री मंगला प्रसाद—अवश्य वह इस्तेमाल की जायगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार इस बिजलीघर को बढ़ाकर जो दूसरे कस्बे हैं उनको भी बिजली देने पर विचार करेगी?

श्री मंगलाप्रसाद—अभी उसमें जो वहां पर इंस्टाल्ड हैं उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है। जब उसमें डीजल इंजिन बदलकर कहीं शक्ति का इस्तेमाल होगा और तब ६ सौ किलोवाट बिजली पैदा होगी तब ज्यादा दिया जा सकेगा। अभी इसमें कोई नया पावर हाउस खोलने का खयाल नहीं है।

* * * *

रूपकुण्ड में मिले नरकंकालों विषयक जांच रिपोर्ट

*२०—श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि रूपकुंड की सरकार द्वारा कोई जांच कराई गई? यदि हां, तो क्या-क्या जानकारी इस सम्बन्ध में प्राप्त हो सकी है?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—रूपकुंड, जो जिला गढ़वाल में रिजर्व फारेस्ट के अन्तर्गत है, में जो नरकंकालों के पड़े होने की चर्चा थी विभागीय कर्मचारियों द्वारा उनकी जांच कराई गई और पता चला है कि लगभग २०० की संख्या में नर खोपड़ियां

तथा कंकाल रूपकुंड के किनारे बिखड़ी पड़ी हैं। उनमें से दो खोपड़ियां, एक बाहु मांस सहित, एक टांग तीन चप्पलें, एक लाठी, एक कंठे का दाना तथा लकड़ी के बर्तनों के दो टुकड़े लखनऊ लाये गये और उनकी जांच लखनऊ विश्वविद्यालय के ऐंथ्रोपोलौजी विभाग के प्रधान श्री डी० एन० मजूमदार तथा उनके साथियों द्वारा कराई गई जिस पर उन्होंने यह आर्जी रिपोर्ट दी कि यह मानवीय अवशेष न तो तिब्बतियों के हैं औ . न स्थानीय निवासियों के बल्कि पश्चिमी भारत में रहने वाली जातियों और विशेषकर पंजाबियों तथा सिक्खों के जैसे हैं। प्राप्त अवशेषों की आयु उन्होंने लगभग १०० वर्ष प्राचीन मानी है। सन् १८५२ में प्रिन्सेप द्वारा तिब्बत पर लिखी हुई पुस्तक के अनुसार जम्मू से सरदार जोरावर सिंह के तिब्बत में मारे जाने के बाद उनके कुछ साथी गढ़वाल स्थित नीती पास द्वारा भागे। नीती घाटी पार करने के बाद और गढ़वाल में प्रवेश करने के बाद उनका कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता है जिससे अनुमान किया जाता है कि वे इस रूपकुंड नामक स्थान में बर्फ के तूफान से सब के सब मर गये जिसकी वजह से गढ़वाल में या भारत के किसी अन्य स्थान में उनके विषय में किसी को कोई जानकारी प्राप्त न हो सकी।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस विभाग के द्वारा रूपकुंड की जांच उन्होंने कराई और उस पर कितना व्यय हुआ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह फारेस्ट डिपार्टमेंट के जरिये से कराई गई और जो विभाग के आफिसर वहां गये उनके टी० ए० वगैरह के अतिरिक्त और कोई खर्चा नहीं हुआ है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो उन्होंने कहा कि आर्जी रिपोर्ट दी तो उसकी पूर्ण जानकारी के लिये वे कुछ प्रयत्न कर रहे हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--यह तो वही विश्वविद्यालय वाले जांच कर लेंगे तो अपनी रिपोर्ट देंगे। उसके अलावा सुना गया है कि गेगर कान्टर कोई मशीन है जिससे किसी वस्तु की आयु का ठीक-ठीक पता लगाया जा सकता है अगर यह मुनासिब समझा गया तो उसको भी देखा जायगा तथा उस यंत्र द्वारा भी जांच करा ली जायगी।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या यह सही है कि आज के अखबारों में भी निकला है कि केन्द्रीय सरकार कोई एक्सपेडीशन रूपकुंड भेज रही है, वह कब तक जायगा क्या सरकार को इसके बारे में कुछ जानकारी है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मुझे तो नहीं मालूम है। पहले भी एक दफा कलकत्ता विश्वविद्यालय के ऐंथ्रापालोजी प्रोफेसर गये थे मगर वह वहां नहीं पहुंचे।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि केन्द्रीय सरकार की तरफ से कोई एक्स्पेडीशन जा रहा है उसकी कोई जानकारी सरकार को है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--मुझे तो अभी मालूम नहीं है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि रूपकुंड की जांच-पड़ताल के लिये कुछ विदेशी टूरिस्ट्स भी गये थे, यदि हां, तो कितने?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--पुराने जमाने की तो मुझे मालूम नहीं है कि कोई मिस्टर हैमिल्टन गये थे और उसके बाद तो हिन्दुस्तान के प्रेस वाले और फारेस्ट वाले गये थे।

बर्लिंगटन होटल, लखनऊ में विधायकों के रहने का किराया

*२१--श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि विधायकों के निवास के लिये बर्लिंगटन होटल में जो कमरे लिये गये हैं वे कितने हैं और उनका किराया विधायकों से कितना मिलता है तथा होटल मालिक को कितना दिया जाता है ?

श्री मंगला प्रसाद--बर्लिंगटन होटल में विधायकों के रहने के लिये सरकार ने इस समय २ बड़े तथा ६ छोटे कमरे किराये पर लिये हैं। बड़े कमरों का किराया ३०० रु० और छोटे कमरों का १५० रु० प्रतिमाह की दर से होटल मालिक को दिया जाता है। विधायकों के लिये सदन के अधिवेशन के दौरान में बड़े तथा छोटे कमरों के लिये २२५ रु० तथा १२५ रु० सालाना के दर पर किराया मुकर्रर है। जिस समय अधिवेशन नहीं होता है उस समय बड़े तथा छोटे कमरों के लिये ४ रु० तथा ढाई रुपया प्रतिदिन किराया मुकर्रर है।

श्री बसन्तलाल शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इन दो बड़े और ६ छोटे कमरों में कितने सम्मानित सदस्य रहते हैं और होटल में जो किराया लिया जाता है और जो सदस्यों से लिया जाता है इन दोनों के डिफरेंस के अनुसार सरकार को कितनी वार्षिक हानि बर्दाश्त करनी पड़ती है ?

श्री मंगलाप्रसाद--हानि बतलाना तो मुश्किल है। सदस्यों की गणना भी इस वक्त मौजूद नहीं है। आइन्दा जब सवाल किया जायगा तब बतला दिया जायगा।

श्री बसन्तलाल शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतालायेंगे कि बर्लिंगटन होटल में कमरों के लेने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

श्री मंगलाप्रसाद--चूंकि कमरे कम थे और जो कमरे ए, बी ब्लाक और पुराने निवास में हैं उनमें एक-एक सदस्य भी थे, इसलिये और कमरों के लेने की आवश्यकता पड़ी।

श्री बसन्तलाल शर्मा--क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि दारुलशफा में डबल सीटेड कमरों में एक एक सदस्य रहते हैं। अगर ये सदस्य न रक्खे जाते तो इन कमरों के लेने की आवश्यकता न होती ?

श्री मंगला प्रसाद--मेरा खयाल है कि आप बिल्कुल सही फर्माते हैं।

श्री केशवगुप्त--क्या सरकार इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि बर्लिंगटन होटल में कमरों को छोड़ दिया जायगा और रायल होटल जो सरकार का हो चुका है वही सदस्यों के लिये विधायक निवास बना दिया जायगा ?

श्री मंगला प्रसाद--जी हां।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतालायेंगे कि सरकार की एक समिति ने जो सरकार द्वारा नियुक्त की गई यह सुझाव दिया है कि रायल होटल के कमरे विधायकों को दे दिये जायं तो इस समय उनको देने में क्या कठिनाई है ?

श्री मंगला प्रसाद--मैंने पहले ही कहा कि तै कर लिया है दे दिये जायंगे लेकिन साफ करके और ठीक-ठाक करके दिये जायंगे।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि विधायकों के लिये कमरों की शिकायत को दूर करने के लिये नये क्वार्टर्स बनाने की योजना पर सरकार विचार कर रही है और उसके लिये जमीन भी ले ली गई है ?

श्री मंगला प्रसाद--विचार तो है क्योंकि बगैर उसके काम चलता नहीं लेकिन वे कब बनने वाले हैं उसका पूरा विवरण इस समय मेरे सामने नहीं है।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि विधायकों के लिये जो होटल में कमरे लिये जायंगे उनके किराये में और जो दारुलशफा में रहने वाले सदस्यों से किराया लिया जायगा इन दोनों में क्या फर्क होगा ?

श्री मंगला प्रसाद—कोई फर्क नहीं है। अभी बतलाया कि बर्लिंगटन होटल में वही चार्ज है जो आपके विधायक निवास में है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि रायल होटल के कमरे ले लेने से विधायकों के लिये कमरों की समस्या पूर्ण हो जायगी ?

श्री मंगला प्रसाद—उम्मीद है कि हो जायगी। यह भी उम्मीद है कि जो बहुत से माननीय सदस्य एक एक कमरे में रहते हैं शायद वहां दो हो जायं। तो सब मिला कर समस्या पूरी हो जायगी।

श्री राजनारायण—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो होटल के कमरे का किराया और दारुलशफा के कमरे का किराया एक ही हो रहा है इसकी बुनियाद क्या है ? किराया किन आधारों को बना कर तय किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—यह स्पष्ट नहीं हुआ ?

श्री राजनारायण—कौन से आधार हैं, या तो मकान बनाने में जो खर्चा लगा है उसको सामने रखा जाता है या जो मेम्बरों को भत्ता दिया जाता है उसके हिसाब से किराया रखा जाता है, वह कौन से आधार हैं जिन पर यह किराया निश्चित किया जाता है ?

श्री मंगला प्रसाद—आधार तो बहुत साफ है कि मेम्बरों के लिए जो भवन दारुलशफा इत्यादि में बनाये गये हैं उसमें जो किराया ले रहे हैं वह अगर उसकी कीमत के आधार पर लगाया जाय तो कहीं ज्यादा होगा। लेकिन चूंकि ज्यादातर सदस्यों से २२५ या डेढ़ सौ रुपया मिल रहा है इसलिये दूसरी जगह जब इन्तजाम किया जाता है तो वहां भी वही किराया लिया जाता है। चूंकि मेम्बरों को जगह देने का काम सरकार का है और एक नियम से देने का है इसलिए यह आधार रखा गया है कि जो सुविधा एक को एक जगह मिले वही सुविधा दूसरे को दूसरी जगह मिले।

श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मेम्बरों की संख्या को देखते हुए कमरे बहुत अल्प संख्या में हैं इसलिये तकलीफ तो सब को है लेकिन महिलाओं को ज्यादा दिक्कत है और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ?

श्री मंगला प्रसाद—जहां तक महिलाओं का सवाल है बहुत ध्यान दिया जाता है और भी ध्यान दिया जायगा। अभी तक कोई शिकायत उनकी तरफ से सिवाय इस भवन के पहले आयी भी नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी, मंत्री, उपमंत्री और सभासचिवों की भांति माननीय सदस्यों की हालत को देखते हुए इनको भी फ्री फर्निश्ड हाउस देने पर विचार करेंगे ?

श्री मंगला प्रसाद—अभी जिनका जिक्र किया गया, उपमंत्री, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी इत्यादि का उनको न फ्री हाउस मिलता है, न फर्निश्ड हाउस मिलता है। इसलिए किसी का सवाल कोई खास पैदा नहीं होता।

* * * *

उन्नाव जिले में देहाती क्षेत्रों के लिए बिजली की मांग

*४४—श्री देवदत्त मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्नाव जिले के देहाती क्षेत्र को बिजली देने का कार्य-क्रम कब तक कार्यान्वित होगा ?

श्री मंगला प्रसाद—उन्नाव जिले के देहाती क्षेत्रों में बिजली देने के विषय में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

*४५—श्री देवदत्त मिश्र—क्या इस देहाती क्षेत्र में टाउन एरिया भगवन्तनगर और पुरवा तथा बीघापुर, सुमेरपुर, घाटमपुर, बारा जैसे बड़े-बड़े गांव भी सम्मिलित होंगे ?

श्री मंगला प्रसाद—प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री महोदय को यह स्मरण है कि इस सदन में कई बार सरकार की तरफ से यह घोषणा की गयी है कि उन्नाव जिले के देहाती क्षेत्र को कैसे से बिजली दी जायगी ?

श्री मंगला प्रसाद—बहुत से कस्बों और शहरों और कुछ देहाती क्षेत्रों में बिजली देने की योजना है और वह धीरे-धीरे इसमें जहां कहीं बिजली बढ़ती जायगी इस योजना में प्रगति होती जायगी। उन्नाव जिले के लिए जो कहा गया है वह भी विचाराधीन है और जिस वक्त आपके इस इलाके में काम लगने वाला होगा इस कस्बे का भी खयाल किया जायगा।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह निर्णय कितने दिनों के अन्दर हो जायगा ?

श्री मंगला प्रसाद—अब यह पंचवर्षीय योजना के अन्दर ही सब होने वाला है इससे ज्यादा देर होने वाली है नहीं।

* * * *

कोआपरेटिव मार्केटिंग प्रोसेसिंग तथा वेयर हाउसिंग योजना

*४७—श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है कि जिसके द्वारा भविष्य में किसानों द्वारा उत्पन्न किये अनाजों को सहकारी संस्थाओं द्वारा खरीदा जाय ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और वह कब से प्रारम्भ होगी ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—सहकारी विभाग द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये सहकारी प्रणाली पर कृषि उपज के क्रय-विक्रय स्टोरेज संबंधी कार्य करने के लिये एक योजना बनाई गई है। इस योजना का नाम कोआपरेटिव मार्केटिंग प्रोसेसिंग और वेयर हाउसिंग योजना है। जिसके अन्तर्गत सदस्यों को अपनी उपज गोदामों में रख कर ऋण प्राप्त करने की सुविधा होगी और अनुकूल परिस्थितियों में सहकारी समितियां उस उपज को स्वयं भी खरीद सकेंगी लेकिन खरीदने का कार्य शायद पहले साल चालू न हो सके यह योजना अप्रैल १,१९५६ से आरम्भ होने वाली है।

*४८—श्री तेजप्रताप सिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने इस योजना को चालू करने के लिये P. C. F. (प्राविन्शियल कोआपरेटिव फेडरेशन) को कुछ रुपया कर्ज या सहायता के रूप में देना निश्चय किया है ? यदि हां, तो कितना और किस शर्त पर ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—नहीं।

* * * *

नोट—तारांकित प्रश्न ४७–४८ श्री जोरावर वर्मा ने पूछे।

सहकारी संघ, रानी सराय, जिला आजमगढ़ की मुअत्तली की मियाद की समाप्ति

*५२—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या सहकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की रानी की सराय कोआपरेटिव यूनियन के संचालक मंडल की मुअत्तली २७-७-५५ को समाप्त कर दी गई है ?

श्री मंगला प्रसाद—हां, यह सत्य है कि सहकारी संघ, रानी सराय जिला आजमगढ़ की मुअत्तली २९-७-५५ को समाप्त कर दी गई है।

*५३—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री मंगला प्रसाद—क्योंकि संचालक मंडल की मुअत्तली की अवधि, को उठाना आवश्यक नहीं समझा गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रानी की सराय संचालक मंडल को किसके आदेश पर मुअत्तल किया गया था और कब किया गया था ?

श्री मंगला प्रसाद—यह २२ फरवरी, १९५५ को मुअत्तल किया गया था और संघ के अध्यक्ष को एक सूची दी गई थी उनसे जवाब मांगा गया था। उन्होंने जवाब दिया फिर उसकी जांच हुई वहां के डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव आफिसर के द्वारा और जो नतीजा हुआ वह डिप्टी रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसाइटी ने देखा और उसके देखने के बाद यह नहीं समझा गया कि जो चार्ज था वह इतना अहम था कि उस पर मुअत्तली कायम रखी जाय। इसलिये उनकी मुअत्तली हटा दी गयी ?

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस अधिकारी ने संचालक मंडल को मुअत्तल किया था यदि वह निर्दोष साबित हुआ तो मुअत्तल करने वाले के खिलाफ कोई कार्यवाही सरकार करेगी ?

श्री मंगला प्रसाद—मैंने बताया कि मामला इतना अहम नहीं था कि उस पर अब कार्यवाही जारी रहे। लेकिन जिस वक्त उसको पकड़ा था जांच करने का मौका था उस वक्त यह मालूम हुआ कि वाकया बहुत अहम है और जब उसकी मुअत्तली इसी लिये कि मसला इतना अहम नहीं था हटा दी गई।

श्री राजनारायण—वह कौन-सा चार्ज था ? क्या नेचर था चार्ज का ?

श्री मंगलाप्रसाद—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी कृपा कर यह बतलायेंगे कि इस संचालक मंडल पर जो आरोप लगाये गये थे वे बिल्कुल झूठे सिद्ध हुये ?

श्री मंगला प्रसाद—ऐसी बात नहीं।

कानपुर इलेक्ट्रिक कम्पनी में ५० रु० से अधिक पाने वालों की भर्ती

*५४—**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में कानपुर इलेक्ट्रिक कम्पनी ने मजदूरों को छोड़ कर कितने ऐसे कर्मचारी रखे कि जिनका वेतन पचास रुपया से अधिक है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—२८।

*५५—**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (अनुपस्थित)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पचास रुपया से अधिक पाने वाले कर्मचारियों के लिये समाचार-पत्रों में विज्ञापन कराया गया था ? यदि हां, तो किन किन पत्रों में और किन-किन तारीखों में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—प्रायः तौर पर उम्मीदवार एम्प्लायमेंट एक्सचेंज के जरिये भर्ती किये जाते हैं। कभी-कभी जगहों को समाचार-पत्रों में विज्ञापित (advertised) किया जाता है।

*५६—**श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित** (अनुपस्थित)—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पचास रुपया से अधिक पाने वाले कर्मचारियों की जगहों के लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये और उनमें से कितने लिये गये, जो लिये गये उनकी क्या योग्यता थी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कैंट्रो वैलफेयर आफिसर के पद के लिये जिसको advertise कराया गया था ११९ प्रार्थना-पत्र आये थे। जिस उम्मीदवार को चुना गया था उसकी योग्यता यह थी :—

> "एम० ए० अर्थशास्त्र (Economics) काशी विद्यापीठ से लेबर ट्रेनिंग कोर्स पास किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन डिप्लोमा प्राप्त, लेबर वेलफेयर आफिसर का ३ साल का तजुर्बा।"

गाजियाबाद, जिला मेरठ के खजाने में गबन

*५७—**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या सरकार कृपाकर बतायेगी कि तहसील गाजियाबाद, जिला मेरठ के खजाने से कुछ सरकारी धन का गबन हुआ है ? यदि हां, तो कितने धन का ?

श्री मंगला प्रसाद—जी हां, जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार ६७,२०९ रु० ४ आ० का गबन हुआ है।

*५८—**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या सरकार बतायेगी कि इस गबन के संबंध में कौन कौन कर्मचारी दोषी पाये गये और उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मंगला प्रसाद—मामला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है जो कि जांच कर रही है। एक सियाहा नवीस और दो तहबीलदार गिरफ्तार किये गये हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह मामला पुलिस को कब सौंपा गया और इसकी अंतिम जांच कब तक समाप्त होने को है ?

श्री मंगला प्रसाद—तारीख बताना तो मुश्किल है इस वक्त लेकिन जांच करीब-करीब समाप्त होने वाली है और बहुत जल्दी उस पर चार्ज लगकर मुकदमा चलने वाला है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह तहसील गाजियाबाद का गबन कितने दिन से पुराना चल रहा था ?

श्री मंगला प्रसाद—यह मुकदमा तो कुछ दिन पहले से चल रहा है। मैं इसकी तफसील बता सकता हूं लेकिन तारीख इस वक्त नहीं मालूम है ?

श्री श्रीचन्द्र—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह गबन का केस कब खुला और किसने खोला ?

श्री मंगला प्रसाद—यह असल में खुला इस तरह से कि रोडवेज के जो डिप्टी मैनेजर या असिस्टेंट जनरल मैनेजर होते हैं उन्होंने यह कहा वहां के ट्रेजरी आफिसर से कि हमारा जो रुपया रोज जमा होता है उसका रोज-रोज हिसाब नहीं मिलता है। यह शिकायत उन्होंने की। उस शिकायत के पाते ही ट्रेजरी आफिसर ने फौरन जाकर अचानक जांच की और उस जांच में यह सब बातें पायी गयीं और पकड़ी गईं।

श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह रुपया जो गबन हुआ उसका नेचर क्या था, किस तरीके से वह इस रुपये को गबन करते थे, क्या एक आदमी ने यह गबन किया या कुछ सालों से यह गबन चल रहा था ?

श्री मंगला प्रसाद—इसकी इन्क्वायरी हो रही है। इसमें कई आदमी गिरफ्तार भी हुये हैं। जैसा कि बताया गया। एक स्याहा नवीस और दो तहवीलदार को गिरफ्तार किया गया। ख्याल यह है कि इसमें ५ आदमी के करीब आते हैं जिन्होंने मिलजुल कर इस गबन को किया है। उसमें रुपया अलग-अलग है। कुछ तो एच० बी० एम० कम्पनी का रुपया है, ५,९०,२०९ रु० ४ आना और कुछ सेंट्रल एक्साइज की बाबत और कुछ दूसरे आइटम्स का ९,२५० रु० है। यह दो बड़े-बड़े आइटम्स हैं जिनको मिला करके इतना हुआ है।

श्रीमती चन्द्रवती—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार के इस केस के जानने और केस चलाने के समय का अन्तर क्या है और उसका कारण क्या है ?

श्री मंगला प्रसाद—कारण तो बहुत कुछ जांच होती है। यह पुलिस को सुपुर्द किया गया था और एक स्पेशल इन्वेस्टीगेटिंग स्क्वैड के सिपुर्द किया गया था। जांच चल रही है और जहां ऐसे मुकदमे होते हैं वहां थोड़ी देर होती ही है, क्योंकि काफी जांच-पड़ताल की आवश्यकता होती है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इतनी जो सरकार को जांच प्राप्त हुई है उसमें तीन कर्मचारियों के अतिरिक्त और कौन-कौन कर्मचारी अब तक दोषी पाये गये हैं ?

श्री मंगला प्रसाद—यह तो अभी बताना मुश्किल है कि कौन दोषी है। दोषी तो करार कोर्ट से होंगे। जितना हमने अभी बताया वही अब तक मालूम है।

अतारांकित प्रश्न

इटावा जिले में वृक्षारोपण में लगी भूमि

१—**श्री तुलाराम** (जिला इटावा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष उसने इटावा जिले में कितनी भूमि में वृक्षारोपण कराया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस वर्ष इटावा जिले में वन विभाग द्वारा २,०८७.९७ एकड़ भूमि में वृक्षारोपण कराया गया। इसके अतिरिक्त नहर के किनारे डेढ़ मील सड़क पर पेड़ लगाये गये। कृषि विभाग ने भी १८,१०४ फलदार पेड़ लगाये।

* * * *

मैनपुरी पावर हाउस की क्षमता

४—**श्री सुल्तान आलम खां** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मैनपुरी पावर हाउस कब तक तैयार हो जायेगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—१९५७ के आरम्भ तक।

५—**श्री सुल्तान आलम खां**—मैनपुरी के पावर हाउस के तैयार हो जाने पर एटा, मैनपुरी और फर्रुखाबाद के कितने-कितने और किन-किन कस्बों और गांवों को बिजली मिलेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मैनपुरी के पावर हाउस के बन जाने पर एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद जिलों के ३४० राजकीय नलकूपों को बिजली दी जायगी। यदि संभव हुआ तो फर्रुखाबाद, अलीगंज, छिबरामऊ, सिरसागंज, मैनपुरी तथा कायमगंज नगरों तथा मैनपुरी, फर्रुखाबाद और एटा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली मिल सकेगी।

[८ दिसम्बर, १९५५ के लिये रखे गये प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

मैनपुरी बिजली कम्पनी से सरकारी कर्जे की वसूली

*१--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या यह सही है कि मैनपुरी बिजली कम्पनी ने सरकार से दस हजार रुपये का कर्जा लिया था? यदि हां, तो क्यों और उसकी क्या शर्तें थीं?

श्री मंगला प्रसाद--जी हां, कर्ज कम्पनी को इसलिये दिया गया था कि वह मशीन आदि खरीद कर पावर हाउस में लगाये और शहर में शीघ्र बिजली देना शुरू कर दे। कर्ज की शर्तें यह थीं कि कम्पनी कर्ज की रकम को, ६ रु० प्रति सैकड़ा साधारण ब्याज के साथ १८ महीने के अन्दर लौटा दे और यदि वह ऐसा करने में असमर्थ होगी तो कर्ज तथा ब्याज की रकम को सरकार उसकी सम्पत्ति बेच कर वसूल कर लेगी।

*२--श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या यह सही है कि कम्पनी ने यह कर्जा सरकार को वापस कर दिया है? यदि नहीं, तो सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

श्री मंगला प्रसाद--जी नहीं। शर्त के अनुसार कम्पनी की सम्पत्ति बेच कर कर्ज तथा ब्याज की रकम वसूल की जायेगी। इस उद्देश्य से जिलाधीश को आदेश दिया गया है कि वह कम्पनी की अत्यधिक (Surplus) सम्पत्ति का मूल्यांकन कराकर सरकार को भेजे।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या यह सही है कि कम्पनी ने अपने सब असेट्स इस ऋण के लिये सरकार को मार्गेज कर दिये थे?

श्री मंगला प्रसाद--हां, मार्गेज किये थे।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या यह सच है कि कम्पनी ने मैनपुरी म्युनिसिपल बोर्ड से भी इस संबंध में कुछ कर्जा लिया था और उसने वही सब असेट्स पहले वहां पर मार्गेज कर दिये थे?

श्री मंगला प्रसाद--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कम्पनी की सम्पति का मूल्यांकन ऋण देते समय नहीं कराया गया था?

श्री मंगला प्रसाद--इसका पता तो नहीं है, लेकिन अब जिलाधीश को कह दिया गया है कि उसका जल्दी से मूल्यांकन कराके भेजें, जिसमें कार्रवाई फौरन की जाय।

श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिस समय ऋण दिया गया था उस समय वहां के आगरा डिवीजन के कमिश्नर ने सरकार को यह सूचित नहीं किया था कि इस कम्पनी की माली हालत अच्छी नहीं है?

श्री मंगला प्रसाद--इसकी तो सूचना इस वक्त नहीं है।

लखनऊ में ए० सी० तथा डी० सी० बिजली की दरें

*३--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ में घरेलू खर्चे के लिये A. C. या D. C. की क्या दरें हैं ?

श्री मंगला प्रसाद--लखनऊ में घरेलू खर्च के लिये निम्नलिखित रेट हैं--

लाइट व फैन के लिये

(क) ए० सी० ३ आने ३ पाई प्रति यूनिट — प्रति पूरे रुपये पर २ पैसा रिबेट।

(ख) डी० सी० ३ आने ९ पाई प्रति यूनिट — प्रति पूरे रुपये पर २ पैसा रिबेट।

घरेलू पावर

(क) ए० सी० २ आने प्रति यूनिट — प्रथम ६० यूनिट एक किलोवाट के लिये।
१ आना प्रति यूनिट — अतिरिक्त यूनिट के लिये।

(ख) डी० सी० २ आने ३ पाई प्रति यूनिट — प्रथम ६० यूनिट एक किलोवाट के लिये।
एक आना प्रति यूनिट — अतिरिक्त यूनिट के लिये।

रिबेट लाइट व फैन के रेट के बराबर।

*४--श्री भगवान सहाय--क्या सरकार के पास ऐसी कोई शिकायतें आई हैं कि मकान मालिक अपने किरायेदारों से बिजली की कीमत निश्चित दर से ज्यादा ले रहे हैं ?

श्री मंगला प्रसाद--जी नहीं।

श्री भगवान सहाय--क्या माननीय मंत्री जी को इस बात का पता है कि कार्ल्टन होटल वाले ए० सी० बिजली के लिये ५ आने यूनिट अपने रहने वालों से चार्ज करते हैं ?

श्री मंगला प्रसाद--इसके लिये नोटिस की जरूरत है, कोई इत्तला नहीं है।

श्री भगवान सहाय--क्या सरकार मेरे सवाल को सूचना लेकर इसकी जांच करायेगी और अगर यह बात सही निकली तो कोई ऐक्शन लेगी ?

श्री मंगला प्रसाद--दरियाफ्त जरूर कराया जायगा और जो मुनासिब कार्यवाही होगी वह की जायगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--मेरा यह प्रस्ताव है कि माननीय वित्त मंत्री से संबंधित जितने प्रश्न हैं वे सब आज स्थगित कर दिये जायं और फिर बाद में लिये जायं चूंकि जब फाइल ही नहीं है तो मंत्री जी सप्लीमेंटरीज का जवाब क्या देंगे ?

श्री मंगला प्रसाद--फाइलें सब हैं और मुझको हर चीज याद भी है लेकिन इत्तफ़ाक़ से हमारे पी० ए० साहब ने ऐसा उलट-पलट कर दिया है, जिससे मेरी दिक्कत हो गई है। सवाल मुझे सब याद हैं।

श्री अध्यक्ष--यह तो उनका काम है, प्रश्नों के समय सदन इसमें सुझाव नहीं देगा। मैं समझता हूं वह अपना काम कर लेंगे।

बस्ती जिलान्तर्गत खलीलाबाद व दुधारा थानों में वारदातें

*५--श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले १२ महीनों के भीतर थाना खलीलाबाद व दुधारा, जिला बस्ती में कितने कत्ल व बलवा व डाका की रिपोर्टें हुईं और उनमें से कितने मुकदमें चलाये गये और कितने में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—मांगी गयी सूची संलग्न विवरण-पत्र में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३२० पर)

*६—७—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—[२० दिसम्बर, १९५५ के लिये प्रश्न ६६—६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

बांदा फारेस्ट डिवीज़न में तेंद की पत्ती का ठेका

*८—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बांदा फारेस्ट डिवीज़न में सन् १९५४ और ५५ में तेंदू की पत्ती का ठेका कितने रुपयों का हुआ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—सन् १९५४—५५ में बांदा फारेस्ट डिवीज़न में तेंदू की पत्तियों का ठेका २,८३,०५२ रु० में हुआ।

*९—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या सरकार बतायेगी कि इस ठेके में ग्राम समाजों की पत्ती भी सम्मिलित थी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां ।

*१०—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या सरकार बतायेगी कि सम्बन्धित ग्राम समाजों को उनका हिस्सा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां।

अभी सन् १९५२—५३ और १९५३—५४ का हिसाब हो रहा है। सन् १९५४—५५ का हिसाब उसके बाद होगा।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सन् ५२—५३ का हिसाब अभी नहीं हो सका इसका क्या कारण है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके लिये मुझे अफसोस है । हमने हिदायत कर दी है कि बहुत देरी की है उनको जल्दी करना चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि अभी तक हिसाब न होने के कारण ग्राम समाजों को बहुत असंतोष है और वे अपनी पत्तियों का ठेका स्वतंत्ररूप से देने के लिये सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—उनको असंतोष हो या न हो मगर हमें जरूर असंतोष है और यह जल्दी दिया जाना चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री बातयेंगे कि वे ग्राम समाज अब अपनी पत्ती स्वतंत्र रूप से नीलाम कर सकेंगे या सरकार ही दोनों को नीलाम करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जहां तक मेरा खयाल है मेरे पास यह प्रार्थना-पत्र आया है कि सरकार अगर दोनों को नीलाम करे तो बड़ा झगड़ा मिट जाय और उनको उसी में सुभीता है और मेरा अपना तो यह खयाल है कि इसके लिये अगर कोई कानून भी बन जाय तो बड़ा उत्तम रहेगा।

श्री जोरावर वर्मा—जो हिसाब पिछड़ा पड़ा हुआ है क्या माननीय मंत्री उसे शीघ्र करवाने की कृपा करेंगे ताकि जो ग्राम समाजों को असंतोष है वह दूर हो जाय ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वह तो मैंने पहले ही कहा कि उनको लिख दिया गया है कि जल्दी करें।

इलाहाबाद जिला जेल की इमारत में अस्पताल खोलने की योजना

*११—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद के जिला जेल का कितने समय से उपयोग नहीं हो रहा है ?

कारावास उपमंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—२७ नवम्बर सन् १९५० से।

श्री कल्याण चन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उस जेल में मेडिकल कालेज खोलने की उसने कोई योजना बनायी है ?

श्री मुजफ्फर हसन—मेडिकल कालेज नहीं अस्पताल खोलने की योजना जरूर बनी है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह योजना कब से चालू होगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—उसके नक्शे वगैरह बन गये हैं और वे गवर्नमेंट के विचाराधीन हैं।

बहराइच पावर हाउस की क्षमता

*१२—श्री बसन्तलाल शर्मा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बहराइच जिला में नलकूपों के चलाने के लिये विद्युत् शक्ति प्रदान करने हेतु जो पावर हाउस बहराइच रेलवे स्टेशन के समीप निर्मित हुआ है उसमें कितनी बिजली तैयार होगी ?

श्री मंगला प्रसाद—५०० किलोवाट।

*१३—श्री बसन्तलाल शर्मा—क्या सरकार बतायेगी कि वह बिजली नलकूपों के अतिरिक्त अन्य किसी उपायोग में भी लायी जायेगी ? यदि हां, तो किस उपयोग में ?

श्री मंगला प्रसाद—जी नहीं।

*१४—श्री बसन्तलाल शर्मा—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उक्त बिजली का उपयोग कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

श्री मंगला प्रसाद—इस साल के अन्त तक।

श्री बसन्तलाल शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस बिजली से कितने नलकूप चल सकेंगे ?

श्री मंगला प्रसाद—यह तो नहीं मालूम कि कितने चल सकेंगे लेकिन जितनों की वहां आवश्यकता है उन सबके लिये वह पर्याप्त होगी।

श्री बसन्तलाल शर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि यह पावर हाउस चालू हो गया है फिर भी वहां नलकूपों को चलाये जाने के लिये आइल इंजिन लगाये जा रहे हैं ?

श्री मंगला प्रसाद—अभी पूरे तौर से यह काम इस साल के अन्त तक किया जा सकेगा। अगर बीच में कोई आइल इंजिन लगा रहा तो कोई रुकावट नहीं हो सकती है।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस बिजली घर से गोंडा के नलकूपों को बिजली मिल सकेगी ?

श्री मंगला प्रसाद—नहीं, गोंडा को नहीं मिलेगी।

श्री बसन्तलाल शर्मा—क्या यह सही है कि इस बिजली में से बहराइच जिले के नानपारा, पयागपुर और कैसरगंज के कस्बों को दी जायगी ?

श्री मंगला प्रसाद—यह तैयार हो जाने के बाद जो नलकूपों से बिजली फाजिल होगी वह दी जायगी।

विन्ध्य प्रदेश के कुख्यात डाकू देवीसिंह का झांसी जिले में आतंक

*१५—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले का कुख्यात डाकू देवी सिंह कितने दिनों से डाके डाल रहा है और उसने अभी तक कितने डाके डाले तथा कितने खून किये हैं ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगन प्रसाद रावत)—देवी सिंह डाकू झांसी जिले का नहीं बल्कि जिला छतरपुर, विन्ध्य प्रदेश का रहने वाला है और अधिकतर उसी इलाके में रहता है। झांसी जिले में सन् १९४८ से अब तक उसने ५ डाके डाले और १ क़त्ल किया है।

*१६—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार को पता है कि देवी सिंह की लड़की की शादी अभी हाल ही में नारहट (ललितपुर सब-डिवीज़न) के एक राव साहब के लड़के के साथ बड़ी धूमधाम से हुई और देवी सिंह ने दहेज में लगभग एक लाख रुपया का जेवर आदि दिया है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—जी हां। शादी विंध्यप्रदेश में जिला छतरपुर के ग्राम खेरिया से जुलाई सन् १९५५ में हुई। ऐसा कहा जाता है कि लड़के को दहेज में अच्छी रकम मिली।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि ललितपुर डिवीजन की जनता डाकू देवी सिंह से इतनी भयभीत है कि वह थाने में रिपोर्ट करने में डरती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—डाकुओं से जनता भयभीत तो अवश्य होगी लेकिन जब कोई वाकिया होता है तो उसकी रिपोर्ट जरूर हो जाती है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस डिवीजन में पी० ए० सी० के कितने जवान रहते हैं और उन्होंने कितने डाकुओं को गिरफ्तार किया ?

श्री जगन प्रसाद रावत—यह संख्या नहीं बतायी जा सकती क्योंकि यह जनहित में नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डाकू देवी सिंह का फोटो और जीवनी अखबार में छपी है तो यह कार्यवाही किसके द्वारा होती है और क्या सरकार इसकी जानकारी रखती है ?

श्री जगन प्रसाद रावत—समाचार-पत्रों के पास बहुत से साधन होते हैं उसके द्वारा जीवनी छाप देते हैं।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि देवीसिंह ने जो रुपया या धन अपने दामाद को दिया है, वह डाकू का धन समझकर सरकार उससे लेकर जिन लोगों से रुपया लिया गया है उनको देने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—लड़की या रुपया अभी तक विन्ध्य प्रदेश में है उत्तर प्रदेश में आया नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि लड़की की शादी में डाकू देवीसिंह उपस्थित था ?

नोट—ताराँकित प्रश्न १६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री जगनप्रसाद रावत---सूचना इसके विपरीत है, वह शादी में उपस्थित नहीं था।

श्री गज्जूराम (जिला झांसी)---क्या सरकार को पता है कि ललितपुर सब-डिवीजन के श्री रमानाथ खेरा, एम० एल० ए० के काका से एक हजार रुपया लेकर हाजिर होने को कहा था और वह रुपया लेकर हाजिर हुए थे ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसकी सूचना मेरे पास नहीं है। इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

जौनपुर जिले में राजनीतिक पीड़ितों को सहायता

*१७---श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में किन-किन राजनीतिक पीड़ितों को कितनी-कितनी पेन्शनें दी जा रही हैं तथा इस वर्ष विशेषाधिकारी की नियुक्ति के अनन्तर अब तक किस-किस प्रकार की सहायता दी जा चुकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिन लोगों को सहायता दी जाती है उनके नामों को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना अशोभन प्रतीत होता है। यदि माननीय सदस्य किसी व्यक्ति विशेष की बाबत जानना चाहें तो मेरे कार्यालय में देख लें।

पांच वर्ष से अधिक कार्य करने वाले कानपुर केसा हाउस के पदाधिकारी

*१८---श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या मुख्य मंत्री उन आफिसरों की नामावली बताने की कृपा करेंगे कि जिनको पांच वर्ष से ऊपर कानपुर केसा हाउस में काम करते हुये हो गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---

१---श्री के० सी० गुप्ता, जेनरेल मैनेजर।

२---श्री एस० एस० अरोरा, डिप्टी जेनरल मैनेजर।

३---श्री एन० एन० कुंजरू, पी० ए० (टेक्निकल)।

४---श्री एस० सी० मिश्रा, पी० ए० (नान-टेक्निकल) अब स्थानापन्न एकाउन्ट्स आफिसर।

५---श्री एन० डी० बनवालीकर, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (टेक्निकल)।

६---श्री के० जी० नटराज, एक्जीक्यूटिव आफिसर।

७---श्री आर० पी० निगम, डिप्टी एक्जीक्यूटिव आफिसर।

८---श्री पी० के० कौल, पर्सनल आफिसर।

कानपुर शहर में बिजली के नये कनेक्शन देने के नियम

*१९---श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित---क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसा कानून है कि जिसके अनुसार किसी निश्चित संख्या में शहर के अन्दर रहने वाले लोग यदि प्रार्थना-पत्र दें तो उनको बिजली के कनेक्शन दिये जा सकते हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां। इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट, १९१० के शेड्यूल ५ के अनुसार किसी बिजली कम्पनी को जिसके लाइसेंस को जारी हुए ढाई वर्ष हो चुके हों, अगर ६ या उससे अधिक व्यक्ति जिनके मकान सड़क या उसके किसी हिस्से पर हों, प्रार्थना-पत्र दें तो बिजली सप्लाई कम्पनी के लिये आवश्यक होगा कि वह उनको बिजली के कनेक्शन ६ मास के अन्दर दे, किन्तु ये उपबन्ध (restrictions) उन जगहों पर लागू नहीं हैं जहां पर बिजली के वितरण (distribution) पर सरकार ने यू० पी० इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कन्ट्रोल) ऐक्ट, १९४७ के अन्तर्गत नियन्त्रण कर रखा है।

बदायूं जिले में सहसवान थाने के अन्तर्गत नकबजनी के वाकयात

*२०—श्री मुश्ताक अली खां (जिला बदायूं)—क्या सरकार मेहरबानी कर के बतायेगी कि सन् ५३–५४ में थाना सहसवान, जिला बदायूं में नकबजनी के कितने वाकयात हुये और कितने अदालत में सजायाब हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन् १९५३ में नकबजनी के १३ वाकयात हुये जिनमें २ सजायाब हुये। सन् १९५४ में १८ वाकयात हुये जिनमें ३ सजायाब हुये तथा २ अदालत में विचाराधीन हैं।

सहसवान नगरपालिका का बिजली के लिए प्रार्थना-पत्र

*२१—श्री मुश्ताक अली खां—क्या सरकार के पास नगरपालिका सहसवान, जिला बदायूं की जानिब से कोई दरख्वास्त बिजली दिये जाने के मुताल्लिक आयी है ? उसमें सरकार क्या कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, चीफ इंजीनियर के कार्यालय में आयी है। उस पर विचार हो रहा है।

*२२—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—[२२ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

रिहण्ड डैम पुनर्वास डिवीजन का कार्य

*२३—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिहन्ड डैम के परिणामस्वरूप जो लगभग ४४ हजार व्यक्ति बे जमीन और बेघर बार होने जा रहे हैं उन्हें बसाने का काम किसके सुपुर्द हुआ है तथा इस काम में कहां तक प्रगति हुयी है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इन लोगों को बसाने का काम रिहन्ड डैम पुनर्वास डिवीजन द्वारा किया जायगा। इसके सिलसिले में जो प्रारंभिक कार्य है वह किया जा रहा है। इन लोगों को बसाने के लिये जिलाधीश, मिर्जापुर योग्य भूमि की व्यवस्था कर रहे हैं।

बिना लाइसेंस के रखे जाने वाले हथियार

*२४—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि प्रदेश में कितने हथियार बिना लाइसेंस के रखने की छूट है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस प्रकार के हथियारों की एक बृहद् सूची इंडियन आर्म्स रूल्स, १९५१ के शेड्यूल २ में देखी जा सकती है। मुख्य २ हथियार निम्नांकित है :—

(१) खेल की तोपें (Toy Cannon) जिनका वजन ५६ पौंड से कम हो और जिनके—

(अ) कैलीबर (Calibre) १ इंच से कम हो,

(ब) बोर (bore) की लम्बाई २४ इंच से कम हो, तथा

(स) बोर का भीतरी भाग चक्करदार (unrifled) न हो।

(२) एयर गन और एयर पिस्तौल (Air guns and air pistols) जो एक विशेष जांच में संतोषजनक सिद्ध होते हैं,

(३) खुकरी, तथा

(४) अन्य धारदार हथियार जैसे तलवार, बरछा, भाला, बल्लम, छुरी, कटारी, फरसा, गंड़ासा, कांटा, इत्यादि।

*२५—श्री गेंदासिंह—क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार ऐसा सुझाव देने का विचार रखती है कि कानून में ऐसा संशोधन करे जिससे बन्दूक व पिस्तौल के लाइसेंस अधिक से अधिक लोगों को मिल सकें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

बदायूं जिले के कत्ल

*२६—श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में १९५४ तथा ५५ में जो कत्ल हुये उनमें से कितने केस चलान हुये तथा कितने सजायाब हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी हुयी सूचना संलग्न नक्शे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३२१ पर)

भ्रष्टाचार विरोधी समितियों का पुनर्गठन

*२७—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में Anti-Corruption Committee बन गयी ? यदि हां, तो जिलेवार A. C. C. के अध्यक्षों की सूची सरकार मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अब तक २५ जिलों में भ्रष्टाचार-विरोधी समितियों का पुनर्संगठन पूरा हो चुका है। उक्त समितियों के तथा १४ अन्य जिलों में शीघ्र ही पुनः संगठित होने वाली समितियों के अध्यक्षों की सूची मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३२२ पर)

करवी, जिला बांदा में पेशवा महल तथा तहसील कोतवाली इमारतों की मरम्मत का विचार

*२८—श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार को करवी, जिला बांदा के पेशवा महल व मौजूदा तहसील कोतवाली के मरम्मत का एस्टीमेट प्राप्त हो गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*२९—श्री जगपति सिंह—क्या सरकार उपर्युक्त इमारतों की जल्द मरम्मत कराके राज्य का कई लाख रुपया जो नयी इमारत में लगेगा बचाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह प्रश्न विचाराधीन है।

*३०—श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)—[१५ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

श्री कल्पनाथ सिंह, सब-इन्सपेक्टर, चुनार का क़त्ल

*३१—श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चुनार सब-डिवीजन, जिला मिर्जापुर में पिछले जुलाई और अगस्त के महीने में कुल कितने कत्ल हुये और क्या किसी सब-इंस्पेक्टर पुलिस का भी दिन दहाड़े कत्ल हुआ ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जुलाई व अगस्त, १९५५ में चुनार सब-डिवीजन में कुल ५ व्यक्ति कत्ल हुये जिसमें श्री कल्पनाथ सिंह, सब-इंस्पेक्टर चुनार का भी कत्ल शामिल है।

सीतापुर शहर के लिए ए० सी० बिजली

*३२—श्री बशीर अहमद हकीम (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बतायेगी कि सीतापुर नगर निवासियों को ए० सी० बिजली के कनेक्शन मिलना कब से आरम्भ होगा ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—सीतापुर में ए०सी० कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

प्रतापगढ़ भ्रष्टाचार निरोधक समिति के सदस्य

*३३—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—क्या सरकार प्रतापगढ़ भ्रष्टाचार निरोधक समिति में जिलाधीश के अलावा अन्य सभी सदस्य गैर-सरकारी रखने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गत जुलाई में जारी किये गये सरकारी आदेशानुसार अब जिलाधीश भ्रष्टाचार-विरोधी समितियों के सदस्य नहीं हैं। प्रत्येक भ्रष्टाचार-विरोधी समिति के सभी सदस्य तथा अध्यक्ष अब गैर-सरकारी हो गये।

विधान भवन के अहाते में जलपान गृह

*३४—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि Council House Compound में कितने Restaurants अथवा Hotel सरकार की इजाजत से इस समय चल रहे हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस समय विधान भवन के हाते में ५ जलपान गृह चल रहे हैं।

सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर खद्दर पहिनने का सुझाव

*३५—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या सरकार कोई ऐसा आदेश जारी करने वाली है कि सरकारी कर्मचारी ड्यूटी के समय खद्दर की ही पोशाक पहिनें ? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं, ऐसे आदेश निकालना उचित नहीं प्रतीत होता।

*३६—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—[२० दिसम्बर, १९५५, के लिये प्रश्न ६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

ओझागांव जिला बस्ती में बन्दूक के लाइसेंसों की कथित जब्ती

*३७—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार को सूचना है कि बस्ती जिले के कप्तानगंज थाने के ओझागंज गांव के दो प्रतिष्ठित नागरिकों की बंदूकों के लाइसेंस कम्युनिस्ट हमदर्द होने के अपराध पर जब्त किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और तत्सम्बंधित सरकारी आदेश की जो जिलाधीशों को भेजा गया हो प्रतिलिपि सरकार मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं। ऐसे कोई लाइसेंस जब्त नहीं किये गये तथा जिलाधीशों को कोई आदेश नहीं भेजा गया है।

राज्य सम्पत्ति विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*३८—श्री रामनारायण त्रिपाठी—क्या यह सही है कि सरकार ने प्राक्कलन समिति की इस सिफारिश के बावजूद भी कि स्टेट डिपार्टमेंट तोड़ दिया जाय, प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट का उत्तर सदन में पेश करने के पहले ही उसको स्थायी कर दिया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सरकार द्वारा प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर फैसला ले लेने के पश्चात् राज्य सम्पत्ति विभाग के कर्मचारियों को मुस्तकिल किया गया।

राज्य सम्पत्ति विभाग के कर्मचारियों को स्थायी न करना

*३९—श्री श्रीनाथ (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य संपत्ति विभाग के १८ राज्य कर्मचारी स्थायी किये जा रहे हैं? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं। इस वक्त कोई स्थायी नहीं किया जा रहा है।

गाजीपुर जिले में कत्ल

*४०—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में सन् ५४–५५ में कुल कितने कत्ल हुये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सन् १९५४ में १८ तथा सन् १९५५ में १६।

*४१–४३—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ट (जिला अलीगढ़)—[२१ दिसम्बर, १९५५, के लिये प्रश्न ६०–६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मंत्रियों के अवकाश प्राप्त पर्सनल असिस्टेंटों की पुनर्नियुक्ति

*४४—श्री रामेश्वरलाल—क्या सरकार बतायेगी कि पिछले दो वर्षों में किन-किन माननीय मंत्रियों के पर्सनल असिस्टेंटों को कार्य काल समाप्त होने पर दूसरे कार्य में लगाया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—पिछले दो वर्षों में मंत्री सूचना और सिंचाई, मंत्री शिक्षा और हरिजन सहायक, मंत्री वित्त, शक्ति, वन और सहकारिता तथा मंत्री सार्वजनिक निर्माण के निजी सहायकों को कार्यकाल समाप्त होने पर दूसरे कार्य में लगाया गया है।

गोंडा जिले के कत्ल

*४५—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में १ जनवरी सन् १९५५ ई० से १५ सितम्बर, सन् १९५५ ई० तक कितने कत्ल किन हथियारों से हुये और उनकी संख्या प्रत्येक थानावार क्या है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी हुयी सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी हुयी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३२३ पर)

गोंडा शहर में विभिन्न वारदातों के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां

*४६—श्री गंगा प्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा शहर म कितनी चोरियां हुयीं और कितनी डकैती गत १ मार्च से १५ सितम्बर, १९५५ तक पड़ीं, इनमें कितने का पता चला और कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१ मार्च से १५ सितम्बर १९५५ ई० तक गोंडा शहर में ५० चोरियां हुयीं जिनमें से १५ का पता चला और उनके सिलसिले में २४ व्यक्ति गिरफ्तार हुये। उक्त अवधि में शहर में डकैती कोई नहीं पड़ी।

नैनीताल जिले में पेश की गई कुमायूं अंजुमने चपरासियान की मांगें

*४७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि नैनीताल में गत जुलाई मास में मुख्य मंत्री के सम्मुख प्रस्तुत की गयी कुमायूं अंजुमन चपरासियान की मांगों की पूर्ति आदि के सम्बन्ध में सरकार ने क्या–क्या निश्चय किये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इन मांगों पर विभिन्न विभागों में विचार हो रहा है और आशा है कि उन पर शीघ्र ही उचित आदेश निकल जायेंगे।

थाना बलुआ जिला बनारस के अन्तर्गत घटित वारदातों के सम्बन्ध में मुकदमे

*४८—श्री रामलखन (जिला बनारस)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना बलुआ, जिला बनारस, में जनवरी, सन् १९५५ से अगस्त १९५५ तक कुल कितनी चोरी, डकैती, नकवजनी, एवं मार पीट की रिपोर्ट हुयी, कितने में पुलिस ने कार्यवाही की तथा कितनों पर मुकदमा चला ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मांगी गयी सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी हुयी है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३२४ पर)

*४९—श्री कृष्णशरण आर्य—[१५ दिसम्बर, १९५५ के लिये स्थगित किया गया ।]

मिर्जापुर जिले में कागज का कारखाना न खुलना

*५०—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी वन विभाग ने ऐसी हिसाब लगाया है कि मिर्जापुर में ४० टन प्रतिदिन के हिसाब से कागज तैयार करने की सामग्री (बांस, बगई, घास, सलई के पेड़) वहां के जंगलों में उपलब्ध है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जिला मिर्जापुर में कागज तैयार करने की कच्ची सामग्री का हिसाब लगाया गया है जिससे विदित होता है कि वहां पर उपलबध कच्ची सामग्री एक पेपर मिल के लिये कदापि पर्याप्त नहीं है ।

*५१—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या मिर्जापुर जिले में कागज का कारखाना खोलने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय किया है या करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं ।

गोंडा जिलान्तर्गत परसपुर थाने की इमारत बनने में विलम्ब

*५२—श्री रघुराज सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा के अन्तर्गत थाना परसपुर की इमारतों को पक्का कराने का जो निश्चय उसने किया था उसके अनुसार अब तक कितना कार्य हो चुका है और शेष कब तक पूरा हो जायेगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस सम्बन्ध में ७५,००० रु० की लागत से एक नये भवन के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है परन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण अभी तक कोई प्रगति नहीं हो सकी है ।

बाराबंकी तथा गोंडा जिलों के सरहदी गांव कोयलीवर में पुलिस चौकी की मांग

*५३—श्री रघुराज सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बाराबंकी और जिला गोंडा के सरहदी गांव कोयलीवर में वह पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन का सरकारी पावना

*५४—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन का सरकारी पावना कितना है, वह कब और किस लिये दिया गया और उससे सरकार को किस दर पर सूद मिलता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रादेशिक सहकारी संघ को गुड़ क्रय करने के हेतु पचास लाख रुपया दिया गया था जिसमें से ३९ लाख रुपया सरकार को लौटा दिया है और बाकी रुपया मेरठ और हापुड़ के गुड़ उठ जाने के बाद जो एक व्यापारी के हाथ बेच दिया गया है हानि लाभ तथा खर्च का हिसाब करने के बाद लौटा दिया जायेगा। उक्त व्यापारी ने दो लाख रुपये की जमानत जमा की है और गुड़ नकद छ रुपया दे कर उठा रहा है ।

(१) प्रादेशिक सहकारी संघ सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से गुड़ के क्रय विक्रय का काम कर रहा है । अतः इस व्यवसाय के हानि लाभ का भार प्रान्तीय सरकार पर है । अतएव सरकार का ब्याज देने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(२) मार्च, १९५५ में सरकार से प्रादेशिक सहकारी संघ ८ लाख रुपया साढ़े चार प्रतिशत प्रतिवर्ष (4. sp.c.p.a.) ब्याज पर इस शर्त पर मिला है कि यह सहकारी संघों को राष्ट्रीय सरकार सेवा क्षेत्र (N.E.S. Blocks) में प्रति क्षेत्र दो बीज भंडार के भवन के हिसाब से १६० बीज भवन निर्माण के हेतु कर्ज के रूप में दे। इस रकम को २० वर्ष में ब्याज सहित सरकार का वापस करना है । उक्त रकम के वितरण की कार्यवाही सहकारी संघों से आये हुये प्रार्थना-पत्रों की आवश्यक छान बीन के पश्चात् हो रही है ।

(३) वर्ष १९४८-४९ में प्रान्तीय सरकार के कृषि-विभाग द्वारा ५८६ बीज गोदाम प्रादेशिक सहकारी संघ को ११,२१,४९३ मन २१ सेर ८ छटांक बीज तथा भूसा और बोरे आदि सहित ब्याज रहित कर्ज के रूप में हस्तांतरित किये गये जिसकी अदायगी बीज आदि के रूप में ही होना निश्चय हुआ है । यह बीज गोदाम प्रादेशिक सहकारी संघ (P.C.F) सहकारी संघों को हस्तांतरित करना प्रारम्भ कर दिया है ।

इण्टरटेनमेंट टैक्स के हिसाब की जांच

*५५---श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार कृपा करके बतलाएगी कि इन्टरटेनमेन्ट टैक्स का हिसाब आडिट होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ५३-५४ की आडिट रिपोर्ट सदन में पेश करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं, किन्तु इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि इस मद की आमदनी बढ़ती जा रही है, यह आशा की जाती है कि जल्दी ही ऐसे आदेश जारी हो जायेंगे जिनके अधीन एकाउन्टेन्ट जेनरल, इन्टरटेनमेन्ट ऐन्ड बेटिंग टैक्स डिपार्टमेंट के एकाउन्ट्स का आडिट किया करेंगे ।

कानपुर ज़िले में बिजली की लाइनों के लिए सर्वे

*५६---श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिले के जिन कस्बों में बिजली पहुंचने वाली है वहां उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---बिजली की लाइनों का सर्वे हो रहा है और लाइनों तथा सब-स्टेशनों के बनवाने के लिये आवश्यक सामान एकत्रित किया जा रहा है ।

*५७---श्री ब्रजबिहारी मेहरोत्रा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन कस्बों में कब तक बिजली पहुंचाई जा सकेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---१९५६ के अन्त तक ।

मैनपुरी जिलान्तर्गत कुरावली सब पावर हाउस में लगी जमीन का मुआवजा

*५८--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले में कुरावली में जो बिजली का सब-पावर हाउस बना है वह क्या काश्तकारों की भूमि लेकर बना है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां ।

*५९--श्री गणेशचन्द्र काछी--यदि हां, तो क्या जिन काश्तकारों की भूमि सरकार ने ली है, उनको जमीन का मुआवजा दे दिया गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अभी नहीं ।

अतारांकित प्रश्न

सर्विस रूल्स न रखने वाले विभाग

१--श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--क्या उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कुछ ऐसे भी विभाग हैं जिनके लिये (Service Rules) अभी तक नहीं बने हैं ? यदि हां, तो कौन से ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां । प्रश्न के दूसरे भाग में पूछी गयी सूचना एक सूची के रूप में मेज पर रख दी गयी है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३२५-३२८ पर)

भूमि-व्यवस्था सम्बन्धी अदालती निर्णयों के विषय में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री रामसुन्दर पांडेय ने भेजा है और उसकी कुछ लाइन में पढ़ कर सुनाये देता हूं :--

"यह सदन निम्नलिखित अत्यन्त महत्वपूर्ण अदालती निर्णयों से भूमि व्यवस्था सम्बन्धी विशेषकर प्रदेश के लाखों अधिवासियों इत्यादि के ऊपर जो संकट आया है उस विषय के ऊपर विचार करने के लिये यह कामरोको प्रस्ताव है । अदालती निर्णयों के कारण कोई संकट पैदा हो जाय जो कानून यहां सदन में पास होते हैं, उनके द्वारा तो कामरोको प्रस्ताव नहीं आ सकता । यह आधार नहीं बनाया जा सकता है कामरोको प्रस्ताव लाने के लिये जो कामरोको प्रस्ताव का आधार हो सकता है उससे सरकार से कोई विशेष सम्बन्ध होना चाहिये, सरकार की कोई कार्यवाही हो न कि अदालत की । इसलिये मैं इसको अवैध करार देता हूं और इसकी इजाजत नहीं देता ।

मुख्य मंत्री के कथित असत्य कथन पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की सूचना

*श्री राजनारायण (जिला बनारस)--श्रीमन्, मैं आपके द्वारा एक अर्जिएस्ट अपार्चुनिटी चाहता हूं क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा इस सदन में कुछ ऐसे तथ्य रखे गये हैं जो सत्य नहीं हैं । तो मेरा यह खयाल है कि बिल्कुल सप्रेशन आफट्रथ है । उस सिलसिले में मैं आपके सामने तमाम बातें रखूंगा और अगर आवश्यकता हुयी तो उस पर प्रिविलेज का सवाल उठाऊंगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--तो ठीक है । प्रिविलेज का सवाल जिस समय आप उठायेंगे उस समय इस पर विचार हो जायगा । जहां तक किसी माननीय सदस्य के भाषण के कथन के सम्बन्ध में प्रिविलेज का सवाल है,मैं इस तरह का प्रतिवाद बाद में देने का मौका नहीं देता हूं और नहीं तो यही एक काम रह जायगा । मैं किसी सदस्य और मुख्य मंत्री के बीच कोई अन्तर यहां नहीं कर सकता हूं । वह सदस्य की हैसियत से ही यहां बैठते हैं चाहे मंत्री भी हों । तो किसी भी सदस्य की स्वतंत्रता कोई वाकयात बयान करने के बारे में और उसका जो कथन वह समझते हों कि सही है, वह देने में, भंग होगी अगर प्रतिवाद तत्काल न होकर बाद में सदन में अन्य सदस्य यह कहने लगें कि अमुक दिन अमुक सदस्य ने जो कहा था वह सत्य नहीं है या सत्य से विपरीत है और इसलिये मैं उस कथन का प्रतिवाद करना इसका जवाब देना चाहता हूं । इस तरह से तो हर एक के कथन के बारे में जवाब दिया जा सकता है और अगर ऐसा होने लगे तो सदन में यही काम हुआ करेगा और कोई काम नहीं रह जायगा । तो इसलिये इसका तरीका यह है कि जानबूझ कर अगर कोई असत्य बात कही गयी हो तब तो प्रिविलेज का सवाल उठता है और नहीं तो नहीं उठता । यह मैं सदन को इस विषय में बता देना चाहता हूं ।

श्री राजनारायण--मैंने आपसे कहा कि यह बिल्कुल सप्रेशन आफ ट्रथ है ।

श्री अध्यक्ष--तो जब आप प्रश्न उठायेंगे उस समय देखा जायगा ।

अध्यक्ष पद से दिये गये निर्णय के स्पष्टीकरण की मांग

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--मैं एक व्यवस्था चाहता हूं कि अगर किसी माननीय सदस्य को चेयर से बोलने की इजाजत मिल गयी है, उसके बाद कोई माननीय सदस्य क्लोजर मूव कर सकते हैं या नहीं और क्लोजर के मूव करने पर उस सदस्य के बोलने का अधिकार रह जाता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह एक हाईपोथेटिकल प्रश्न है । मैं इसके विषय म जवाब नहीं दूंगा । जब प्रश्न उपस्थित होगा तब उसका निर्णय दे दूंगा । अगर माननीय सदस्य इस विषय में क्या तरीका होना चाहिये यह पूछना चाहते हैं तो मेरे कमरे में आकर मुझसे इस विषय में वह निर्णय ले सकते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--कल जो वाकया हुआ है उसके बारे मे . .

श्री अध्यक्ष--कल जो वकाया हुआ वह तो हो गया और उसका निर्णय भी कल ही सदन में हो गया होगा । जो मेरी गैरहाजिरी में बैठे होंगे उन्होंने निर्णय किया ही होगा । उसके बाद अगर समझा जाय कि पुनर्विचार करने की आवश्यकता है आगे के लिये क्या तरीका हो इस सम्बन्ध में तो मैं निर्णय अपने कमरे में दे सकता हूं और वह निर्णय आगे के लिये लागू हो जायगा । सदन को उस वक्त, जिस वक्त मौका फिर से उत्पन्न होगा ज्ञान भी हो जायगा । लेकिन मैं उस निर्णय को, जो पहले अध्यक्ष ने इस स्थान से दिया है, उसकी अपील के तौर पर या उसके बारे में पुनर्विचार सदन में नहीं उठना चाहिये ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--वह कुछ स्पष्ट सा नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--तो मैंने कहा कि आप मेरे कमरे में आ कर पूछ सकते हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--श्रीमन्, मैंने जो आज कामरोको प्रस्ताव दिया था उसको पूरा नहीं पढ़ा गया ।

श्री अध्यक्ष--इसकी जानकारी हासिल करने का अब यहां पर यह मौका नहीं है ।

*उत्तर प्रदेश चल चित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४

†खण्ड ६ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश चल चित्र (विनियमन) विधेयक, १९५४, पर विचार होगा। कल यहां पर यह प्रश्न उपस्थित था कि श्री द्वारका प्रसाद मौर्य का जो संशोधन है वह वैधानिक दृष्टि से वैधानिक है या अवैधानिक है। इस विषय पर मैं माननीय सदस्यों को प्रकाश डालने का मौक़ा दूंगा। पहले मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछूंगा कि आप किस कारण से इसको अवैधानिक कहते हैं। मैं समझता हूं अब तो उन्होंने कानूनी राय ले ली होगी। तो वह मुझे संक्षेप में बतायें कि संविधान की किस दफा के अनुकूल आप इसको नहीं समझते हैं।

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---अध्यक्ष महोदय, कल श्री मौर्य जी ने जो संशोधन पेश किया था, उसमें उन्होंने यह प्रश्न उठाया था कि ऐसे चल चित्रों का प्रदर्शन रोक दिया जाय जिनसे नैतिक स्तर गिरने का भय हो। तो जहां तक चल चित्रों के देखने योग्य होने या न होने का प्रश्न है, यह केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में रखा है। कांस्टीट्यूशन के पृष्ठ २४१ में जो यूनियन की लिस्ट है उसमें आइटम ६० में यह दिया हुआ है कि--

"sanctioning of cinematograph for exhibition".

इसको उन्होंने अपने हाथ में रखा है और सिनेमा देखने का जो प्रश्न है वह आइटम नं० ३३ में कांस्टीट्यूशन के पेज २४७ में उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। इस प्रकार से फिल्म कैसे हैं अच्छे हैं या बुरे हैं, उनसे नैतिक स्तर गिरता है, या उठता है इस प्रश्न के हल करने का हमको अधिकार नहीं है। इसका फैसला केन्द्रीय सरकार कर सकती है फिर इस कांस्टीट्यूशन की धारा २४६ में यह बाध्य कर दिया गया है कि ७ वें शिड्यूल के पहले भाग में जो फेहरिस्त दी गई है, उनको यूनियन गवर्नमेंट तय कर सकती है उन पर यूनियन गवर्नमेंट कोई अधिनियम बनायेगी। इसके अधीन उन्होंने सिनेमाटोग्राफ ऐक्ट १९५२ पारित किया है। उसमें भी उसकी धारा ३ में उन्होंने एक बोर्ड आफ फिल्म सेंसर बनाया है। धारा ४ में इस बात को साफ कर दिया है कि फिल्म को सर्टिफाई करने का काम केन्द्रीय सरकार का इस ऐक्ट के मुताबिक होगा। इतना ही नहीं बल्कि फिल्म अच्छा है या बुरा है। वह देखने के काबिल है या नहीं है, वह किसको दिखाया जाय, अडेल्ट को दिखाया जाय या माइनर को दिखाया जाय, यह कुल अधिकार उसने अपने हाथ में इस ऐक्ट के द्वारा रखे हैं। इसलिये हम इस संशोधन पर विचार करने के अधिकारी नहीं हैं।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---अध्यक्ष महोदय, कांस्टीट्यूशन के शिड्यूल ७ में जो ६० नम्बर है, उसको माननीय मंत्री जी ने पढ़ा है। उसमें यह है कि "sanctioning of cinematograph for exhibition". यानी यह विषय केन्द्रीय सरकार के अधीन है कि वह किस फिल्म को सैंक्शन करे लेकिन साथ ही लिस्ट २ में जो स्टेट लिस्ट है, उसमें पूर्ण अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है जो नंबर ३३ पर दिया गया है--

"Theatres and dramatic performances, cinemas subject to the provisions of entry 60 of list I....

यानी दिये हुये सर्टिफिकेट मानते हुये लाइसेंस वगैरा देने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है यानी उसको चालू किया जाय या न किया जाय इसका पूर्ण अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है। जहां तक इस क्लाज़ का संबंध है, इसमें यह कहीं भी दिया हुआ नहीं है कि नैतिक स्तर

---

*१० फरवरी, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

†७ दिसम्बर, १९५५ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

को गिरने और उठाने का काम किस सरकार के अधीन होगा, आया वह केन्द्रीय सरकार के अधीन होगा या प्रान्तीय सरकार के अधीन। मैं समझता हूं कि नैतिक स्तर की पूर्ण जिम्मेदारी भी प्रान्तीय सरकार की है। अतः यदि किसी फिल्म से जनता का नैतिक स्तर गिरता हो तो ऐसी फिल्म का लाइसेंस दे या न दे, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रान्तीय सरकार और शिड्यूल ७ में लिस्ट २ की बात है। यह चीज भी उसी प्रकार से आती है जिस प्रकार से प्रान्तीय सरकार को झगड़ा होने का अंदेशा होने की दशा में लाइसेंस देने या न देने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसका यह अधिकार कानकरेंट लिस्ट में भी नहीं है बल्कि स्वतंत्र लिस्ट में है। जब यह चीज स्वतंत्र लिस्ट में है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है, किसी फिल्म को चाहे वह चलने दे या न चलने दे। इसलिये किसी भी आधार पर चाहे वह नैतिक आधार हो, अथवा झगड़े का आधार हो, प्रान्तीय सरकार को पूर्ण अधिकार है कि वह लाइसेंस दे अथवा न दे। सर्टिफिकेट दे देने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट अपने इस अधिकार से वंचित नहीं हो जाती है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मेरे विचार से जो माननीय द्वारकाप्रसाद जी मौर्य का संशोधन है अगर वह अवैधानिक करार दिया जाता है तो खंड ६ भी अवैधानिक है क्योंकि सेंट्रल ऐक्ट के अधीन कौन सिनेमा दिखाया जायगा अथवा किस स्थान पर दिखाया जायगा, इसके पूर्ण अधिकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट को सन् १९३५ के ऐक्ट के अनुसार थे।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि यह चीज शायद उस वक्त कौनकरेंट लिस्ट में थी?

श्री नारायणदत्त तिवारी---जी हां, नया विधान बनने के बाद उसके अधिकार बांट दिये गये। सेंक्शन देने का अधिकार केन्द्र के हाथ में रख दिया गया और कुछ अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दिये गये। श्री डी० डी० बासु के कांस्टीट्यूशन के अन्दर इसको बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया है "Departing....."

श्री अध्यक्ष---३५ के ऐक्ट में क्या था? क्या वह कानकरेंट लिस्ट में था? अधिनियम में क्या दिया है?

श्री नारायणदत्त तिवारी---वह तो दिया है, मैंने मान लिया। मैं तो एन्ट्री ६० पढ़ रहा था। उसमें है कि--

"Departing from the Act of 1935, the Constitution makes sanctioning of films exclusively Union subject, while other matter relating to Cinemas is included in entry 33 of List II."

यानी सेंकशनिंग बिलकुल केन्द्र का या यूनियन का अधिकार है यह इस से स्पष्ट हो जाता है और आगे एन्ट्री ३१ में भी लिखा है कि "Item 7 of List I included the subject of Present Entry." इसलिये यह खंड ६ एकजिबिशन में रुकावट डालता है। यह खंड इस प्रकार रखा गया है कि "यदि राज्य सरकार अथवा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की, जैसी भी दशा हो, राय हो कि किसी फिल्म से, जिस का सार्वजनिक प्रदर्शन हो रहा है, शान्ति भंग होने की संभावना है तो राज्य सरकार, समस्त उत्तर प्रदेश अथवा उस के किसी भाग के सम्बन्ध में, तथा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के अधीन जिले के सम्बन्ध में, आज्ञा देकर फिल्म के प्रदर्शन को स्थगित कर सकते हैं।" इस तरह से वह सारे उत्तर प्रदेश में एगजिबिशन या प्रदर्शन को स्थगित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर सकते हैं। अंग्रेजी में यहां भी शब्द "एगजिबिशन" में दिया हुआ है। इस धारा को अंग्रेजी में भी पढ़े देता हूं जो बिल में रखी गयी है।"

"The State Government, in respect of the whole of the State of Uttar Pradesh or any part thereof, and the District Magistrate in respect of the district within his jurisdiction may, if it or he, as the the case may be, is of opinion that any film which is being publicly exhibited is likely to cause a breach of the peace, by order, suspend the exhibition of a film".

मेरे कहने का मतलब यह है कि यह एक यूनियन सब्जेक्ट है और प्रदर्शन को ससपेंड करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है यह अधिकार केवल केन्द्र को ही है और इस को और अधिक प्रमाणित करने के लिये मैं आप के सम्मुख सन् १९५२ के ऐक्ट की धारायें प्रस्तुत करूंगा। यह भी इस समय ध्यान में रखा जाय कि इस बिल के द्वारा भी सिनेमेटोग्राफ ऐक्ट, १९१८, रिपील हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--हमारे सामने इस समय प्रश्न यह नहीं है कि यह खंड ६ अवैध है या नहीं, प्रश्न इस समय केवल यही है कि यह संशोधन अवैध है या नहीं है, अगर आप समझते हैं कि वह अवैध है तो आप उसकी अवैधता की सपोर्ट में कह सकते हैं लेकिन आप पूरे खंड की अवैधता के बारे में नहीं कह सकते.....

श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं यह कह रहा था कि उन का संशोधन तो अवैधानिक है ही, लेकिन जिस खंड में यह संशोधन है वह खंड ही अवैधानिक है।

श्री अध्यक्ष--इस समय तो केवल संशोधन का ही सवाल है, खंड के बारे में आप बाद में कह सकते हैं।

श्री राजनारायण (जिला बनारस)--अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि माननीय मौर्य जी का जो संशोधन है वह वैध है, क्योंकि सिनेमेटोग्राफ का सेंक्शन करना एक बात है और उस का प्रदर्शन करना दूसरी बात है। सेन्कशन करने का अधिकार तो केन्द्र को है, लेकिन उस का प्रदर्शन स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार में है। यदि स्टेट गवर्नमेंट समझती है कि किसी फिल्म के प्रदर्शन से शान्ति भंग का खतरा है या उससे नैतिक चरित्र गिरने की संभावना है तो वह उसको अपने क्षेत्र में रोक सकती है, यह उसका कर्त्तव्य हो जाता है। माननीय मंत्री जी ने और मौर्य जी ने जो विधान की धारा कोट की है उसको देखा जाय तो प्रादेशिक सरकार की अधिकार सीमा में यह बात आती है। इसलिये मेरा कहना यह है कि यह जो धारा है जो बिल में रखी गयी है वह भी वैध है और चूंकि वह धारा वैध है, इसलिये माननीय मौर्य जी का संशोधन भी वैध है। और माननीय मन्त्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि.....

श्री अध्यक्ष--मुझ से आपको निवेदन करना है माननीय मंत्री जी से नहीं।

श्री राजनारायण--मैं तो, श्रीमन्, वैधता के सम्बन्ध में ही निवेदन कर रहा हूं और यह समझाना चाहता हूं कि जिससे माननीय मंत्री जी स्वतः अपने प्रश्न को वापस ले लेंगे। यों तो प्रश्न उठ गया है और आप अपना निर्णय देंगे ही लेकिन मैं यह चाहता हूं कि यदि यह संशोधन अवैध है तो नारायण दत्त जी का कहना सत्य हो जायगा कि यह क्लाज ही अवैध है। मेरा अपना मत है कि प्रान्तीय सरकार को कांस्टीट्यूशन के अन्दर यह अधिकार हासिल है कि वह एक्जीबीशन पर प्रतिबन्ध लगाये यदि वह प्रदर्शन कोई गड़बड़ी पैदा करता है, नैतिक स्तर का गिरना भी गड़बड़ी है, उसके गिरने से भी अशान्ति

[श्री राजनारायण]

हो सकती है और अन्य कारणों से भी अशान्ति हो सकती है। तो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत किसी फिल्म को दिखाने से यदि किसी प्रदेश में अव्यवस्था हो सकती है तो उस पर रोक लगाना प्रान्तीय सरकार का कर्तव्य है।

श्री अध्यक्ष--अब मैं समझता हूं कि श्री गोपीनाथ जी दीक्षित अपनी कानूनी प्रश्न पर राय दे सकते हैं।

***श्री गोपीनाथ दीक्षित** (जिला इटावा)--अध्यक्ष महोदय, मैंने विधान के शिड्यूल को इस दृष्टि से देखने का अभी प्रयत्न किया कि मैं द्वारका प्रसाद जी की राय का समर्थन कर सकूं लेकिन जब मैंने सेविन्थ शिड्यूल को देखा तो मुझे अपनी राय को अपनी इच्छा के विरुद्ध भी बदलना पड़ा। प्रश्न यह है कि यूनियन लिस्ट के आइटम सेविन पर यह स्पष्ट है कि सैंक्शनिंग आफ सिनेमैटोग्राफ आफ फिल्म्ज फार एक्जीबीशन। तो सैंक्शन का अधिकार तो केवल यूनियन लिस्ट में है। बाक़ी सब अधिकार उसके अलावा राज्य विधान सभा को है। प्रश्न यह है कि जब एक बार इस बात का अधिकार आर्टिकिल २४६ के मुताबिक पार्लियामेंट को प्राप्त है कि वह किसी सिनेमा को सैंक्शन करे कि वह इस देश में दिखाया जायगा या नहीं। यदि एक बार वह सैंक्शन करे तो वह सार्वभौमिक, सारे देश के लिये सैंक्शन हुआ। सारे देश के लिये सैंक्शन के अन्तर्गत इस विधान सभा को भी अधिकार है तो क्या इस विधान सभा को फिर अधिकार है कि चाहे वह सैंक्शन प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से उसको रोक सके या इस प्रदेश के लिये उसका दिखाना वर्जित कर सके। मेरी नम्र प्रार्थना है कि यह अधिकार हमको नहीं है और आर्टिकिल २४६ इस प्रश्न पर बिलकुल स्पष्ट है कि इस राज्य विधान सभा के अधिकार सीमित हैं और अपने जो यूनियन के पावर्स से बंधे हुये हैं, उससे बाहर नहीं जा सकेंगे और सैंक्शन के सम्बन्ध में हां या ना कहने का इस विधान सभा को अधिकार नहीं है। उसके अलावा हमें अधिकार है।

श्री अध्यक्ष--अब मैं इसके अलावा और किसी को इजाजत नहीं दूंगा। इस पर काफी प्रकाश पड़ चुका है और मैं समझता हूं कि सब बातें काफी स्पष्ट हो चुकी हैं। इस लिये मैं अब अपना निर्णय दिये देता हूं।

आर्टिकिल २४६ के प्रथम खंड के अनुसार जो शिड्यूल ७ की पहली लिस्ट है उसमें केवल अधिकार पार्लियामेंट को, लोक सभा को कानून बनाने का और उसके अनुसार उसके बरतने का है और उसके "आइटम सेविन" में यह दिया हुआ है कि "सैंक्शनिंग आफ सिनेमैटोग्राफ आफ फिल्म्ज फार एक्जीबीशन" यानी "सैंक्शन देना प्रदर्शन के वास्ते", तो जहां तक प्रदर्शन करने का अधिकार है उसको सैंक्शन करने का अधिकार केवल केन्द्रीय लोकसभा और वहां की सरकार को है। इसका जो अधिनियम बना इस अधिकार के अनुसार उसमें भी जैसा उपमंत्री जी ने कहा, इसकी धारा ३ इस प्रकार है--

"The Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute a Board of Film Censors, consisting of such number of persons as may be prescribed for the purpose of examining and certifying films as suitable for unrestricted public exhibition or for public exhibition restricted to adults and prescribe the manner in which the Board shall exercise the powers conferred on it by this Act". तो, इसमें ये भी वर्ड्स हैं" suitable for unrestricted public exhibition,"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दफा चार में भी ऐसे ही शब्द हैं।"

"If the Board, after examination, considers that a film is suitable for unrestricted public exhibition or that, although not suitable for such exhibition it is suitable for public exhibition restricted to adults".

यानी ये सब रेस्ट्रिक्शंस प्रदर्शन के सम्बन्ध में होंगे और फिल्म की सूटेबिलिटी केवल एडल्ट्स के लिये सीमित हो, इत्यादि, इत्यादि, सब बातें इस अधिनियम के अनुसार केन्द्रीय अधिनियम में निश्चित कर दीं। अधिनियम भी बन गया और उसके अनुसार वहां की सरकार कार्यवाही भी कर सकती है। लिस्ट २, आइटम नं० ३३ में इस विधान सभा और इस सरकार को जो अधिकार दिया गया है वह सीमित कर दिया गया है। जो ६० वां आइटम है, पहली लिस्ट का उस के अधिकारों से वह सीमित है। यानी केन्द्रीय सरकार का प्रथम अधिकार है और उसको छोड़ कर जो अधिकार बचता है सिनेमा के सम्बन्ध में वह इस विधान सभा का है। तो ऐसी अवस्था में यह कहना कि फिल्म प्रदर्शन योग्य नहीं है या सूटेबिल नहीं है इस वास्ते कि इसमें लोगों की नैतिकता का स्तर गिरता है, इसको देखने से या इसके प्रदर्शन से, यह कहने का अधिकार इस विधान सभा का नहीं हो सकता। यह सभा इसके बारे में कानून भी नहीं बना सकती। इसलिये मैं समझता हूं कि यह संशोधन अवैध है और अब यह उपस्थित नहीं हो सकता। और अगर उपस्थित हुआ है तो खत्म हो जायगा।

अब दूसरा वैधानिक प्रश्न माननीय तिवारी जी पेश कर रहे हैं उस पर भी विचार होजाना चाहिये।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--मेरा निवेदन है कि ठीक जिन कारणों से आप ने इस मौर्य जी के संशोधन को अवैधनिक घोषित किया है, मेरे विचार से वही कारण इस खंड ६ के लिये संभवतः लागू हो सकते हैं और जो शब्द आप ने पढ़ने की कृपा की "एक्जीबीशन" के सम्बन्ध में जिस लिस्ट ६० के अनुसार केन्द्र ने सन् ५२ में जो अधिनियम बनाया है मैं उसीको दूसरी प्रकार पढ़ूंगा और दूसरे शब्दों पर जोर दूंगा :--

"The Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute a Board of Film Censors, consisting of such number of persons as may be prescribed, for the purpose of examining and certifying films as suitable for unrestricted public exhibition or for public exhibition restricted to adults and prescribe the manner in which the Board shall exercise the powers conferred on it by this Act." 'अनरेस्ट्रिक्टेड' शब्द पर, श्रीमन्, मैं जोर देता हूं। एक ही प्रकार का रेस्ट्रक्शन हो सकता है। कोई फिल्म बालिगों को दिखाया जायगा और नाबालिगों को नहीं दिखाया जायगा और बाक़ी जो फिल्म्स होंगे उन पर दो प्रकार के, एक "ए" और दूसरा "यु" सर्टिफिकेट दिये जायंगे। "यू" सर्टिफिकेट उनको दिया जायगा जो सभी बालिगों और नाबालिगों को दिखाया जा सकता है। "ए" सर्टिफिकेट वह होगा जो नाबालिगों को नहीं दिखाया जा सकता है और केवल बालिगों को दिखाया जा सकता है। इसलिये जो अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक यूज़ के लिये सिनेमा सर्टिफिकेट कर दिया गया है, वह यूनियन लिस्ट ६० के अनुसार और यूनियन लिस्ट सेकेंड की ३३ के अनुसार राज्य सरकार उस पर नियन्त्रण नहीं कर सकती है। उस पर केवल केन्द्रीय सरकार कर सकती है। और केन्द्रीय सरकार जिस धारा के अनुसार कर सकती है वह धारा ६ है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

सिनेमेटोग्राफी ऐक्ट, १९५२ की धारा ६ इस प्रकार है --

"6. Power of Central Government to modify orders under section 4 or section 5.—Notwithstanding anything contained in this Part, the Central Government may, of its own motion by notification in the Official Gazette, direct that—

(a) a certified film shall be deemed to be an uncertified in whole or any part of India, or

(b) a film in respect of which 'U' certificate has been granted, shall be deemed to be a film in respect of which an 'A' certificate has been granted:

Provided that before notification of such direction the person to whom the certificate was issued shall be given a fortnight's notice to show cause as to why such a direction be not notified."

श्रीमन्, इस धारा ६ के अनुसार केन्द्रीय सरकार को इस बात के अधिकार हैं कि भारत या भारत के किसी भाग के लिये किसी फिल्म पर रोक स्वतः लगा सकती है। जो फिल्म सर्टिफिकेट का प्रश्न है, यह फिल्म सर्टिफिकेट सारे भारत के लिये होता है और जिन व्यक्तियों के द्वारा यह फिल्म बनाया जाता है, उनका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से होता है, प्रान्तीय सरकार से नहीं होता। जो सिनेमा प्रदर्शित करते हैं फिल्म उसका नहीं है, फिल्म उसका है जिसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है। फिल्म बनाने वाले का संबंध राज्य सरकार से नहीं है। इसलिये विधान सभा किसी सिनेमा बिल्डिंग में जो फिल्म दिखलाना चाहता है उसको इस बात के लिये बाध्य नहीं कर सकती कि वह फिल्म न दिखलाये क्योंकि फिल्म दूसरों की है और फिल्म को अनरेस्ट्रिक्टेड एग्जिबिशन का सर्टिफिकेट मिल चुका है। इसलिये विधान के दृष्टिकोण से अगर राज्य सरकार को शान्ति भंग होने की आशंका है इसलिये वह चाहती है कि फिल्म को न दिखलाया जाय तो केन्द्रीय सरकार को उसे लिखना चाहिये और केन्द्रीय सरकार धारा ६ का उपयोग करके फिल्म का दिखाना बन्द कर सकती है।

तीसरी बात यह है जैसाकि इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में लिखा गया है कि इस विधेयक में मुख्यतः केन्द्रीय सरकार के ऐक्ट, १९५२, के भाग ३ का अनुकरण किया है। भाग ३ पार्ट 'सी' स्टेट्स के लिये है। उनका इंतजाम केन्द्रीय सरकार खुद करती है। इसलिये १९५२, के ऐक्ट की धारा १३ में केन्द्रीय सरकार ने इस तरह की शक्ति अपने हाथ में ले रखी है। धारा १३ का उपखंड (२) इस प्रकार है--

"Where an order under sub-section (1) has been issued by the Chief Commissioner of a district magistrate, as the case may be, a copy thereof, together with a statement of reasons therefor, shall forthwith be forwarded by the person making the same to the Central Government, and the Central Government may either confirm or discharge the order."

तो पार्ट सी स्टेट की गवर्नमेंट के पास अपील नहीं करेगा बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपील करेगा। १९५२ के अधिनियम में संविधान का पालन किया गया है। संविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार को पार्ट सी स्टेट्स का इंतजाम करने का अधिकार है और इसीलिये केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कोई रोक नहीं लगा सकती है या केन्द्रीय सरकार के पास अपील हो सकती है। हमने केन्द्रीय सरकार की जगह प्रान्तीय सरकार कर दिया है जिसको हम विधान के अनुसार नहीं कर सकते। इसलिये मैं समझता हूं कि खंड ६ और उसके जितने भी आनुषंगिक खंड हैं सब अवैध घोषित किये जायं। और अगर राज्य सरकार को इस प्रकार की आवश्यकता प्रतीत होती है तो वह केन्द्रीय सरकार को लिख सकती है, स्वयं कानून नहीं बना सकती है।

श्री अध्यक्ष--मैं इसके लिये अभी निर्णय दिये देता हूं।

माननीय नारायण दत्त जी ने जो यह खंड ६ अवैधानिक होने के बारे में कहा है वह करीब-करीब उसी आधार पर कहा है जिस आधार पर मैंने यह संशोधन माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य का अवैध करार दिया है। लेकिन उसमें उनकी निगाह इस विषय पर न पड़ी कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा उन्होंने पढ़ कर सुनायी। सिनेमाटोग्राफ़ ऐक्ट, १९५२ में– उसमें "सी" क्लास स्टेट के सम्बन्ध में ही केवल यह अधिकार केन्द्रीय सरकार ने अपने ऊपर ले लिया ताकि ला ऐण्ड आर्डर का अगर ब्रीच होता है तो ऐसी अवस्था में वह रोक दिया जा सकता है किसी फिल्म का प्रदर्शन। वह इसलिये दिया गया है कि ला एण्ड आर्डर का जो अधिकार है उस के लिये जिम्मेदार केन्द्रीय सरकार "सी" स्टेट्स में है। लेकिन आर्टिकिल २४६ के अनुसार "ए" और "बी" स्टेट्स के लिये लिस्ट (२) में जितने आइटम्स दिये हुये हैं उसके लिये पूरी जिम्मेदारी स्टेट की सरकार की है, हर एक प्रदेशीय सरकार की है, और उस दूसरी लिस्ट में जहां तक पब्लिक आर्डर का सवाल है पहले आइटम में ही दिया है, लिस्ट (२) स्टेट लिस्ट में:

"1. Public order (but not including the use of naval, military or air forces or any other armed forces of the Union in aid of the civil power)." इसमें पब्लिक आर्डर के प्रश्न जितने हैं उनमें से नेवल, मिलिटरी, आर्म्ड फ़ोर्सज़ के सम्बन्ध को छोड़ कर बाकी सभी क्षेत्र में पब्लिक आर्डर की पूरी जिम्मेदारी डाली गई है प्रान्तीय सरकार और प्रान्तीय विधान सभा के ऊपर, उसके सम्बन्ध में कानून बनाने की। तो ऐसी अवस्था में थोड़ा सा अन्तर विषय का हो जाता है। पब्लिक आर्डर का जब पूर्ण अधिकार स्टेट को अब है तो यह सरकार या यह विधान सभा यह तो नहीं कर सकती कि किसी फिल्म को किसी कारण से भी यह कह दे कि यह प्रदर्शन करने योग्य नहीं, सूटेबिल नहीं है। इस तरह का फैसला नहीं दिया जा सकता। लेकिन 'ला ऐण्ड आर्डर' की जिम्मेदारी की दृष्टि से कोई फिल्म सूटेबिल भी होते हुये, स्टेट की सरकार या सदन का पूर्ण अधिकार इस विषय का है 'कि ला ऐण्ड आर्डर' को कायम करने के हेतु उसका प्रदर्शन स्थगित कर दें। क्योंकि जब 'ला ऐण्ड आर्डर' का प्रश्न सामने आ जाता है जैसे उदाहरणार्थ आप अपने मकान में रहते हों डाकुओं के आ कर आपको मार डालने का भय हो जाय तो 'ला ऐण्ड आर्डर' की दृष्टि से आप को यह आज्ञा दी जा सकती है कि अपने घर को छोड़ कर किसी वक्त आप दूसरी जगह चले जाइये, यद्यपि आप को अपने मकान में रहने का पूर्ण अधिकार है। तो 'ला ऐण्ड आर्डर' की रक्षा में जितने सारे अधिकार होते हैं हर एक नागरिक के उनको भी कुछ काल के लिये तोड़ दिया जाता है। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि नागरिकता के अधिकार छीनने का अधिकार सरकार को मिल जाता है। बल्कि तात्कालिक काल के लिये वह अधिकार सस्पेंड कर दिया जाता है और नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार का उनका खयाल न कर के, चूंकि उससे अधिक खतरा जन के जीवन का और उस की जायदाद के नष्ट होने का हो जाने के कारण इस तरह का अधिकार 'ला ऐण्ड आर्डर' की दृष्टि से सस्पेंड हो जाता है। तो उसी तरह से इसमें खंड ६ जो है उसमें यह सस्पेंड करने का अधिकार है न कि उसमें इस बात का निर्णय करने का अधिकार सरकार को होगा कि चूंकि अमुक फिल्म इस प्रकार की है कि 'ला ऐण्ड आर्डर' हर दम भंग हुआ करेगा लिहाजा इस फिल्म के प्रदर्शन का जो सैंक्शन केन्द्रीय सरकार ने दिया है वह हम हमेशा के लिये सस्पेंड करते हैं या वह फिल्म प्रदर्शन करने योग्य नहीं रही, ऐसा कोई निर्णय इस खंड द्वारा भी देने का अधिकार, इस खंड से प्राप्त नहीं होता। केवल कुछ समय के लिये प्रदर्शन करने का उस अवस्था में कि जिसमें 'ला ऐण्ड आर्डर' भंग होने का प्रश्न उत्पन्न हो जाता है, इतना ही सीमित अधिकार दिया गया है। तो इसमें थोड़ी सी मौर्य जी के संशोधन से भिन्नता है क्योंकि अगर नैतिकता के बारे में प्रश्न रख कर फिल्म का प्रदर्शन रोका जाता है तो इसका मतलब यह है कि उसके कन्टेन्ट

[श्री अध्यक्ष]

को देख कर उसके ऊपर राय आप देते हैं कि नैतिकता इससे भंग होगी। वह प्रश्न फिर तात्कालिक न हो कर उस फिल्म को बैन करने का प्रश्न आ जाता है। मौर्य जी के संशोधन से वह अधिकार आप हासिल कर लेते हैं। खंड ६ के मूल स्वरूप में वह अधिकार इस सरकार को नहीं प्राप्त होता। इसलिये मैं इसको वैध करार देता हूं और इसमें इस सम्बन्ध में और कोई बहस नहीं होगी। इस खंड को वैध समझ कर ही आगे के जो संशोधन हैं उन पर विचार किया जायगा।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (२) के शब्द "अथवा राज्य सरकार से भिन्न किसी अन्य लाइसेंस अधिकारी" निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, यह मेरा संशोधन इस माने में महत्वपूर्ण है कि खंड ६ के उपखंड (१) में किसी भिन्न लाइसेंस अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त ही नहीं है। श्रीमन्, आप पढ़ने की कृपा करेंगे खंड ६ के उपखंड (१) को, वह इस प्रकार है--"यदि राज्य सरकार अथवा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की, जैसी भी दशा हो, राय हो कि किसी फिल्म से, जिसका सार्वजनिक प्रदर्शन हो रहा है, शांति भंग होने की संभावना है तो राज्य सरकार समस्त उत्तर प्रदेश अथवा उसके किसी भाग के सम्बन्ध में तथा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के अधीन जिले के सम्बन्ध में, आज्ञा देकर फिल्म के प्रदर्शन को स्थगित (suspend) कर सकते हैं।"

इसमें या तो राज्य सरकार को स्थगित करने का अधिकार मिला हुआ है या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को मिला हुआ है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से भिन्न लाइसेंस अधिकारी को कोई अधिकार खंड ६ के उपखंड (१) में नहीं मिला हुआ है। अब उपखंड (२) इस प्रकार है, यदि मेरा संशोधन नहीं माना जाता है --

"यदि उपधारा (१) के अधीन कोई आज्ञा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अथवा राज्य सरकार से भिन्न किसी अन्य लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दी जाय तो उसकी एक प्रति तत्सम्बन्धी कारणों के विवरण सहित उसके राज्य द्वारा सरकार को तुरन्त भेजी जायगी।"

अब राज्य सरकार से भिन्न किसी लाइसेंस प्राधिकारी को उपधारा (१) के अधीन कोई अधिकार तो मिला ही नहीं है तो वह आज्ञा कहां से देगा? इसलिये यह संशोधन, कि इन शब्दों को "अथवा राज्य सरकार से भिन्न किसी अन्य लाइसेंस अधिकारी" इन्हें निकाल दिया जाय, मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस स्पष्टीकरण के बाद मेरे इस संशोधन को मान लेंगे।

श्री जगनप्रसाद रावत--माननीय तिवारी जी ने जो यह संकेत किया है कि "लाइसेंसिंग अथारिटी" यानी लाइसेंस प्राधिकारी यह शब्द उपखंड (१) में नहीं हैं और (२) में हैं और इससे वह अधिकार उनको नहीं मिलता यह बात सही मालूम होती है। यह शब्द मुझे भी कुछ अनावश्यक से प्रतीत होते हैं। लेकिन इनके होने से भी हमारा जो यह अधिनियम है इसमें कोई खास कठिनाई नहीं आती है लेकिन अगर मान लेते हैं तो हमें इस बिल को फिर कौंसिल में वापस भेजना पड़ेगा। इसलिये इस समय तो नहीं लेकिन बिल पास होने के बाद फिर कोई आवश्यकता होगी तो कोई अमेंडिंग बिल लाकर इस गलती को हम सुधार लेंगे। इसलिये मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि इस समय वह इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष--माननीय नारायणदत्त तिवारी, यानी आपकी बात तो स्वीकार हो गयी है लेकिन वह आपसे अपील कर रहे हैं कि फिर कौंसिल में जाना पड़ेगा इसलिये आप इसको वापस ले लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अध्यक्ष महोदय, कौंसिल तो शायद बैठ रही है। गलती अगर हो गयी है तो उसको ठीक कर लेना उचित है। कौंसिल तो मेरे खयाल में बैठ रही है या फिर बैठ जायगी। इसलिये इसको मंजूर कर लें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष--प्रोरोग हो गयी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, अब यह संशोधन मेरे खयाल में मान ही लेना चाहिये। कौंसिल तो फिर मिलेगी ही बाद को।

श्री अध्यक्ष--तो वह मानने को तैयार नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (२) के शब्द "अथवा राज्य सरकार से भिन्न किसी अन्य लाइसेंस अधिकारी" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ --

पक्ष में—९

विपक्ष में–९७।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आपसे एक व्यवस्था जानना चहता हूं कि माननीय उपमंत्री जी ने यह विचार व्यक्त किया कि चूंकि कौंसिल नहीं मिल रही है इसलिये यह संशोधन नहीं माना जा सकता। इससे यह सिद्धांत स्पष्ट होता है कि चूंकि कौंसिल में भेजना पड़ेगा इसलिये कोई संशोधन नहीं भेजना चाहिये, इसलिये ये सब संशोधन बेकार हैं। क्योंकि हमें स्पष्ट हो गया है कि कोई संशोधन होना ही नहीं है इसलिये कि कौंसिल में ले जाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये शब्द उनके आपत्तिपूर्ण थे और यह सदन की परम्परा के लिये शोभनीय नहीं था। आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि उनकी राय इसी घड़ी ऐसी होगी आगे चल कर शायद परिवर्तित हो जाय क्या मालूम अगर आगे चल कर कोई ऐसा संशोधन हो जोकि बाधक हो किसी कार्य करने में या संचालन में तो माननीय मंत्री जी संशोधन को स्वीकार भी कर लेंगे। उनका यह कहना था कि उसमें निरर्थक वाक्य रहते हुये कोई बाधा संचालन में नहीं पैदा होती वह रिडंडेंट सा ही पड़ा रहेगा। "रिडंडेंट" कहा शब्द अगर ऐसा निकल आये कि उससे कार्य करने में नुकसान होता है जनता का और कार्य-संचालन में खराबी होती है ऐसी किसी चीज को वे समझ लें तो वे उसमें संशोधन स्वीकार करेंगे चाहे समय कितना ही व्यतीत हो जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मेरी एक बात और भी थी। बहुत से संशोधन तो ऐसे थे कि कुछ जोड़ना चाहते हैं और बहुत से ऐसे हैं जो घटाना चाहते हैं इसलिये यह तो उठना ही नहीं चाहिये कि.....

श्री अध्यक्ष--क्वेश्चन तो यह है कि मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूं। इस सदन को पूर्ण अधिकार है कि जो गलत हो और रिडंडेंट हो ऐसे शब्दों को भी किसी खंड में वह रहने दे। मैं सदन के अधिकार को सीमित नहीं कर सकता हूं।

श्री राजनारायण--मैं नारायण दत्त जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने बात सत्य बता दी। तो जो उन्होंने सौजन्यता दिखलाई उसके ऊपर हम कोई टीका-टिप्पणी न करें तो अच्छा है।

*श्री केशभान राय (जिला गोरखपुर) --माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (३) की पंक्ति १ के शब्द "अधीन" और शब्द "दी गयी" के बीच में शब्द "डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा" रख दिये जायं।

खंड ६ के उपखंड (३) में लिखा है-- 'इस धारा के अधीन दी गयी स्थगन की आज्ञा उसके दिनांक से दो मास तक प्रचलित रहेगी" इससे यह स्पष्ट है कि यह आज्ञा चाहे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा दी गयी हो अथवा राज्य सरकार द्वारा दी गयी हो उसकी अवधि केवल दो महीने है। फिर उसके बाद लिखा है :--

"किन्तु यदि राज्य सरकार की राय में उसका जारी रहना आवश्यक हो तो राज्य सरकार आदेश दे सकती है कि स्थगन आगे ऐसी अवधि तक जिसे वह उचित समझे बढ़ा दिया जायगा।"

इससे स्पष्ट है कि यदि राज्य सरकार प्रारम्भ से ही समझे कि स्थगन की आज्ञा ६ महीने होनी चाहिये तो पहले ही हुक्म में वह ६ महीने तक के लिये नहीं लिख सकती है। वह केवल २ महीने ही रख सकती है। दो महीने बाद उसे फिर विचार करना होगा कि आया स्थगन की अवधि को आगे बढ़ाना होगा। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं इस उपखंड के रखने का उद्देश्य यह है कि यदि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा आज्ञा दी गयी हो तो उसकी अवधि तो दो महीने हो लेकिन यदि सरकार द्वारा आज्ञा दी गयी हो तो उसकी अवधि दो महीने नहीं बल्कि जितनी वह उचित समझे दो महीने, चार महीने, छः महीने एक ही बार में आज्ञा दे सकती है। यदि सरकार का यह उद्देश्य नहीं है और वह चाहती है कि आदेश देने के दो महीने बाद फिर विचार करे कि अवधि बढ़ाई जाय अथवा नहीं तब तो कोई बात नहीं मेरा संशोधन वापस हो जायगा। लेकिन यदि सरकार का वही उद्देश्य है जो मैं समझा हूं तो जो संशोधन मैंने रखा है वह आवश्यक हो जाता है और मुझे आशा है कि मंत्री जी उसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--श्रीमन्, जो संशोधन इस वक्त सदन के सम्मुख है वैसे तो मैं उसके पक्ष में हूं और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को उसे मान लेना चाहिये। लेकिन एक दिक्कत है जिसकी वजह से मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। वह दिक्कत यह है कि अगर यह संशोधन मान लिया जायगा तो इस विधेयक को फिर कौंसिल में जाना पड़ेगा। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

*श्री राजनारायण--श्रीमन्, सदन में 'टिट फार टैट' नहीं होना चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि मंत्री जी ने कुछ कह दिया तो उसका बदला लेने के भाव से कुछ कहें। जो बात सही हो वह कहनी चाहिये। प्रश्न यह है कि केशभान जी चाहते हैं कि खंड ६ के उपखंड (३) की पंक्ति १ के शब्द 'अधीन' और शब्द 'दी गयी' के बीच में शब्द 'डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा' रख दिये जायं और जो आधार उन्होंने इस संशोधन को रखने का प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने कहा कि यदि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट स्थगन की आज्ञा दे तब तो राज्य सरकार दो महीने बाद फिर देखेगी कि उसको बढ़ाये या नहीं लेकिन यदि राज्य सरकार आज्ञा दे तो केशभान जी चाहते हैं कि उस पर कोई लिमिट न रहे, मैं विरोधी हूं। मैं तो यह समझता हूं कि जितना कम हस्तक्षेप यह सरकार करे उतना अच्छा रहेगा।

'ऐट दि स्पाट' डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को 'ला एंड आर्डर' को मेनटेन करने का सर्वेसर्वा बना दिया है लेकिन वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है और इसका अर्थ यह न लगा लें कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर ही सरकार ने ला ऐंड आर्डर को मेनटेन करने के लिये सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन मेरा अपना खयाल है और मैं स्पष्ट कहता हूं कि मैं इस बात से सहमत हूं कि उसको इस मामले में पूरे अधिकार नहीं हैं। इस तरह से तो वह गोली चलाकर सबको भून दे और सरकार उसको रोक नहीं सकती है। सरकार की प्रायमरी ड्यूटी ला ऐंड आर्डर मेनटेन करने की है। लेकिन यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सिनेमाओं का सवाल है, यदि किसी सिनेमा के प्रदर्शन से अशांति होती है तो वह उस जगह पर होगी जहां प्रदर्शन हो रहा है। उसको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अच्छी तरह से जान सकता है और कितने समय तक के लिये स्थगन की बात हो सकती है उसको वही कर सकता है। इस तरह से यदि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इसके द्वारा ज्यादा अधिकार दे दें कि ज्यादा समय तक उसको अधिकार रहे और राज्य सरकार के द्वारा कम समय तक रहे तब तो मैं इसका समर्थन कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय, केशभान राय जी ने जो संशोधन पेश किया है उसको सदन में स्पष्ट होना चाहिये। उस पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द्वारा स्थगन की आज्ञा पर प्रतिबन्ध हो सकता है लेकिन राज्य सरकार आज्ञा देगी तो प्रतिबन्ध नहीं रह जायगा। जिस रूप में यह विधेयक है उसमें सरकार ने कम से कम न्याय दृष्टि को सामने रखा है कि स्थगन की आज्ञा दो महीने में एक बार से ज्यादा न चले, चाहे वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा हो या राज्य सरकार द्वारा। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

मैं चाहता था, श्रीमन्, कि शांति और व्यवस्था कायम करने में सरकार जनता से भी कुछ सलाह लिया करे, राय लिया करे और जनता का जब प्रतिनिधि मंडल सरकार से सिफारिश करे या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से सिफारिश करे कि इससे शांति भंग होने की संभावना है तब भी उस पर उचित कार्यवाही होनी चाहिये। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को और राज्य सरकार को इसका खयाल होना चाहिये। यदि इस प्रकार के किसी संशोधन के रखने की माननीय अध्यक्ष हमें आज्ञा दें तो मैं रखने के लिये तैयार हूं कि जिस स्थान पर सिनेमा हो रहा है, वहां जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रतिनिधियों की दृष्टि में यह बात आती है कि फलां फिल्म के प्रदर्शन से अशांति होगी तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सरकार जरूर उसका खयाल करे। मैं केशभान राय जी के संशोधन को उचित नहीं समझता, इसलिये विरोध करता हूं।

*श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, मैंने इस संशोधन के पक्ष में श्री राजनारायण जी का भाषण बड़े गौर से सुना। मैं निष्पक्ष रूप से जहां तक समझता हूं वह यह है कि इसमें पावर के सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन की कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं कि केशभानराय समझते हैं और उन्होंने समझ-बूझकर ही इसको रखा है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के अख्तियारात और गवर्नमेंट के अख्तियारात अलग-अलग हैं। मान लिया जाय कि डिस्ट्रिक्ट में शांति भंग हो रही है और उसके कारण से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एक महीने के लिये किसी चल-चित्र को प्रतिबंधित करता है, एक महीने या दो महीने के बाद ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है कि जिले में कोई शांति भंग होने का अन्देशा नहीं रहे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उस फिल्म को अपने से प्रतिबंधित करेगा यह प्रश्न सामने है। यह प्रश्न हमारे सामने है कि जिले में चलचित्र पर एक महीने तक शांति भंग के बाद शांति होने पर कोई प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि जिलाधीश ऐसा समझता है तो प्रतिबन्ध हटा सकता है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति है जिससे राज्य सरकार यह समझती है कि दूसरी जगह चलने से शांति भंग होने का अन्देशा है, या किसी खास जगह उसके चलने की विशेष आवश्यकता है, तो राज्य सरकार की यह इच्छा हो सकती है कि वह प्रतिबन्ध लगाये। ऐसी हालत में मैं यह समझता हूं कि जिन महोदय ने यह संशोधन पेश किया है, उन्होंने सोच समझकर ही उसको पेश किया है।

जहां तक मल्ल जी के संशोधन का प्रश्न है, उन्होंने इस बात का जवाब दे दिया जिसमें टिट फार टैट उन्होंने कहा। राजनारायण जी के तर्क के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है किन्तु उनके विवेक से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करें और फिर वह देखेंगे कि इस धारा ६ में इस तरह से एक मिलाजुला ताल्लुक था क्योंकि इस धारा में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और राज्य सरकार दोनों को अधिकार देने की व्यवस्था है। केशभान राय जी ने चाहा था कि वह यहां पर आ जाय तो मैं समझता हूं कि वह उपयुक्त है और इनका संशोधन अपनी जगह पर बहुत क्लेरिफाइ करता है। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगनप्रसाद रावत--जो संशोधन पेश है उस संशोधन को स्वीकार कर लेने में एक कठिनाई यह हो जाती है कि हम जो दो महीने की अवधि ले रहे हैं उसके बजाय हम उसको बिलकुल बन्द कर दें लेकिन इस धारा का यह अर्थ नहीं है जैसा कि मैंने कहा कि हमको चलचित्र रोकने का अधिकार है। अगर शांति भंग होने की आशंका हो उस वक्त हम कुछ समय के लिये कुछ परिस्थिति में उसको रोकने के लिये आज्ञा ले रहे हैं। इसलिये अगर हम पूर्णरूप से रोकने का अधिकार ले लें तो यह उचित नहीं होगा। इसलिये जिला मैजिस्ट्रेट हो या सरकार हो शुरू में ऐसी आशंका मालूम होती है चाहे वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को स्थानीय आशंका मालूम होती हो या जन प्रतिनिधियों के द्वारा मालूम होती हो। तो कुछ समय के लिये हम चाहते हैं कि उस प्रदर्शन को रोक दिया जाय और उसके बीच में ऐसी व्यवस्था कर दी जाय जिससे फिर शांति भंग न हो। इसलिये जो धारा का उपखंड रखा गया है उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

श्री केशभानराय--चूंकि सरकार ने अपनी इच्छा प्रकट की है कि राज्य सरकार दो महीने तक नियंत्रण रख सकती है। इसलिये मैं इसको उचित समझ कर अपना संशोधन वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, मैं खंड ६ का विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि खंड ६ इसमें से निकाल दिया जाय। इसके कई कारण हैं। एक तो कारण यह है कि जैसाकि जनरल डिस्कशन के समय मैंने इस सदन के सामने कहा था कि अगरचे इस किस्म के अधिकार दिये जायेंगे तो इनका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दुरुपयोग कर सकता है। उस पर माननीय मंत्री जी ने कुछ बातें बतलाईं, कुछ उपदेश दिया कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऐसे हैं कि जो हम लोगों से भी ऊंचे हैं। मैं मानता हूं कि कुछ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे जो हम लोगों से बहुत ऊंचे दर्जे के होंगे, उनका आचरण बहुत ऊंचा होगा, इसको मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि प्रान्त में जितने भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं वह सब ऊंचे आचरण के हैं। मैं जानता हूं और मुझे तजुर्बा है कि ऐसे-ऐसे मैजिस्ट्रेट भी हैं कि जिनसे अगर थोड़ा मतभेद हो जाय तो किसी भी चीज को लेकर वह उनके पीछे पड़ जाते हैं और जिस तरह से हो उसे बरबाद करने की कोशिश करते हैं। इसके प्रमाण हम लोगों के पास मौजूद हैं। उनका कैसा आचरण है और उन्होंने लोगों से मिलकर किस तरह से रुपया गबन किया है यह सब भी हम लोगों के पास मौजूद है। लेकिन अगर शिकायत भी की जाय तो सरकार सुनने के लिये तैयार नहीं है। मेरी कहने की मंशा यह है कि जब हम कानून बनाते हैं तो हमें यह नहीं सोचना चाहिये कि जितने भी आदमी उस कानून के मातहत काम करेंगे वह सब साधू होंगे, उनका आचरण बहुत ऊंचा होगा। यह भी हो सकता है कि उस कानून की पाबन्दी करने वाले कुछ लोग ऐसे भी हों कि उस कानून से, जिसमें कि उनको अख्तियार मिले हैं, वह नाजायज फायदा उठायें। जब कानून बनता है तो वह इस दृष्टिकोण को रख कर बनता है कि अगर किसी खराब आदमी के हाथ में भी यह पावर चली जाय तो वह भी इसका दुरुपयोग न कर सके। यह खयाल रख कर कानून नहीं बनाया जाता कि जिसको अख्तियार दिया जायगा वह साधू होगा। यह तो नामुमकिन है कि सारे आदमी ही ऊंचे आचरण के हों। कुछ ऊंचे होंगे और कुछ रद्दी से रद्दी आचरण के होंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होने के काबिल भी नहीं हैं, लेकिन सरकार आंख मूंद कर अपने उन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों को सपोर्ट करती है चाहे वह कितना ही गलत काम करें, इसीलिये मैं तो इसका विरोध करता हूं। और फिर, श्रीमन्, दूसरी चीज यह है कि इसमें कुछ कूड़ा करकट भी भर गया है जिसको कि माननीय मंत्री जी भी कबूल करते हैं। कानून में कूड़ा करकट नहीं रहना चाहिये। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह गलत है, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि कौंसिल नहीं बैठी है इसलिये इसको हम इसमें रखना चाहते हैं और फिर इसको अमेंड करने के लिये बिल ले आयेंगे। कौंसिल में जा कर पास नहीं हो सकता, लेकिन फिर बिल आ सकता है। तो आप देखें कि कितना खर्चा होगा। मैं ठीक

नहीं जानता कि कितना खर्च होगा कौंसिल में जाने में और कितना खर्च होगा अलग बिल लाने में। इसका हिसाब तो सरकार ही लगा सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि कौंसिल में कुल ५,१० मिनट लगेगा जब कि दूसरी बार बिल लाने में समय भी अधिक लगेगा और खर्च भी अधिक होगा। इस कारण से भी मैं इसका विरोध करता हूं।

तीसरी चीज यह है कि एक बोर्ड आफ सेंसर बना हुआ है। वह फिल्मों में जो गड़बड़ी होती है उसे काट छांट कर निकाल देता है। ऐसी कोई फिल्म नहीं बनने पाती कि जिससे झगड़ा पैदा हो सकता हो। मैं नहीं जानता कि फिल्म देखने के बाद कहीं झगड़ा हुआ हो। हां, यह हो सकता है कि टिकट के बारे में सिनेमा वालों में और जनता में झगड़ा हो जाय या जब मशीन फेल हो जाय तो सिनेमा देखने वालों में और सिनेमा वालों में झगड़ा हो जाय लेकिन किसी फिल्म के देखने से झगड़ा हो सकता है ऐसा मैं नहीं समझता। माननीय मंत्री जी शायद जानते हों और अगर कोई ऐसी फिल्म है तो मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आपका जो बोर्ड आफ सेंसर है उसे आप तोड़ दीजिये। क्यों वह ऐसी फिल्म बनाता है, पास करता है कि जिससे झगड़ा पैदा हो? अगर उसमें इस किस्म के लोग हैं तो उनको निकाल कर बाहर कीजिये। तो मैं नहीं समझा कि इस तरह से कोई झगड़ा होने की संभावना है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और चाहता हूं कि यह धारा इसमें से निकाल दी जाय।

श्री जगनप्रसाद रावत—माननीय जगन्नाथ मल्ल जी के भाषण के बाद भी मैं यह नहीं समझ सका कि वह क्यों इस धारा को निकालना चाहते हैं। इसलिये मैं इस सदन का अधिक समय नहीं लेता हूं, क्योंकि उन्होंने जो दलीलें दी हैं उनसे सभी लोग परिचित हैं। इस संशोधन को मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब मैं आपको मौका नहीं दे सकता। आपको उनके बोलने के पहले कहना चाहिये था।

प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७

लाइसेंस स्थगित करने, वापस लेने अथवा निरस्त करने का अधिकार।

७—(१) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार अथवा लाइसेंस प्राधिकारी निम्नलिखित के आधार पर किसी भी समय धारा ५ के अधीन दिया गया लाइसेंस स्थगित कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं अथवा वापस ले सकते हैं (may suspend, cancel or revoke)—

(क) लाइसेंस छल से अथवा गलत बात बताकर (by fraud or misrepresentation) प्राप्त किया गया था; अथवा

(ख) लाइसेंस गृहीता, इस अधिनियम अथवा तदन्तर्गत निर्मित नियमों के उपबन्धों के, लाइसेंस में उल्लिखित किन्हीं शर्तों अथवा निरोधों के, अथवा धारा ५ की उपधारा (४) के अधीन प्रचारित किसी भी आदेश के उल्लंघन का दोषी है; अथवा

(ग) लाइसेंस प्राप्त स्थान की स्थिति में किसी भी परिवर्तन के हो जाने के कारण लाइसेंस जारी रहना शोभनीयता अथवा नैतिकता के लिये अहितकर (prejudicial to decency or morality) समझा जाता है; अथवा

(घ) लाइसेंस गृहीता धारा ८ के अधीन किसी अपराध का दोषी सिद्ध हो गया है ।

(२) जब राज्य सरकार अथवा लाइसेंस प्राधिकारी की राय हो कि धारा ५ के अधीन दिया हुआ लाइसेंस स्थगित अथवा निरस्त कर देना चाहिये अथवा वापस ले लेना चाहिये तो वह यथाशीघ्र लाइसेंस-गृहीता को वह आधार बतलायेंगे जिनके अधीन कार्यवाही करने का प्रस्ताव है तथा उसे उसके विरुद्ध निवेदन-पत्र (representation) प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करेंगे ।

(३) यदि निवेदन-पत्र पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार अथवा लाइसेंस प्राधिकारी, जैसी भी दशा हो, संतुष्ट हो कि लाइसेंस स्थगित, निरस्त अथवा वापस होना चाहिये तो वह तदनुसार आज्ञा देगी और उसे तत्सम्बन्धी लिखित आधारों के साथ लाइसेंस गृहीता को बतलायेगी ।

(४) यदि उपधारा (३) के अधीन लाइसेंस स्थगित या निरस्त करने अथवा वापस लेने की आज्ञा लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा दी गयी हो, तो उक्त आज्ञा द्वारा क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति आज्ञा प्राप्त होने से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है, जो ऐसी आज्ञा दे सकती है, जिसे वह उचित समझे ।

(५) राज्य सरकार की आज्ञा अंतिम (final) होगी ।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (१) के भाग (ग) की पंक्ति १ के शब्द 'स्थिति' के बाद शब्द 'अथवा सान्निध्य (or environments)' रख दिये जायं ।

श्रीमन्, जो खंड ७ के उपखंड १ का भाग (ग) है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किसी स्थान में जहां सिनेमा प्रदर्शित होता हो उसकी स्थिति बिगड़ गयी हो या खराब हो गयी हो तो लाइसेंस रिवोक किया जा सकता है । लेकिन मेरा ऐसा खयाल है कि इस 'स्थिति' शब्द से काम नहीं चलेगा । उसके चारों तरफ जो बाजार वगैरह है, अगर वहां भी कोई विशेष घटना हो जाती है, कुछ बुरे कैरेक्टर के लोग वहां बस जाते हैं या वहां और अनैतिक कर्म होने लगता है तो हमें उस हालत में भी लाइसेंस रिवोक करने का अधिकार होना चाहिये । यह इस शब्द 'स्थिति' से स्पष्ट नहीं होता । इसलिये मैंने उसके लिये सान्निध्य शब्द का प्रयोग किया है ।

श्री जगन प्रसाद रावत--जहां तक मैं समझता हूं स्थिति शब्द में सान्निध्य शब्द का समावेश हो जाता है और इससे काम चल सकता है इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (१) के भाग (ग) की पंक्ति १ के शब्द 'स्थिति' के बाद शब्द 'अथवा सान्निध्य (or environments)' रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (२) की पंक्ति ४ के शब्द 'आधार' और शब्द 'बतलायेंगे' के बीच में शब्द 'लिखकर' रख दिया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन् यह खंड इस प्रकार से है---

"(२) जब राज्य सरकार अथवा लाइसेंस प्राधिकारी की राय हो कि धारा ५ के अधीन दिया हुआ लाइसेंस स्थगित अथवा निरस्त कर देना चाहिये अथवा वापस ले लेना चाहिये तो यथाशीघ्र लाइसेंसगृहीता को वह आधार बतलायेंगे जिनके अधीन कार्यवाही करने का प्रस्ताव है तथा उसे उसके विरुद्ध निवेदनपत्र प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान करेंगे।"

इसमें जो शब्द बीच में आये हैं उनमें लिखा हुआ है कि "आधार बतलायेंगे"। यह बताना जबानी भी हो सकता है और लिखकर भी हो सकता है। अगर किसी को कुछ बताया नहीं गया और कह दिया कि जबानी बता दिया गया था, यह चीज गलत हो जायगी। इसके आगे फिर यह भी है कि वह अपना रिप्रेजेन्टेशन कर सकता है तो उसका जवाब दिया जायगा। इसमें यह हो सकता है कि कोई अधिकारी चाहे तो न लिखे और चुपके-चुपके कर दे और जवाब भी न दे और इस तरह से हो सकता है कि लाइसेंस कैंसिल हो जाय। यह बहुत बड़ा खतरा है और इसको बचाने के लिये मैं समझता हूं कि यह जरूरी है कि इसमें "लिखकर देना" अनिवार्य कर दिया जाय। इस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति या सरकारी अधिकारी गलती करता है तो सरकार उससे जवाब तलब कर सकती है।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, मैं अपने इस संशोधन पर बोल रहा था कि जहां पर लाइसेंसिंग अधिकारी किसी के लाइसेंस को कैंसिल करना या उसको सस्पेंड करना चाहे तो उसका आधार वह सिनेमा के मालिक को बतलायेगा कि किस आधार पर वह कैंसिल करना चाहता है। सिनेमा मालिक उसको जवाब देगा और उसके बाद वह अधिकारी उसके ऊपर फैसला देगा। इसमें है कि "बतलायेगा" लेकिन मेरा संशोधन है कि "लिख कर बतलायेगा"। ऐसा तो सरकारी दफ्तरों में भी होता है कि अगर किसी कर्मचारी को सस्पेंड करना होता है या उसका डिस्मिसल करना होता है तो लिखकर ही उससे एक्सप्लेनेशन मांगा जाता है। इसी तरह से जो मिल के मजदूर हैं उनके लिये जो स्टैंडिंग आर्डर्स बने हुये हैं उसमें भी यह है कि अगर वह गलती करता है तो उससे मिलमालिक लिखकर पूछेगा और जब वह मजदूर जवाब देगा तभी कार्यवाही हो सकती है अन्यथा उससे पूछे बगैर यदि उसने डिस्मिसल कर दिया तो वह डिस्मिसल रद्द माना जायगा। श्रीमन्, यह नेचुरल जस्टिस भी है कि यदि आप किसी को भी सजा देना चाहें या किसी का रोजगार बन्द कर देना चाहें तो उससे लिखित पूछना चाहिये और उसका जवाब लेकर तभी निर्णय देना चाहिये। तो नेचुरल जस्टिस भी यही कहती है। इस लिये मैं समझता हूं कि यह बहुत सीधा सादा संशोधन है और माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री जगन प्रसाद रावत--माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने जो संशोधन दिया कि "बतलायेगा" के स्थान पर "लिखकर बतलायेगा" रखा जाय तो "बतलायेगा" शब्द के अन्दर कहने, लिखने से सबसे बतलायेगा आता है, लेकिन यदि ऐसा महसूस हो कि लिखकर बतलायेगा ही से काम चल सकता है तो जिस समय इसके रूल्स बनेंगे उस समय हम आपके सुझावों पर ध्यान रखेंगे और आवश्यकता होगी तो उस शब्द का प्रयोग करने की वहां पर कोशिश की जायगी।

श्री जोरावर वर्मा--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है वह बहुत कुछ ठीक है क्योंकि वह आधार बतलायेगा तो कुछ न कुछ तो आधार होगा ही क्योंकि लिखकर ही तो दिया जायगा हालांकि इसमें यह लिखा हुआ नहीं है। माननीय मंत्री जी ने विश्वास भी दिलाया है कि नियमों में यदि आवश्यक होगा तो उसका समावेश हो जायगा। इस लिये मैं समझता हूं कि मंत्री जी का सुझाव ठीक है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है इसलिये माननीय जगन्नाथ मल्ल जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से न तो मैं प्रस्तुत किये गये संशोधन के पक्ष में हूं और न जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है उससे सहमत हूं। इसमें रख दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो लाइसेंसिंग अथारिटी होगा यदि वह समझता है कि किसी फिल्म के प्रदर्शन से शांति भंग होने की सम्भावना है तो उससे वह एक एक्सप्लेनेशन पूछेगा, उसको नोटिस दिया जायेगा। नोटिस देने के बाद ही उत्तर आयेगा। इससे यह तो नहीं समझा जा सकेगा कि यह सब कार्यवाही मौखिक होगी। वहीं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या लाइसेंसिंग अथारिटी उससे जवाब तलब करे, वहीं जवाब सुने और वहीं आर्डर दे दे तो इसके मानी यह है कि जो कार्यवाही होगी वह लिखित होगी, मौखिक नहीं होगी। लिहाजा जो संशोधन रक्खा गया है उसमें कोई सार नहीं है और मंत्री जी ने जो जवाब दिया कि भविष्य में कुछ आवश्यकता होगी तो परिवर्तन कर दिया जावेगा। उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जो कार्यवाही होगी वह लिखित होगी। इसलिये जो संशोधन रक्खा गया है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, वीरेन्द्रपति यादव जी ने न तो इस धारा को समझने की कोशिश की है और न मैं यही समझ पाया, जैसा उन्होंने कहा कि न तो वे इसके पक्ष में हैं और न विरोध में हैं। श्रीमन्, इस धारा से ला एंड आर्डर से कोई मतलब नहीं है। इस धारा में यह नहीं है कि ला एंड आर्डर ब्रेक होगा तो पिक्चर बन्द कर दिया जायगा। अगर उससे कानून भंग होता है तो उसका लाइसेंस सस्पेंड करने के लिये यह कार्यवाही की जायगी। मैं तो कहूंगा कि अगर यादव जी पढ़ें तो समझ जायेंगे कि ला एंड आर्डर से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरे यह कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब रूल बनेंगे तो हम इसको ध्यान में रक्खेंगे और जब हमारे जोरावर वर्मा जी की भी राय है तो हम हठधर्मी कभी नहीं करते। कल जो संशोधन आया था स्कूलों वाला उसको तो होना चाहिये लेकिन यह छोटी सी चीज है और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा रूल में रख देंगे मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। यह ऐक्ट में ही रहे यह कोई जरूरी नहीं है जो बात उधर से ठीक कही जाती है उसे हम मान लेते हैं, वैसे ही हम लोग अगर कोई उचित बात कहें तो उसे माननीय मंत्री जी मान लें। एक और कारण संशोधन वापस लेने का यह भी है कि अगर लिख कर दिया जायगा तो फिर यह कौंसिल में पास होने के लिये जायगा। तो श्रीमन्, मैं अपने इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

अधिनियम के उल्लंघन के हेतु शास्तियाँ।

८--यदि किसी चल-चित्र यंत्र का स्वामी अथवा अवधायक (incharge) व्यक्ति उसे इस प्रकार प्रयुक्त करता है अथवा प्रयुक्त होने देता है, अथवा यदि किसी स्थान का स्वामी अथवा अध्यासी उस स्थान को इस प्रकार प्रयुक्त होने देता है जिससे अधिनियम के अथवा उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों का, तथा उन शर्तों और निरोधों का जिन पर अथवा जिनके अधीन इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया गया हो, उल्लंघन होता हो तो वह अर्थ दंड द्वारा दंडित हो सकेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, तथा अविरत अपराध (continuing offence) की दशा में वह और अधिक अर्थदंड द्वारा दंडित हो सकेगा जो प्रत्येक दिन के लिये, जब तक अपराध होता रहे, पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष--खंड ८ के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्रपति यादव ने एक संशोधन दिया है और वह इस प्रकार है "खंड ८ की पंक्ति ७ के शब्द 'वह' से लेकर पंक्ति ८ के शब्द 'है' तक निकाल कर उसके स्थान पर शब्द 'वह ६ माह तक के सादा कारावास के दंड से दंडित

किया जा सकेगा अथवा १,००० रुपये तक का अर्थ-दंड दिया जा सकेगा अथवा दोनों' रख दिये जायं" इसका नोटिस समय पर नहीं मिला है ।

श्री जोरावर वर्मा--मेरा संशोधन भी इसी के पक्ष में है ।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सदस्य का संशोधन दूसरा है । यह तो बिल्कुल नया है । क्रम के अनुसार वह पहले आता है इसलिये मैंने उसे पहले लिया ।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--ऐसी हालत में मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं ।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ की पंक्ति ८ में शब्द "एक" के स्थान पर शब्द "दो" रख दिया जाय ।

बड़ा छोटा सा संशोधन है । वैसे फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को एक हजार तक के जुरमाने का अख्तियार दिया गया है और अगर एक हजार यहां रखा जाय तो वह अपनी सीमा के अनुसार वह दंड देंगे । ऐसे कसूरों के लिये जो सिनेमा के सम्बन्ध में लाइसेंस वगैरह के प्रतिकूल बातें की जायं, केवल एक ही हजार का दंड निर्धारित किया जा रहा है । माननीय उप-मंत्री महोदय को यह पता है कि सिनेमा वाले कितने बड़े पूंजीपति हैं, कितना बड़ा व्यवसाय करते हैं । एक हजार तो उनके लिये कोई चीज है ही नहीं । इस पर मुझे एक किस्सा याद आता है कि किसी व्यक्ति ने कोई बड़ा भारी जुर्म किया और उस जुर्म में बड़ी भारी सजा थी तो बीरबल के पास गया कि मुझे कम दंड मिले ऐसा कोई उपाय बताइये । तो बीरबल ने बताया कि जब तुम्हारी पेशी हो तो तुम कह देना कि जिसको मैं कहूं वही मुझे दंड दे और तुम किसी गरीब आदमी को चुन लेना । वैसा ही उसने किया गरीब आदमी की क्षमता जो थी उसने उस बड़े भारी कसूर के लिये पांच रुपये दंड लगा दिया । वह पांच रुपया उसके समझ में आया बहुत है । दंड की व्यवस्था में किस व्यक्ति के खिलाफ हम नियम बना रहे हैं इसका ध्यान बहुत जरूरी है । एक गरीब आदमी के लिये पांच रुपया का दंड जो है वही बड़े पूंजीपति के लिये पांच हजार का भी कम हो सकता है । इस बात को ध्यान में रखते हुये दंड का विधान होना चाहिये । वैसे आगे जोरावर वर्मा जी का संशोधन है कि सजा का भी विधान किया जाय । पूंजीपतियों के लिये तो पैसे का दंड कोई दंड नहीं है । वह जब तक सजा कुछ न रखी जाय तब तक तो उनके लिये वह कानून कानून है ही नहीं । मैंने तो केवल यही रखा है कि एक के स्थान पर दो कर दिया जाय । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह तो कर ही दिया जाय उसके बाद माननीय सदस्य ६ महीने की सजा भी मान लें तो दोनों बात मिलकर पूर्ति हो जायगी । मुझे ऐसा आभास मिल रहा है कि माननीय सदस्य इस संशोधन को एप्री-शिएट तो कर ही रहे हैं बल्कि इसको कम समझ रहे हैं । इसलिये मुझे आशा है कि यह संशोधन अवश्य माननीय उपमंत्री महोदय स्वीकार करेंगे । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक से दो हमेशा अच्छे होते हैं । अकेले कोई काम होता नहीं ठीक, एक हाथ से तो ताली भी नहीं बजती जब तक दो हाथ न मिलें। इसलिये अगर ताली बजानी है और इन सिनेमावालों को कानून तोड़ने से रोकना है तो कम से कम एक के बजाय दो अवश्य कर दिया जाय। यह मेरा ऐसा अनुरोध है और मैं समझता हूं कि माननीय उपमंत्री जी इसे मान लेंगे । माननीय ग्रामवासी जी कह रहे हैं एक आंख फोड़ने से आदमी एक ही आंख का अन्धा होता है और दोनों फोड़ देने से दोनों आंख का अन्धा हो जायगा । तो कानून का तो यही मंशा होता है कि जरायम एकदम से बन्द हो जाय । अगर कोई दो आंख से जरायम करता है तो एक ही आंख अगर फोड़ी जायगी तो दूसरी आंख से वह जरायम करता रहेगा । इसलिये उसकी दोनों आंख फोड़ देनी आवश्यक है जिससे बिलकुल उसका जरायम करना बन्द हो जाय और माननीय अध्यक्ष महोदय, सिनेमा अगर एक आंख नहीं है, तो दूसरी आंख से भी देखा जा सकता है । अगर उसे बन्द करना है तो दोनों आंख फोड़ देनी चाहिये जिससे वह बन्द हो सके । तो इसमें दो जरूर होना चाहिये । इसलिये यह एक आंख और दो आंख वाली

[श्री द्वारका प्रसाद मौर्य]

मिसाल भी बड़ी ठीक बैठती है। मैं समझता हूं कि दोनों आंख फोड़ देनी चाहिये। तो मेरा संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिये नहीं तो सिनेमा वाले बड़े-बड़े पूंजीपति जो हैं, उनके साथ उदारता का व्यवहार हो जायगा जहां कि कुछ सख्ती होनी चाहिये।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि अपने माननीय मौर्य जी के विचारों से सहमत नहीं हूं। यदि यह उद्देश्य हो कि यह सिनेमा व्यवसाय जो भविष्य के लिये एक आशीर्वाद हो सकता है और देश के अन्दर लोगों की सुरुचि के बनाने में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है इसको विनष्ट करना हो तब तो चाहे जैसा कानून बना दिया जाय। मेरा विचार है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपराध करता है और वह दंडित होता है उसी प्रकार एक सीमा को पार करने पर व्यवस्थापिका सभा स्वयं भी अपराधी होती है। एक को कातिल मारता है और एक को जज कुर्सी पर बैठ कर मारता है। लेकिन उसमें कुछ सद्‌उद्देश्य होता है। इसलिये हमारे सामने कुछ उद्देश्य होना चाहिये। इस सिनेमा व्यवसाय के अन्तर्गत हम अच्छी वस्तुयें भी ला सकते हैं। हमारे आदरणीय मौर्य जी का अगर यह विश्वास है कि यह कोई जघन्य वस्तु है, कोई हेय वस्तु है, यदि ऐसा है तब तो कोई भी सीमा आप रख सकते हैं। धारा ८ के अन्तर्गत प्रत्येक दिन के लिये ५०० रु० के दंड की व्यवस्था है। इसलिये एक हजार का जो दंड है यही बहुत पर्याप्त है। यह कभी सम्भव नहीं है कि जितने भी सिनेमा के व्यवसायी हैं वे सब इतने प्रभावशाली या इतने बड़े हों कि वह सब मुद्रा की नीति पर अपराध करते रहेंगे। समय आगे बढ़ रहा है इसलिये हमें समय की गति को देखना चाहिये और इन सब बातों को सामने रखते हुये मैं माननीय मौर्य जी के विचारों का विरोध करता हूं और जो उन्होंने संशोधन उपस्थित किया है उसका मैं घोर विरोध करता हूं।

***श्री रामेश्वरलाल** (जिला देवरिया)---मान्यवर, मैं माननीय द्वारका प्रसाद जी मौर्य का संशोधन और उसके पक्ष में प्रस्तुत तर्क दोनों को सुन कर बड़ा हैरान हुआ। यदि आप धारा ८ को देखें तो वह इस प्रकार है --

यदि किसी चल-चित्र यंत्र का स्वामी अथवा अवधायक व्यक्ति जो इस प्रकार प्रयुक्त करता है अथवा प्रयुक्त होने देता है, अथवा यदि किसी स्थान का स्वामी अथवा अध्यासी उस स्थान को इस प्रकार प्रयुक्त होने देता है जिससे अधिनियम के अथवा उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों का, तथा उन शर्तों और निरोधों का जिन पर अथवा जिनके अधीन इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया गया हो, उल्लंघन होता हो तो वह अर्थ दण्ड द्वारा दंडित हो सकेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है। उसके लिये एक हजार की व्यवस्था इसमें है, माननीय मौर्य जी दो हजार की चाहते हैं। इसमें दो बातें हैं कि चल-चित्र यंत्र का स्वामी और उस स्थान का स्वामी जहां पर चल-चित्र चलाया जाय, दोनों के लिये एक हजार दण्ड की व्यवस्था है। माननीय मौर्य जी की अगर दो हजार की दंड व्यवस्था हो जाय तो इसका तात्पर्य यह होगा कि चल-चित्र यन्त्र जो चलावे वह भी और जिस किसी स्थान में चले उसका स्वामी दोनों दो हजार के दंड के भागी हों। माननीय मौर्य जी के इस तर्क से मैं सहमत हूं कि पूंजी वाले---पूंजीपति तो नहीं कह सकता लेकिन पूंजी वाले विशेष प्रकार के लोग ही चल-चित्र दिखाने की व्यवस्था करते हैं या सिनेमा-गृह खोलते हैं, लेकिन जो अध्यासी हैं किसी स्थान का या जमीन का वह भी पूंजीपति हो ऐसा कैसे मौर्य जी ने समझ लिया? मैं समझता हूं कि अगर इस चीज को मान लिया जाय तो गांव समाजों के सभापति, नोटिफाइड एरिया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन भी जो अपने अन्दर निहित भूमि के स्वामी हैं वह भी माननीय मौर्य जी के इस संशोधन को मान लेने के बाद बड़े दंड के भागी हो जायंगे, मैं चूक गया इस पर संशोधन देने से। मेरा संशोधन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है, इसलिये मैं कैसे इस पूरे का विरोध करूं, लेकिन यह निश्चित है कि यह जो रखा गया है स्थान का स्वामी, इससे बड़ा अनर्थ होने वाला है। मैं नहीं समझता कि माननीय मौर्य जी ने कैसे स्थान वाले को भी और चल-चित्र वाले दोनों को पूंजीपति समझ लिया। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

जहां तक मौर्य जी के तर्कों की बात है, मैं यह उम्मीद नहीं करता था कि माननीय मौर्य जी से ऐसा तर्क सुनने को मिलेगा कि दो हमेशा अच्छे होते हैं। यह क्या तर्क है? दो अच्छा होता है, लेकिन क्या मौर्य जी कहेंगे कि ईश्वर अगर एक है तो वह अच्छा नहीं है, और एक की जगह दो ईश्वरों की वह कल्पना करेंगे? सूर्य एक है, लेकिन अगर माननीय मौर्य जी दो सूर्यों की कल्पना करें तो क्या वह सम्भव है? चन्द्रमा क्या वह एक के स्थान पर दो बनाना चाहते हैं? यह क्या तर्क है जो उन्होंने सदन के सामने प्रस्तुत किया? मान्यवर, मौर्य जी एक हैं, यहां सदन में और घर में भी एक होंगे। तो यह कल्पना तो मैं नहीं कर सकता कि वह दो हो जायंगे। इसलिये यह कोई तर्क इसके पक्ष में नहीं है।

मान्यवर, जहांतक माननीय मौर्य जी ने अकबर के जमाने की कुछ बातें कहीं और अकबर की ५ रुपये जुर्माने की बात उन्होंने कही, लेकिन उनको सोचना चाहिये कि आज कल के ५ रुपये और अकबर के जमाने के ५ रुपये की क्या कीमत है। उस वक्त ५ रुपये का एक तोला सोना मिलता था और आज करीब १००—८० रुपया उसके लिये देने पड़ते हैं। तो इन चीजों को मैं नहीं बताना चाहता, काफी विद्वान लोग हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि चल-चित्र यन्त्र के चलाने वाले और चलाये जाने के स्थान के स्वामी दोनों को दो हजार रुपये से दंडित करना चाहते हैं, इसका घोर विरोध सदन को करना चाहिये और मैं घोर विरोध करता हूं।

श्री जगन प्रसाद रावत—मेरा खयाल है कि जब विद्वानों में मत-भेद हो तो स्टेटस को रखना ही ज्यादा अच्छा है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—यह तो अच्छा रास्ता माननीय उपमंत्री जी ने निकाला कि अगर दो आदमियों में मत-भेद हो तो वह चीज अपनी जगह पर क़ायम रहे। इसलिये मैं अपना संशोधन वापस लिये लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री उपाध्यक्ष—श्री जोरावर वर्मा, आप अपने संशोधन को पेश करें, लेकिन भाव वही रहें, भाषा में सुधार कर सकते हैं।

श्री जोरावर वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने संशोधन की भाषा ही बदल रहा हूं, भाव ज्यों के त्यों हैं। खंड ८ की पंक्ति ७ के शब्द 'वह' और पंक्ति ८ के शब्द 'तथा' के बीच के शब्द निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं :—

> "दंड का भागी हो सकेगा, जो एक हजार रुपये तक का आर्थिक दंड अथवा ६ महीने तक का साधारण कारावास का दंड अथवा दोनों प्रकार के दंड साथ-साथ हो सकते हैं;"

उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसा माननीय मौर्य जी ने कहा था कि यदि पूंजीपति कोई अपराध या कानून के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो उनके लिये केवल आर्थिक दंड उचित नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके लिये रुपये की कोई कमी नहीं है चाहे १ हजार के बदले २ हजार कर दिया जाय। दूसरी चीज मैं इस विधेयक में यह देख रहा हूं कि कोई कारावास का दंड इसमें नहीं है, केवल आर्थिक दंड की ही व्यवस्था है। जहां तक मुझे याद है और चार साल मुझे यहां हो गये, शायद ही कोई ऐसा अधिनियम इस सदन में बना हो, जिसमें केवल अर्थ दंड की ही व्यवस्था की गई हो और कारावास या दूसरे

[श्री जोरावर वर्मा]

प्रकार का दंड न हो? इससे मैं समझता हूं कि जो लोग सिनेमा चला रहे हैं उनकी ओर सरकार का विशेष ध्यान है। सरकार को रुपया लेने का ही ध्यान है लेकिन वे कानून के अन्दर कार्य करें यह ध्यान नहीं है। इसका प्रमाण यह है कि केवल आर्थिक दंड ही सरकार ने इसमें रखा है और आर्थिक दंड रुपया वालों के लिये कोई बड़ी भारी चीज नहीं है। केवल आर्थिक दंड होने के कारण जो नियमों का उल्लंघन करता है वह बराबर करता जायगा क्योंकि अगर वह अनियमित रूप से एक 'शो' भी चला दे तो जितना रुपया जुर्माना होगा वह उसमें आ जायगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केवल आर्थिक दंड रखना काफ़ी नहीं है और आशा करता हूं कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, माननीय जोरावर वर्मा जी ने जो संशोधन इस सदन के सामने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और वह इसलिये कि अगर खाली आर्थिक दंड ही देंगे तो जो पूंजी वाले लोग हैं वे उस जुर्म को फिर करने से बाज नहीं आयेंगे। आपने सुना भी होगा श्रीमन्, कि जिस वक्त काफ़ी ब्लैकमार्केटिंग इस देश में चल रही थी तो बहुत सी बड़ी-बड़ी फ़र्मों पर एक-एक लाख रुपये तक जुर्माना हुआ लेकिन फिर भी वे ब्लैकमार्केटिंग करने से बाज नहीं आये क्योंकि वे सोचते थे कि चलो ४-५ लाख हम ब्लैकमार्केटिंग में कमा लेंगे, एक लाख जुर्माना ही सही, चार लाख की तो प्राप्ति हुई। वे जुर्माने को भी खर्च में शामिल कर लेते हैं। मुझे मजदूरों में भी काम करने का काफ़ी अवसर प्राप्त हुआ है। मैं जानता हूं कि जिन-जिन धाराओं के उल्लंघन करने में सजा की व्यवस्था रही है वहां मिल मालिक उन धाराओं को तोड़ने से हमेशा डरते रहे हैं, लेकिन जहां महज जुर्माने की सजा रही है वहां कभी भी वे नहीं डरे। इसलिये जोरावर वर्मा जी का संशोधन बहुत अच्छा है। यदि सरकार चाहती है कि अपने कानून के जरिये क्राइम को रोके तो उसे लाजिमी है कि वह जुर्माने की सजा के साथ साथ कारावास का दंड भी रखे। कोई भी कानून बनता है या जहां दंड की व्यवस्था होती है तो वह यह सोच कर नहीं होती है कि आदमी क्राइम कर देगा तो हम उसको दंड देंगे बल्कि इसलिये वह रखा जाता है कि जनता जाने कि अगर वह ऐसा काम करेगी तो उसे यह दंड मिलेगा, तो वह ऐसा काम करने की हिम्मत न करे, कानून इस दृष्टि से बनता है और इसी दृष्टि से दंड भी रखा जाता है। मैं समझता हूं कि अगर सरकार को क्राइम को रोकना है तो जरूरी है कि इसमें कारावास का दंड रखा जाय। यदि यह भावना है कि क्राइम करेगा तो जुर्माना वसूल कर लेंगे तो इससे क्राइम नहीं रुकते हैं बल्कि और उनको प्रोत्साहन मिलता है। मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर दर-असल सरकार चाहती है कि जो कानून वह बनाती है उसका ठीक तरह से पालन हो और लोग उस पर ठीक-ठीक चलें तो सरकार को चाहिये कि वह जोरावर वर्मा जी के संशोधन को स्वीकार कर ले ताकि किसी को कानून तोड़ने की हिम्मत न हो, क्योंकि लोग समझेंगे कि अगर हम धारा को तोड़ेंगे तो जेलखाना जाना पड़ेगा। पूंजीपति जुर्माने से नहीं डरते हैं और जेलखाने से बहुत डरते हैं। इसलिये वे धाराओं को तोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं जोरावर जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खंड ८ को बड़े ध्यान से पढ़ा है इसमें सिद्धान्त का प्रश्न निहित है। मैं यह मानता हूं कि यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जायगा, क्योंकि मंत्री महोदय प्रश्न उपस्थित करेंगे कि इसको स्वीकार कर लेने से विधेयक को फिर कौंसिल में भेजना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया इसमें सिद्धान्त का प्रश्न निहित है कि सजा क्या होनी चाहिये, अर्थ दण्ड अथवा जेल अथवा दोनों। मैं इस मत का हूं कि कारावास के दंड की व्यवस्था अवश्य रखी जाय। मैं इस संशोधन के सिद्धान्त का समर्थन करता हूं, क्योंकि केवल अर्थदण्ड का विधान रखा जाना पर्याप्त नहीं

होगा। माननीय जगन्नाथ मल्ल जी ने जो कहा है मैं उनके तर्कों से सहमत हूं कि अगर हम चाहते हैं कि नियमों का पालन हो तो कारावास का दंड रखना आवश्यक है। यह जानते हुये कि यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जायगा, परन्तु मैं एक सुझाव देना चाहता हूं वह यह है कि भविष्य में हम जो कानून बनायें या यदि इस प्रकार का कोई संशोधन लायें तो सहानुभूतिपूर्ण रूप से इस पर विचार होना चाहिये। सिनेमा वाले को चार हजार कम लगेगा अप तो ज्यादा से ज्यादा एक हजार रुपया जुर्माना करना चाहते हैं अतः केवल अर्थदंड रखना ठीक नहीं होगा। मंत्री जी इसको मान लेते तो अच्छा होता। यद्यपि वह मान लेने की पोजीशन में नहीं हैं। यह भी मैं जानता हूं।

*श्री कुंवर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो भी अधिनियम बनता है, जो भी दण्ड देना होता है, वह इस विचार से नहीं रखा जाता है कि कोई पूंजीपति जुर्म कर रहा है या कोई गरीब आदमी जुर्म कर रहा है, बल्कि यह देखा जाता है कि वह जुर्म किस श्रेणी का है और उसका क्या महत्व है,इन बातों पर विचार करके ही कोई भी अधिनियम बनाया जाता है कि क्या दंड हमें देना चाहिये क्या नहीं। जो अधिनियम बनाया गया है कि ऐसे जुर्मों के लिये १,००० रुपया जुर्माना किया जाय, मैं समझता हूं कि यह बहुत काफी है। इसके अतिरिक्त जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा था कि इसमें जो सिनेमा के मालिक हैं, जो सिनेमा के इंचार्ज हैं, सिर्फ उनके लिये ही यह दंड नहीं रखा गया है बल्कि स्थान के स्वामी के लिये भी है, अध्यासी के लिये भी है। तो उसके लिये यह नहीं कहा जा सकता कि वह पूंजीपति है। जब एक ही बात दोनों के लिये रखी जा रही है तो यह विचारधारा अपनाई जाय कि चूंकि इसमें एक पूंजीपति भी है इसलिये ऐसा दंड जरूर रखें कि जो उस पर असर रखे, मैं समझता हूं कि उचित न होगी। अगर वाकई में यह नजरिया था तो चाहिये तो यह था कि इस खंड को दो उपखंडों में अलग अलग कर दिया जाता। सिनेमा के मालिक के लिये, जिसको कि पूंजीपति कहा जाता है, उसके लिये एक दंड होता और स्थान के स्वामी के लिये दूसरा दंड होता। अगर ऐसा संशोधन होता तो उस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार जरूर करते, लेकिन चूंकि दोनों को एक साथ ही रखा गया है इसलिये यह बात उचित न होगी कि उसमें हम ऐसा दंड रखें, जिससे कि स्थान का स्वामी, जो कि गरीब आदमी भी हो सकता है, उस पर भी असर पड़े। उसके लिये रुपये का दंड ही काफी है। १,००० रुपये का दंड मेरी समझ में उचित होगा। इसके अतिरिक्त एक चीज यह भी है कि जो पूंजीपति की बात कही जाती है तो क्या यह ध्यान में नहीं रखा जाता कि अगर उसको एक मर्तबा सजा हो गई तो उसका लाइसेंस और परमिट भी खत्म हो जाता है और आगे से उसको लाइसेंस और परमिट भी नहीं मिलेगा। इस तरह से उसको दो दंड तो यूं ही मिल जायंगे और जो अपराध हम रोकना चाहते हैं वह एक तरह से हम इसके द्वारा ही अच्छी तरह पर रोक सकते हैं। ऐसी अवस्था में मैं यह समझता हूं कि यह संशोधन अनुचित है और माननीय सदस्य इसे वापस ले लेंगे।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--अध्यक्ष महोदय, श्री वर्मा जी ने जो संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं इसका समर्थन क्यों करता हूं? सरकार भी इस बात का आभास करने लगी है कि जरायम को रोकने के लिये, चाहे वह जरायम असली मानों में हों या ऐसे हों कि जिनको हम टेक्निकल क्राइम्स कहते हैं और जो कि इस सिनेमा कानून के अन्तर्गत होंगे। मैं इस संबंध में सरकार की नीति आपके सामने रखना चाहता हूं। इस कानून के पास होने के बाद, मैं समझता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

हूं कि ५ बजे तक आपके समक्ष और भवन के समक्ष एक ऐसा कानून आने वाला है जिसमें कि सरकार ने इस नीति को माना है और इस बात को स्वीकार किया है कि केवल आर्थिक दंड देने से कमी पूरी नहीं हो सकती है। वह सरकार की नीति क्या है उसे मैं आपके समक्ष कोट करना चाहता हूं। यह उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, १९५५ है, जो आपके सामने आने वाला है। इसमें भी इस नीति को अपनाया गया है। आप इस अधिनियम की धारा ५५ को देखें। उसमें कहा गया है उपधारा २ में कि :—

(२) उपधारा (२) में शब्द "With fine which may extend to five hundred rupees" के स्थान पर शब्द With imprisonment not exceedings six months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both" तथा शब्द "with fine which may extend to two hundred rupees" के स्थान पर "with imprisonment not exceeding three months or with fine which may extend to two hundred rupees or with both" रख दिये जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो कानून आज तक प्रचलित है और अभी एक बिल इंडियन मेडिसिन के नाम से आने वाला है, उसमें भी दिया गया है तो फिर...

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। जो बिल इस हाउस के सामने पेश नहीं है और बाद में आने वाला है उसका रिफरेन्स इस बिल के समर्थन में या विरोध में क्या आ सकता है?

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि दृष्टान्त के तौर पर कोई भी बात कही जा सकती है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव—जो विधेयक अभी इंडियन मेडिसिन का आने वाला है उसमें कारावास की व्यवस्था है तो जब उस नीति को हमारी सरकार उसमें मानने जा रही है तो जहां एक शिक्षित समाज से सम्बन्धित, हकीमों व वैद्यों के लिए कारावास का दंड देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं तो ऐसी हालत में सिनेमावालों के लिये उचित मालूम होता है कि उनके लिये भी कारावास का दंड रखा जाय।

मेरा दूसरा तर्क यह है कि आर्थिक दंड से कोई अधिक काम नहीं चलता है। आर्थिक दंड से आप यह समझें कि जिसको दंड दिया जायगा उसी को कष्ट नहीं होता बल्कि उसकी सन्तान और उसके परिवार को भी कष्ट होता है। तो मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से अधिक नहीं कहना चाहता केवल यह कहना चाहता हूं कि जो नीति आपने अब तक अपनाई है और जिसको आप कुछ समय में अपनाने जा रहे हैं उसको इस कानून में भी रख दें तो मैं समझता हूं अच्छा होगा।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो माननीय जोरावर वर्मा ने सदन के सामने संशोधन रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। चलचित्र का यंत्र बड़े बड़े धनपति, लक्ष्मीपति और पूंजीपति लोग ही स्थापित करते हैं। यह अधिनियम उन लोगों के लिये ही हैं। जो सदन के सामने नियम रखे गये हैं अगर वह उन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उसके लिये यह रखा गया है कि हजार रुपया तक जुर्माना हो सकता है और उस जुर्माने को न मानें ५०० रुपया प्रतिदिन जब तक अदा न करें जुर्माना हो सकता है लेकिन श्रीमन्, यह तो जो लक्ष्मीपति हैं यह आज की दुनियां में अपने धन के

बल पर न जाने क्या क्या कर डालते हैं। आज इसकी सब को जानकारी है। यहां तक कि मैं आपसे बतलाऊं कि देहातों में आज कल जो मामूली मुकदमे दाखिल होते हैं उन मुकदमों के दौरान में जिनके पास पूंजी है, धन है वह मुकदमों की मिसिल तक तो तब्दील करा लेते हैं। गरीब लोग वहां पर बहुत परेशान रहते हैं और धन के मुकाबिले में जिस तरह से चाहें उनको धनवान परेशान किया करते हैं। तो फिर उनके ऊपर आर्थिक दंड रखना ऐसी चीज नहीं है जिससे उनको चोट लगे। जहां हजार रुपया जुर्माना होगा तो लाखों की तादाद में वह आमदनी करते हैं तो उनके लिये हजार रुपया देना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं समझता हूं गरीब आदमी को एक पैसा इकट्ठा कर के देने में तकलीफ होती है। लेकिन पूंजीपतियों को हजार रूपया देने में तकलीफ नहीं होगी। इस अर्थ दंड से कोई काम नहीं बन सकता। माननीय जोरावर जी वर्मा ने इस संशोधन को बहुत सोच विचार कर रखा है। मैं आज सदन के सामने यह बतला देना चाहता हूं कि सचमुच अगर इन धनपतियों को कारागार का दंड कानून के द्वारा दे दिया जाय तो दूसरे धनपति वैसा काम कभी नहीं करेंगे और बहुत से नाजायज काम बन्द हो जायेंगे। माननीय आज हमारे देश में हजारों की तादाद में, लोग हजार–हजार और पांच पांच सौ एकड़ के फारम बनाये हुये हैं। आज इस प्रदेश में ही नहीं, सारे देश में विनोबा भावे जी घूम घूम कर भूमि मांगते हैं। जिनके पास बहुत ही कम भूमि है वह तो भूमि दे देते हैं और जिनके पास हजरों एकड़ भूमि है वे अपनी बेकार पड़ी हुयी भूमि ही देते हैं। जिसका उपयोग न हो सके। विनोबा जी की बातों को सुनकर उनके दिल में दया नहीं आती। अगर सरकार भूमि की सीलिंग मुकर्रर कर देती है कि प्रत्येक के पास इतनी भूमि को छोड़कर बाकी भूमि सरकार को दे देनी चाहिये, नहीं तो उसको जेल हो जायगी। अगर ऐसा होता तो जितने बड़े–बड़े भूमिपति हैं वे जमीनों को छोड़ कर देते। लेकिन आज हालत यह है कि विनोबा जी के कहने से आज उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता बल्कि उन छोटे लोगों का हृदय परिवर्तन होता है जिनके पास बहुत ही कम भूमि है। वे माननीय, अगर इन नियमों को बना कर या जुर्माना करके हम यह सोचें कि इससे उनका हृदय परिवर्तन हो जायगा यदि परिवर्तन हो जायगा यदि अपनी गलती को सुधार लेंगे, या नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे, तो ऐसे कभी नहीं हो सकता। अगर श्रीमान् जोरावर वर्मा जी के संशोधन को मंजूर कर लिया जाय और कानून के तहत एक भी चल-चित्र यंत्र स्वामी को सजा हो जाय तो फिर दूसरे चल-चित्र स्वामियों को गलती करने की हिम्मत नहीं होगी। क्योंकि वे समझेंगे कि हम पर आर्थिक दंड ही नहीं हो सकता बल्कि जेल में हमें चक्की भी चलानी पड़ेगी। इसलिये अगर इन नियमों का पालन कराना है तो माननीय जोरावर जी के संशोधन को मंजूर कर लेना चाहिये। मैं इन शब्दों के साथ वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)––आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस धारा को अच्छी तरह से पढ़ा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कुछ लोगों के दृष्टिकोण में अन्तर है। लोगों ने इसको पढ़ कर सरसरी तौर पर यह समझा कि चल-चित्र यंत्र का स्वामी कोई बड़ा क्रिमिनल टाइप का आदमी है, जैसा कि वर्मा जी के इस संशोधन से मालम होता है। हमें देखना यह है कि जिस अपराध के लिये दंड की व्यवस्था की जा रही है वह अपराध क्रिमिनल नेचर का है अथवा सिविल नेचर का है जो प्रस्तुत धारा है वह इस प्रकार है––

"यदि किसी चल-चित्र यंत्र का स्वामी अथवा अवधायक व्यक्ति उसे इस प्रकार प्रयुक्त करता है अथवा प्रयुक्त होने देता है, अथवा यदि किसी स्थान का स्वामी अथवा अध्यासी उस स्थान को इस प्रकार प्रयुक्त होने देता है, जिससे अधिनियम के अथवा उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों का, तथा उन शर्तों और निरोधों का जिन पर अथवा जिनके अधीन इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया गया हो, उल्लंघन होता हो तो वह अर्थ दंड द्वारा दंडित हो सकेगा।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री व्रजभूषण मिश्र]

तो जाहिर है कि इसमें जो नियम बने हैं कि उसके खिड़की दरवाजे ऐसे होने चाहिए, इतना लम्बा चौड़ा हाल होना चाहिए, ऐसे पंखे होने चाहिए आदि बातों के लिए जो नियम हैं अगर उनमें त्रुटि होती है तो उसके लिए जुर्माने की व्यवस्था है। यदि वह किसी क्रिमिनल नेचर का आफेंस करता है तो उसके लिए भारत दंड संहिता अलग से बना है वह उस पर लागू हो सकता है. लेकिन यहां पर अगर वह नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको जेल में डालना उचित न होगा। यह दृष्टिकोण का अन्तर है। श्री रामसुभग जी ने कहा कि जो सिनेमा वाले गला घोट कर रुपया इकट्ठा करते हैं, यह तो उनके कहने के लहजे की बात है वर्ना गला घोट कर तो डाकू पैसा वसूल करते हैं सिनेमा वाले यह काम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि अभी यादव जी ने कहा कि एक बिल दवाओं के सम्बन्ध में आने वाला है, इस कारावास के झगड़े में न पड़ कर हमें क्राइम के नेचर को देखना चाहिए, दवाओं के सम्बन्ध में जो अपराध करता है वह तो एक हीनियस या भयंकर अपराध करता है क्योंकि उसमें जीवन-मरण का प्रश्न आता है, लेकिन अगर कोई सिनेमा का मालिक इन मामूली बातों के सम्बन्ध में नियम को तोड़ता है तो उसके लिए पैसे का जुर्माना ही काफी है और जैसा कि माननीय कुंवर कृष्ण वर्मा ने कहा कि उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है इसलिए उसके रोजगार या व्यवसाय का रास्ता बन्द करना या उसके पेट में घूंसा मारना मुनासिब न होगा। इसलिए जिन लोगों ने इसके पक्ष में राय दी है उन्होंने शायद अपराध की नेचर को नहीं समझा है। अगर वह इस अपराध को सिविल नेचर का मान लें तो वह ऐसे संशोधन को स्वीकार न करते। कोई भी सिविल नेचर के क्राइम में जेलखाने नहीं भेजा जाना चाहिए। इन कारणों से आशा है कि वह समझ गए होंगे और अपने संशोधन को वापस लेंगे। जैसे कि मालगुजारी की वसूली में तहसील की हवालात में ही बन्द किया जाता है जेल में नहीं भेजा जाता वैसे ही इसमें जेलखाने की व्यवस्था करना ठीक न होगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल--मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय सदस्य चाहते हैं कि जेलखाने में न बन्द करके सिनेमा वालों को तहसील में बन्द किया जाय ?

श्री व्रजभूषण मिश्र--वह तो वसूली का वहां का तरीका है।

*श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जोरावर वर्मा के संशोधन का विरोध करता हूं। उसके समर्थन में जिन तर्कों और सिद्धान्तों को उपस्थित किया गया है, जैसा कि ग्रामवासी जी ने कहा, इस चीज में एक गलत दृष्टिकोण अपनाया गया है। छोटे से इस बिल पर बड़े-बड़े सिद्धान्तों की दोहाई दी गई। पूंजीवाद, भूमिदान और अपराध विज्ञान का भी हवाला दिया गया। श्रीमन्, जहां तक अपराध विज्ञान की बात कही गई, अर्थ दंड या कारावास दंड सब ही निरर्थक हो सकते हैं, यदि ऐसा होता तो प्राणदंड की सजा हत्या के अपराध में होती है लेकिन फिर भी आज हत्याओं की वृद्धि होती है जितनी कि किसी काल में नहीं हुई। तो इसका अर्थ यह है कि अपराध को रोकने के लिए अर्थ दंड या कारावास दंड समर्थ नहीं है, उसके लिए एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, जिससे कि मनुष्य या व्यक्ति अपराध करना अनैतिक कार्य समझे। दूसरी बात पूंजीवाद के सम्बन्ध में कही गयी। हमारे मित्र सिनेमा के उद्योग धंधे से परिचित नहीं हैं। मकान मालिकों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के सम्बन्ध में किसी मित्र ने कहा कि उसमें बहुत से साधारण श्रेणी के व्यक्ति होते हैं तो सिनेमा चलाने वालों में भी इसी प्रकार के व्यक्ति हैं। कुछ थोड़े से ऐसे हैं जो पूंजीवादियों से सम्बन्धित हैं किन्तु अधिकांश जो सिनेमाघर हैं वह मिडिल क्लास के लोगों के हैं जिनके पास थोड़ी सी पूंजी होती है कुछ कंट्रेक्ट की बेसिस पर, कुछ इधर उधर से रुपया लेकर सिनेमाघरों को भाड़े पर लेकर इस बिजीनेस को चलाते हैं इसलिये इसमें कोई पूंजीवाद का सिद्धान्त आता नहीं। एक चीज है हमारे मित्र जगन्नाथ मल्ल जी ने और रामसुभग वर्मा जी ने पूंजीवाद के सिद्धान्तों का दिग्दर्शन कराते हुये यह ख्याल नहीं किया कि यदि सचमुच वे पूंजीवादी हैं तो वह कारावास का दंड भी नहीं उठायेंगे। आज तक जितने भी ब्लैक मार्केटिंग के बड़े-बड़े केसेज हुये उनमें हमेशा यह देखा गया है कि उनके जो कार्यकर्ता थे वे कानून के चंगुल में आये और वह पूंजीवादी व्यक्ति कानून के चंगुल से अलग रहा। इस लिये अगर कार्यवाही ऐसी हो तो उसमें सिनेमा घर का मैनेजर है या उसका जो संचालक है जिसको उसने नौकर रख कर काम कराया है वही अपराध करने वाला सिद्ध होगा और जो पूंजीपति है उसके कानूनी चंगुल से निकल जायगा और उसका एक गरीब कार्यकर्ता उसके चंगुल में आ जायगा। तो इन बातों को देखते हुये जैसा कि हमारे मित्र कुंवर कृष्ण वर्मा ने अपराधों का विश्लेषण किया कि वे दो प्रकार के होते हैं और उनके नेचर को देख कर ही सजा की व्यवस्था की जाती है। इस दृष्टि से जैसा कि मैंने कहा, हमारे जो सिनेमा हाउसेज हैं वह अधिकांश मिडिल क्लास के लोगों के हैं जो इससे अपनी किसी प्रकार गुजर बसर करते हैं इसमें न तो पूंजीवादी सिद्धान्त है और न इसमें कोई अपराध विज्ञान है। यह तो जैसा ग्रामवासी जी ने बतलाया है कि उस मकान में जाला लग गया हो जहां सिनेमा दिखाया जाता है या और ऐसी बातों के लिये चल-चित्र के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको दंड दिया जायगा और इसके लिये ऐसा संशोधन उचित नहीं है। हमारे माननीय मित्र रामेश्वर लाल जी ने सहृदयता की व्यवस्था की है। पांच सौ रुपये के बजाय उन्होंने कहा है कि १ सौ रुपये कर दिया जाय। यह विरोधाभास हमारी समझ में नहीं आता। एक ओर तो अर्थदंड की व्यवस्था में ५ सौ से १ सौ कर दिया जाय ओर दूसरी तरफ उसको बिल्कुल क्रिमिनल समझकर जेल में ठूंस देना चाहते हैं। इस तरह से विरोधाभास तो इसी मनोवृत्ति का परिचायक हो सकता है कि कोई भी निर्दोष से निर्दोष विधेयक हो उसमें भी राजनीति सम्बन्धी सिद्धान्त आ जाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय जोरावर वर्मा जी के संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री जगन प्रसाद रावत—उपाध्यक्ष महोदय, इस धारा के इस संशोधन के सम्बन्ध में ऐसा मालूम होता है कि अपराध के बजाय कौन आदमी अपराध करेगा इस ओर विशेष ध्यान दिया गया है। अपराध और उसके दंड की व्यवस्था करते समय हमें यही देखना होता कि अपराध किस प्रकार का है और उसी के अनुरूप हमें दंड की व्यवस्था करनी होती है। सख्त से सख्त अपराध करने वाले भी जो हैं उस समय भी हम यह ध्यान में नहीं रखते कि यह गरीब आदमी काम करता है या अमीर, पूंजीपति करता है या गरीब किसान करता है, हमें यह देखना है कि अपराध किस भांति का है और उसको रोकने के लिये दंड की क्या व्यवस्था होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इसमें जो बने हुए नियम हैं उनका उल्लंघन करने वालों को उल्लंघन करने से रोकने के लिये यह अर्थ दंड की व्यवस्था की गई है और यह व्यवस्था पर्याप्त है। इसमें कारावास या शारीरिक दंड की व्यवस्था कुछ अधिक उचित मालूम नहीं होती। मेरा निवेदन है माननीय सदस्य जिन्होंने यह संशोधन पश किया है वे इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

*श्री रामेश्वर लाल--मान्यवर, इस संशोधन के विरोध में बोलते हुए इस सदन के माननीय सदस्य श्री ब्रजभूषण मिश्र ने माननीय जोरावर वर्मा जी से यह निवेदन किया कि चूंकि मैंने इस संशोधन को और इस बिल की धारा को बड़े ध्यान से पढ़ लिया है और अपनी समझ के मुताबिक काफी समझ लिया है इसलिये मैं आपको सलाह देता हूं कि यह क्रिमिनल आफेन्स नहीं है, यह एक सिविल आफेन्स करेगा। इस धारा के मुताबिक इसमें सजा की व्यवस्था है और इस लिये वह इसको वापस ले लें। मान्यवर, इसके विपरीत मेरी कुछ और धारणा है और मैं यह समझता हूं कि माननीय ब्रजभूषण जी ने इसको पढ़ा ही नहीं। अगर वे पढ़े होते और पढ़ने के बाद जिस निर्णय पर पहुंचे हैं शायद उस निर्णय पर न पहुंचते और जो आग्रह उन्होंने माननीय जोरावर वर्मा जी से किया उस आग्रह को करने की हिम्मत न करते--हिम्मत तो नहीं कह सकता प्रयत्न न करते। आप देखेंगे कि धारा ८ इस प्रकार है "यदि किसी चल-चित्र का स्वामी अथवा अवधायक व्यक्ति उसे इस प्रकार प्रयुक्त करता है अथवा प्रयुक्त होने देता है, अथवा यदि किसी स्थान का स्वामी अथवा अध्यासी उस स्थान को इस प्रकार प्रयुक्त होने देता है, जिससे अधिनियम के अथवा उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों का, तथा उन शर्तों और निरोधों का जिन पर अथवा जिनके अधीन इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया गया हो, उल्लंघन होता हो तो वह अर्थ-दंड द्वारा दंडित हो सकेगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, तथा अविरत अपराध की दशा में वह और अधिक अर्थदंड द्वारा दंडित हो सकेगा तो प्रत्येक दिन के लिये, जब तक अपराध होता रहे, ५०० रुपये तक हो सकता है।" तो तीन बातें इसमें आईं। एक तो अगर इस अधिनियम का विरोध होता हो या इस अधिनियम के अधीन बने हुए उपबन्धों का विरोध होता हो या जिन शर्तों पर लाइसेंस दिया गया है उसका विरोध होता हो या यदि इन तीन उपबन्धों का विरोध होता है तो उसकी सजा की व्यवस्था माननीय जोरावर वर्मा जी मानते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि सिविल आफेन्स करेगा अगर इन उपबन्धों का विरोध करेगा। मैं समझता हूं कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट जिस कानून को अपने सदन में पारित करता हैं उसको छोटा समझ कर पास करती है ऐसा मैं नहीं समझता। मान्यवर, जब इस अधिनियम का विरोध हुआ तो इसका साफ मतलब है कि जो शर्तें इस अधिनियम में दी गई हैं उन सबका विरोध हुआ। जैसे मान लीजिये इस अधिनियम के खंड में शान्ति भंग के अंदेशे पर किसी चल-चित्र को प्रतिबन्धित करने के अधिकारों को दिया गया है। यदि किसी स्थान पर शान्ति भंग होती है और शान्ति भंग होने पर क्या क्या होता है यह मुझे बतलाना नहीं पड़ेगा। माननीय ब्रजभूषण जी शायद समझते होंगे कि यदि शान्ति भंग होती और शान्ति भंग होने से अव्यवस्था फैलती है तो संभव है कि झगड़ा हो, मारपीट हो। उनसे मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वह एक फिल्म बनाना चाहती है स्वर्गीय महर्षि दयानन्द सरस्वती पर और आर्यसमाज जगत इसका विरोध कर रहा है। चूंकि आर्यसमाजी मूर्ति के पुजारी नहीं हैं इसलिये वे चाहते हैं कि दयानन्द सरस्वती पर कोई फिल्म न बनना चाहिये। इससे शान्ति भंग हो सकती है। हम चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हों अगर धार्मिक भावनाओं पर किसी तत्व द्वारा आघात होता है तो मान्यवर, शान्ति भंग होगी।

श्री ब्रजभूषण मिश्र--उसके लिये ताजीरात हिन्द है।

श्री रामेश्वर लाल--फिल्म इंडस्ट्री पर कानून बना रहे हैं। यहां क्रिमिनल प्रोसीडयोर कोड नहीं है। तो मैं यह कहता हूं कि माननीय ब्रजवासी जी ने इसको अच्छी तरह से नहीं समझा। जहां तक सजा की व्यवस्था की बात है, माननीय देवदत्त जी मिश्र ने मेरे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संशोधन को, जो आने वाला है चर्चा कर दी। मेरा संशोधन एक दूसरा संशोधन है, उस संशोधन पर जो कुछ तर्क देना होगा मैं माननीय देवदत्त जी की सेवा में उपस्थित करूंगा। लेकिन जहां तक माननीय जोरावर वर्मा जी के संशोधन का सम्बन्ध है उसका मैं समर्थन करता हूं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारा लक्ष्य, अगर हम किसी भी अधिनियम में सजा की व्यवस्था करते हैं, क्या है। हम किसी व्यक्ति को सजा देकर सताना चाहते हैं उसे तंग करके उस गलत रास्ते पर जिस पर वह जा रहा है उसे कोड़ों द्वारा, लाठियों द्वारा या भावों द्वारा सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। पाशविक जुर्मों द्वारा सही रास्ते पर लाना चाहते हैं या हम उसका सुधार करना चाहते हैं। माननीय देवदत्त मिश्र जी ने इसकी चर्चा की। मैं गहराई में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं यह समझता हूं कि यदि अर्थ दंड की व्यवस्था इसमें की गयी और अगर हम यह मान लें कि हम उसे उस रास्ते से हटाने के लिए कोई ऐसी सजा निर्धारित करते हैं, जिससे आगे वह ऐसा न करे, वह सजा महसूस करे। मैं नहीं मानता कि सिनेमा खोलने वाला पूंजीपति होता है। मैं माननीय देवदत्त मिश्र जी के इस तर्क से सहमत हूं। लेकिन मैं यह नहीं मानता कि जितने सिनेमा वाले हैं सब मिडिल क्लास लोगों के हाथ में हैं। जब लोगों के पास अधिक पूंजी जमा हो जाती है, खाने--पीने के बाद और उस पर वह बैठना नहीं चाहता तो उसे वह व्यवसाय में लगाता है मुनाफे के लिए, इस व्यवसाय के मुनाफे को देख कर। यह मैं मानता हूं कि इस उद्योग में जाने के बाद जो आज फिल्म इंडस्ट्री में आमदनी है उस आमदनी से एक पूंजीपति नहीं तो पूंजीपति का छोटा भाई बन जाता है। जहां तक माननीय व्रजवासी जी का कहना है....

श्री व्रजभूषण मिश्र--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्रजवासी मैं नहीं हूं, मुझे तो ग्रामवासी कहा जाता है।

श्री रामेश्वर लाल--मैंने व्रजभूषण जी से व्रजवासी जी कर दिया। ग्रामवासी जी सही। माननीय व्रजभूषण जी ने कहा कि हम इस उद्योग के चलाने वालों के ऊपर यदि जुरमाना करते हैं या जेल की सजा देते हैं तो उनके पेट पर मुक्का मारते हैं। उनके पेट पर मुक्का मारना नहीं है तिजोरी पर मुक्का मारना है। मैं समझता हूं कि जो लोग बेजा मुनाफा कमाकर, कानून की अवहेलना करके, तिजोरी भरना चाहते हैं, उनके लिये सरकार और इस सदन का ध्येय होना चाहिये कि उस तिजोरी पर मुक्का मारें। जहां तक दंड व्यवस्था की बात है मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि अगर हमारी जेब से एक आदमी पेंसिल चुरा ले और उस पर ३७९ का मुकदमा चल सकता है तो उसे कारवास का दंड मिल सकता है या नहीं। अगर एक आदमी मुर्गी मार दे उसके लिये जेलखाने की सजा है या नहीं? अगर एक नहर बनी हुई है या ट्यूबवेल की नाली बनी है उसको वह तोड़ दे तो उसके लिये जेलखाने की सजा है या नहीं? तो चलता फिरता आदमी पूंजीपति का छुटभैया आदमी एक सिनेमा चलावे, सरकारी आज्ञा का उल्लंघन करे, शांति भंग होने का खतरा उपस्थित हो और और उसके लिये सजा क्या हो कि अर्थ दंड हो जाय, एक हजार रुपया जुरमाना दे दे। मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि सजा की व्यवस्था, जेलखाने की व्यवस्था होनी चाहिये और यह उचित भी है। माननीय जोरावर जी वर्मा का संशोधन मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी उसको अवश्य स्वीकार करेंगे क्योंकि उनके सामने बहुत सी कठिनाइयां हैं।

श्री जोरावर वर्मा--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय,

श्री जगन्नाथ मल्ल--सदन में कोरम नहीं है

(घंटी बजाई गई और कोरम पूरा होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय जगन्नाथ जी मल्ल, श्री ब्रजविहारी जी मिश्र, श्री वीरेंद्रपति जी यादव, श्री रामसुभग जी वर्मा और माननीय रामेश्वर लाल जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे इस संशोधन का समर्थन किया है। उन्होंने जो बातें मैं नहीं कह सका उनको अच्छी तरह से यहां बतलाया और और जहां तक मेरे जिन मित्रों ने मेरा विरोध किया है उनको तो मैं और भी अधिक धन्यवाद देता हूं क्योंकि अगर वह विरोध न करते तो शायद इस समय इतनी गम्भीरता इस विषय की न बढ़ती। जहां तक माननीय ग्रामवासी जी का प्रश्न है मेरा यह विचार है उपाध्यक्ष महोदय, कि अगर वह माननीय उपमंत्री जी की सीट ही पर न बैठे होते तो शायद वह मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करते क्योंकि वह सीट ऐसी है जो गवर्नमेंट की सीट है और जो उस सीट पर बैठता है उसे हां कहना ही पड़ता है और यहां विरोधी पक्ष से जो बातें आती थीं उनका विरोध करना ही पड़ता है। इसलिये मुझे उनके विरोध की तो कोई विशेष बात नहीं मालूम होती है क्योंकि वह उस सीट पर ही बैठ गये जहां वे बैठकर उन्हें ऐसा करना ही चाहिये। उन्होंने एक बात और कही कि जहां तक यह संशोधन है इसमें सिविल नेचर की बातें आती हैं और "क्रिमिनल नेचर" की कोई ऐसी बात नहीं आती है। यह सिवल नेचर की बात है और उन्होंने उदाहरण भी बहुत सुन्दर दिया कि यदि कोई आदमी मालगुजारी नहीं देता है तो उसे पकड़कर के तहसील में बन्द कर दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन्हीं से पूछता हूं कि अगर इसमें सिविल नेचर का अपराध आफेंस है और इस पर भी तहसील में बन्द कर दिया जाता है तो क्या यह कारावास नहीं है। यह तो कारावास है ही, चाहे वह तहसील में बन्द हो, चाहे जेल में बन्द हो। मैं तो कहता हूं कि अगर कोई प्राइवेट मकान में भी बन्द कर लेता है तो यह भी एक प्रकार का कारावास है और इसीलिये मैंने यह संशोधन भी रखा है कि सिनेमाघर को, कोई ऐसा न हो जो कहीं, कारावास बना ले या कारागार बना ले, क्योंकि वहां भी इस प्रकार के अपराध हो सकते हैं जिसके लिये मैंने यह व्यवस्था की है। माननीय कुंवर कृष्ण जी वर्मा ने मेरे विरोध में दो दलीलें दी हैं। उन्होंने कहा कि अगर यह धारा के दो खंड में होती तो बहुत ही अच्छा होता। तब मेरा यह संशोधन इसके लिये उपयुक्त होता। उन्होंने यह बतलाया कि इसमें एक खंड सिनेमा वालों के लिये अप्लाई होता और दूसरा जो जमीन के अध्यासी हैं उनके लिये, मेरे लिये तो यह और अच्छा होता; मैं तो इस बात को मानने के लिये भी तैयार हूं कि अगर माननीय कुंवर जी वर्मा के अनुसार इस खंड के दो खंड माननीय मंत्री जी कर दें तो मुझे कोई एतराज नहीं है क्योंकि मेरी बात सिद्धांत के ऊपर है। जैसा कि मैंने कहा चार वर्ष मुझे यहां हो गये और मेरे सामने कोई भी ऐसा बिल नहीं आया जिसमें सिर्फ अर्थ दंड की व्यवस्था हो। सिद्धांत रूप से यह कारागार की व्यवस्था विधेयकों में जरूर रखी जाती है अब यह किस प्रकार का नेचर है, मैं समझता हूं इसका ज्यादा निर्णय जज या मैजिस्ट्रेट ही कर सकता है। हम तो व्यवस्था कर रहे हैं तो कोई दंड थोड़े ही दे रहे हैं। वह तो मैजिस्ट्रेट दंड देगा और वह देखेगा। अगर वह देखता है कि जो इसका अपराधी है वह किस नेचर का है तो वह मैं समझता हूं कि वह अपनी बुद्धि के अनुसार उसी प्रकार का दंड देगा। जो आर्थिक दंड का अपराधी होगा उसे आर्थिक दंड देगा और जो कारागार का अपराधी होगा उसे कारागार का दंड देगा। दूसरी बात यह है कि मैंने जो संशोधन रखा है वह साधारण कारागार का रखा है, रिगरेस इम्प्रिजमेंट नहीं रखा है। मैं जानता हूं कि सिनेमा मालिक जो सिनेमा के बढ़िया-बढ़िया गाने सुनते हैं और गुलगुले गद्दों पर बैठते हैं उनको "रिगरस इम्प्रिजनमेंट" देना ठीक नहीं है। इसलिये साधारण कारागार का दंड मैंने रखा है। श्री देवदत्त जी मिश्र ने एक बात कही कि अगर अपराधी को सजा कारागार की ठीक होती है तो आजकल जो कत्ल या इस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं वह नहीं होते। लेकिन मैं सरकार पर या किसी पर भी हमला नहीं करना चाहता। मेरा निश्चित मत है कि यदि जैसा वह कह रहे हैं वैसा ही होता। क्योंकि कानून में फांसी आदि के दंड की व्यवस्था नहीं होती तो आज न जाने समाज की क्या व्यवस्था होती। लेकिन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होने के नाते आप देखते हैं कि जब से हमारी वह सरकार स्थापित हुई है तब से अपराध बढ़ गये हैं। वे क्यों बढ़ गये हैं? जैसा कि प्राचीनकाल में था कि जो आदमी हाथ से अपराध

करता था उसका हाथ काट लिया जाता था और जो गाली देता था उसकी जीभ या इसी प्रकार का कोई अंग काट लिया जाता था इसलिये उस जमाने में अपराध ज्यादा नहीं होते थे। अगर आज इन कानूनों पर ठीक ढंग से अमल हो, सिफारिशें न हों, ऐप्रोच न हो और मरसी पेटीशन होने पर भी उचित ध्यान न देकर दंड दिया जाय तो जो अपराध बढ़ रहे हैं उनकी समाप्ति बहुत थोड़े दिनों में हो जायगी। यह जो कानून है वह इसलिये नहीं है कि वह अपराधों को बढ़ायें, बल्कि इस समय जो व्यवस्था है और हमारा जो वातावरण है वह अपराधों को बढ़ा रहा है। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि हमें यह देखना है कि अपराध किस नेचर का है, किस प्रकार का है। मैं समझता हूं कि इस अधिनियम के विरुद्ध जो कार्य करेगा, वह अपराधी है। अब यह मेरी समझ में नहीं आया कि वह सिर्फ जुरमाने से ही ठीक हो सकता है, कारागार से दंडित होने पर नहीं हो सकता है। मैंने यह पहले कहा था कि जो सिनेमा चला रहा है वह निश्चय ही रुपये पैसे वाला होगा, वही चला सकता है, तो उसको केवल रुपये का ही दंड देना मैं समझता हूं उसके लिये उपयुक्त दंड की व्यवस्था नहीं है और इसीलिये मैंने यह कारावास की सजा रखी थी। सिद्धांत रूप से मैं अब भी समझता हूं कि अर्थ दंड के अलावा कारागार के दंड की व्यवस्था इस बिल की जान है और इसमें एक बहुत बड़ी कमी रह गयी थी जिसकी ओर मैंने संकेत किया है। मैं तो माननीय मंत्री जी से फिर निवेदन करूंगा कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री जगन प्रसाद रावत---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जीभ काटने और हाथ काटने वाली बात तो पीछे चली गयी। हम ने तो व्हिपिंग का दंड भी रद्द कर दिया। यह ख्याल कि बिना शारीरिक दंड के सुधार के सुधार नहीं होता, यह कोई तार्किक बात नहीं है। मैं समझता हूं कि जो कुछ दंड इसमें निर्धारित है वह काफी पर्याप्त है और इसमें हमें कोई शारीरिक दंड देने की आवश्यकता नहीं है।

मैं संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ की पंक्ति ७ के शब्द "वह" और पंक्ति ८ के शब्द "तथा" के बीच के शब्द निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं।

> "दंड का भागी हो सकेगा, जो एक हजार रुपये तक का आर्थिक दंड अथवा ६ महीने तक का साधारण कारावास का दंड अथवा दोनों प्रकार के दंड साथ-साथ हो सकते हैं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :-

पक्ष में---११,

विपक्ष में---६४।)

श्री रामेश्वर लाल---मान्यवर, चूंकि मैं यह समझता था कि माननीय मंत्री जी जेलखाने वाली व्यवस्था कर देंगे इसलिये मैंने अपना संशोधन १०० रुपये का रखा था। लेकिन चूंकि वह व्यवस्था मानी नहीं गयी इसलिये मैं इसे उपस्थित नहीं करना चाहता।

श्री जोरावर वर्मा---मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं।

खंड ८ की ९ वीं पंक्ति में।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---प्वाइन्ट आफ आर्डर। जो संशोधन उपस्थित किया जा रहा है इसी प्रकार के कारावास दंड के संबंध में जो पहले संशोधन था उस पर सदन का निर्णय हो चुका है, इसलिये अब यह पेश नहीं हो सकता है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, यह बदला हुआ है इसलिये यह पेश हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य पेश कर सकते हैं।

श्री जोरावर वर्मा---श्रीमन्, मेरा जो संशोधन है मैंने इसको थोड़ा सा बदल दिया है:

खंड ८ की ९ वीं पंक्ति में शब्द "अधिक" के बाद शब्द निकाल दिये जायं और उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं :

"दंड का भागी हो सकेगा जो प्रत्येक दिन के लिये जब तक अपराध होता रहे, ५०० रुपये तक का आर्थिक दंड अथवा एक माह तक का सपरिश्रम कारावास अथवा दोनों प्रकार के दंड हो सकते हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---प्वाइन्ट आफ आर्डर ....

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन् इस पर रूलिंग हो चुकी है इसलिये कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया नहीं जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---इस प्रस्ताव के उपस्थित करने की इजाजत दे दी गई है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---माननीय सदस्य प्रस्ताव अब पेश कर रहे हैं इसलिये मुझे हक है कि प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करूं।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें। मैं इस पर अपनी रूलिंग दे चुका हूं।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रार्थना करनी है आपने जो निर्णय दिया है वह तो ठीक है और उसकी पाबन्दी होगी जैसा कि आपने कहा कि आपने आज्ञा दे दी है। लेकिन जो प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया गया था उसका क्या हुआ ?

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, ने जो आज्ञा दी है वह प्वाइन्ट आफ आर्डर पर ही तो दी है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य का अभिप्राय समझ गया। मौर्य जी ने प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया था उसी पर तो मैंने व्यवस्था दी है। मैं इसको वैध करार दे चुका हूं और वह उसको मूव कर चुके हैं।

श्री जोरावर वर्मा---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने जो निर्णय दिया है उसकी अवहेलना करने की माननीय सदस्य साहस कर रहे हैं। मैं यह कह रहा था कि अगर कोई आदमी लगातार दंड देने पर भी अपराध करता है या इस अधिनियम या इन नियमों के विरुद्ध कार्य करता है तो ५०० रुपये तक जुरमाना हो सकता है, अब मेरा प्रस्ताव यह है कि इसके अतिरिक्त सपरिश्रम कारावास की भी व्यवस्था की जाय। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अपराध और कौन सा हो सकता है कि जो सरकार के द्वारा कानून बना हुआ है उसके अनुसार दंड दिये जाने पर भी अगर कोई पुनः अपराध करता है तो चाहे वह अपराध सिविल नेचर का ही क्यों न हो फिर भी अगर वह सरकारी नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको अर्थ दंड के अलावा मैं समझता हूं रिगरस इम्प्रिजन्मेंट की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये। जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि सिनेमा मालिक गरीब भी होते हैं तो मुझे इससे कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा तो तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति जो दंड पाने पर भी अगर वह नाजायज कार्यवाहियों से बाज नहीं आता है तो उसके खिलाफ इस प्रकार की धारा अवश्य होनी चाहिये ताकि वह जेल की यात्रा करे। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था होने से इस कानून का पालन अवश्य होगा अन्यथा रुपया बनाने वाली जो एक मशीनरी है उसी के

लिये यह बिल बन रहा है। वास्तव में इसका प्रयोजन जन के हित में नहीं है। इसलिये अगर इस प्रकार की बातें होती रहीं तो जनता का कितना हित होगा यह बड़ा संदेहजनक है। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन को पेश करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे अवश्य स्वीकार करेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, जो संशोधन माननीय वर्मा जी ने इस सदन में पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह तो ठीक है कि सदन ने वर्मा जी के उस संशोधन को रिजेक्ट कर दिया जिसके द्वारा इस व्यवस्था की मांग की गई थी कि अगर वह क्राइम करता है तो उसको ६ मास की सजा भी होनी चाहिये। लेकिन यहां पर इस संशोधन के द्वारा वर्मा जी यह चाहते हैं कि अगर वह गलती को कन्टीन्यू करता है तो उसको एक मास की सजा या ५०० रुपया जुरमाना हो, या दोनों होना चाहिये। यह सही है कि आपने उसको वहां छूट दे दी लेकिन अगर आप इसके बाद भी कारावास की सजा नहीं करते हैं तो श्रीमन्, यह खतरा है कि उस क्राइम को वह करता जाय। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एक बात रखूं कि कोई सिनेमा का मिलिक एक क्राइम करता है और उसको करने से उसे ५० या ६० रुपये रोज की आमदनी होती है तो इत्तफाक से कभी मैजिस्ट्रेट आ गया और उसने चेकिंग कर ली तो वह उस पर फाइन कर देगा लेकिन अगर वह फाइन जितना उसे मुनाफा होता है उससे कम है तो वह उस क्राइम को जारी रखेगा और अपना मुनाफा वह करते हुये जब-जब फाइन होगा उसे जमा कर देगा। कोई मैजिस्ट्रेट क्राइम को तो समझ सकता है लेकिन उसके पीछे उससे कितनी आमदनी है यह समझ सकना किसी के लिये भी बड़ी मुश्किल बात होगी क्योंकि अगर इसकी जानकारी कचहरियों में ही हो गई होती तो जितनी ब्लैक मारकेटिंग हुई है पिछले दिनों में वह बहुत कुछ कम हो जाती। एक और इसकी मिसाल आपको दूं। इन्कम टैक्स को ही ले लीजिये। जो इन्कम टैक्स की चोरी करते हैं वह दो बहिएं बनाते हैं और कितना ही इन्कम टैक्स आफिसर जांच करे, वह पकड़े नहीं जाते। मैं इस बात को मानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जब क्राइम को देखेगा तो यह सोच कर कि उससे वह किस हद तक आमदनी कर पाता है इसको सोच कर ही फाइन करेगा। लेकिन मुझे तो यह कहना है कि मैजिस्ट्रेट को यह पता ही नहीं लग सकेगा कि वह कितना मुनाफा उस क्राइम को करने से उठा रहा है। अगर उसने क्राइम को करने से यादा मुनाफा उठा लिया तो वह जुरमाना जमा करता जायेगा और वह यही अच्छा समझेगा कि हम क्राइम कांटीन्यू करते चले जायं। इस तरह से जो विधेयक की भावना है वह पूरी नहीं हो सकेगी और जो सरकार चाहती है कि हम एक ऐसा नियम बना दें कि अगर जुरमाना होने पर भी वह लगातार करता जाय तो हर रोज उस पर जुरमाना किया जाय ताकि उसके डर से वह क्राइम बन्द कर देगा वह भावना मैं समझता हूं कि वह रह नहीं जायेगी। अगर हम इसमें इस चीज को रख दें कि उसको एक मास की सजा दी जायगी तो वह घबड़ायेंगे कि भाई, अभी तक तो अगर हमने जरायम किया तो हमें आर्थिक दंड ही मिलेगा लेकिन अगर हम उसको दोहरायेंगे तो हमको जेलखाने भी जाना पड़ेगा। तो ऐसा करने से वह दोहराने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा न इसमें पूंजीपतियों की बात है और न कोई और बात है। मैं तो कहता हूं कि मिश्र जी ने जो कहा वह सही है। जो कानून बनता है वह सब के लिये बनता है। लेकिन माननीय मिश्र जी के सामने मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सिनेमाघर है वह मजदूर या किसान नहीं चलाते हैं। सिनेमा चलाने में काफी पूंजी की आवश्यकता होती है और उसको चाहे छोटा पूंजीपति कहें या बड़ा पूंजीपति कहें वे लोग ही इसको चलाते हैं उनको मजदूर नहीं कहा जायगा। छोटी पूंजी वाला भी पूंजीपति है और बड़ी पूंजीवाला भी पूंजीपति ही है। यह कानून जो बनाया जा रहा है वह सिनेमा चलाने वालों के लिये ही बनाया जा रहा है। अगर वे वह क्राइम करते हैं तो उनको सजा होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि सरकार की यह हठधरमी है जो इसको नहीं मान रही है। इस संशोधन को जरूर मानना चाहिये। इसको न मान कर यदि सरकार यह चाहती है कि हम क्राइम को बन्द करें तो वह नहीं हो सकता है। एक दफा जब क्राइम हो गया और दूसरी बार वह क्राइम न करे

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

इसके लिये यह संशोधन जरूर मानना चाहिये और वर्मा जी का यह संशोधन मंजूर करने के काबिल है। अगर वह यह कहें कि कौंसिल में जाना पड़ेगा। यह कोई बात नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन को वह तभी बुलाया करें जब कौंसिल बैठी रहा करे ताकि उनको जो दिक्कत हो जाती है वह न हो। अब भी इसको रोक सकते हैं और कौंसिल के बैठने पर इस पर विचार कर लिया जायगा। वैसे भी यह काफी दिनों तक रुका रहा है। उस कानून के मातहत काम भी चल रहा है और इसके जल्दी पास न करने से कोई गड़बड़ भी नहीं होने वाली है। कानून बना हुआ है उसकी जगह पर आप इसको लाना चाहते हैं।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इसको क्यों नहीं ठीक तरह से बनाया जाय। आप इस बात को कहते हैं कि यह खराब है मगर कौंसिल की बैठक न होने से आप इसको मंजूर नहीं करते। इसका मतलब तो यह हुआ कि जितने संशोधन हैं वह हम सब वापस ले लें और पेश न करें क्योंकि कौंसिल में जाना पड़ेगा। यह बात तो मेरी समझ में नहीं आयी। आप ऐसे ही विधेयक पास कर दिया करें तो हमको बुलाने की जरूरत भी न होगी और आप इन सारी दिक्कतों से बच जायेंगे। मैं समझता हूं कि हमारा अमेंडमेंट दरअसल माननीय मंत्री जी लेना चाहते हैं लेकिन खाली इस डर से कि वह उनको कौंसिल में भेजना पड़ेगा वह नहीं ले रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर थोड़ी दिक्कत भी हो तो कोई बात नहीं है लेकिन एक महीने के दंड वाला संशोधन ऐसा है जिसको माननीय मंत्री जी को स्वीकार करना चाहिये ताकि जिसने एक दफा क्राइम किया है उसको दोबारा हिम्मत न हो कि वह उसको दोहराये। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं जोरावर जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री जगन प्रसाद रावत---वर्मा जी ने जो पहले संशोधन पेश किया था और उसमें जो तर्क दिये थे उनको इसी संशोधन के पक्ष में उन्होंने दोहराया है। इसलिये मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री फतेहसिंह राणा (जिला मेरठ)---श्रीमन्, जोरावर जी वर्मा ने जो अपना यह संशोधन पेश किया है उससे पहले उन्होंने एक और संशोधन पेश किया था वह शायद इसी आशा से किया था कि वह मंजूर हो जायगा और अगर यह भवन उसको मंजूर कर लेता तो इस दूसरे संशोधन का क्या रूप होता? मेरे ख्याल से वे इस संशोधन को पेश ही न करते। चूंकि अगर उनका पहला संशोधन मंजूर हो जाता है तो कंटीन्युएशन आफ दी आफेंस हो ही नहीं सकता था। इस कारण से उन्होंने जो दोनों संशोधन किये हैं वे काफी विचार से नहीं दिये।

दूसरे उन्होंने अपने तर्क में कहा कि उन्होंने ऐसा कोई कानून नहीं देखा हालांकि और ऐसे बहुत से कानून हैं लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें कंटीन्युएंस आफ आफेंस में जेल की सजा रखी गयी हो। इसलिये पहले संशोधन को पेश करते समय जो उन्होंने दलील दी उन्हीं से उनका यह संशोधन नहीं रहता। इसलिये वह फिर इस पर विचार करें कि वाकई यह संशोधन ठीक बनता भी है या नहीं। बिल में यह रक्खा गया है कि अगर कोई कंटीन्युएंस आफ आफेंस करता है तो उसको ५००-५०० रुपया प्रति दिन की सजा होगी, लेकिन अगर पहले ही उसको एक महीने की कैद कर दी गयी तो यह कंटीन्युएंस आफ आफेंस कैसे होगा। इसलिये यह संशोधन ही नहीं आ सकता। इसलिये मैं आशा करता हूं कि वे अपने संशोधन को वापिस ले लेंगे।

*राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मैंने देखा कि सरकार की ओर से हमारा एक भी संशोधन नहीं माना जाता है। मंत्री जी के उत्तर को मैंने सुना और राणा जी के भाषण को भी सुना, राणा जी ने बताया कि अगर पहला संशोधन मंजूर हो जाता तो इस दूसरे संशोधन का क्या हश्र होता। मैं यह कहना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहता हूं कि हमारा वह प्रस्ताव मंजूर हो जाता तो हम उसको वापिस ले लेते। दूसरा प्रस्ताव तो इसी लिये रक्खा जाता है कि अगर एक चीज मंजूर न हो तो हम दूसरी के लिये तैयार रहें।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जिसमें कंटीन्युएंस आफ आफेंस में सजा हो। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि ऐसी सजा म्युनिसिपैलिटी के कानून में है। यह कोई दलील नहीं है कि पहला अगर मंजूर नहीं हुआ तो दूसरा भी न रक्खा जाय। जैसा कि माननीय मल्ल जी ने बताया कि माननीय मंत्री जी तो इस बिल में कामा और फुलस्टाफ भी बदलना नहीं चाहते। हमसे कहा गया था कि ऐसी कोई वजह नहीं है कि हम ऐसी शंका करें। लेकिन सरकार की ओर से, जो भी संशोधन हमारे द्वारा पेश होता है, मंजूर नहीं किया जाता। श्रीमन् मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे जितने भी जरूरी और रीजिनेबिल संशोधन थे वे भी मंजूर नहीं किये गये लेकिन सरकार तो दूसरी ही बात पर तुली हुई है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर इस संशोधन को मंजूर कर लें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री जोरावर वर्मा--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजा वीरेंद्रशाह और जगन्नाथ मल्ल जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे संशोधन का समर्थन किया। मुझे आश्चर्य हुआ जब राणा जी ने कहा कि ऐसा कोई कानून ही नहीं है जिसमें कनटिनुएंस अपराध पर कारावास की सजा दी जाती है। जहां तक मैं समझता हूं भारतीय दंड संहिता में साक्षात्कार रूप में यह बात दिखाई देती है कि अगर कोई अपराधी फिर दोबारा कोई अपराध करता है तो पहले अपराध की सजा उस के लिये एक प्रकार की गवाही हो जाती है, इसलिये दोबारा कोई अपराध करता है तो उसको और अधिक सजा दी जाती है। मैं समझता हूं हमारे मंत्री जी चूंकि गृह मंत्री भी हैं इस लिये वह तो इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे। जहां तक राजा साहब या राणा जी की बात है कि अगर पहला संशोधन मेरा मंजूर हो जाता तो मैं इसको न रखता, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं उस हालत में भी इसको अवश्य रखता क्योंकि जो पहले हो चुका और फिर अगर उसी अपराध का कोई आदमी दोहराता है तो उसको निस्संदेह और अधिक सजा मिलनी चाहिये। इसी उद्देश्य से मैंने यह संशोधन रखा था। मैं समझता हूं चाहे पहले अपराध में वह भले ही कारावास के दंड का भागी न हो लेकिन अगर चेतावनी और आर्थिक दंड देने पर भी यदि कोई नियम और धाराओं की अवहेलना करता है तो निस्संदेह उसके लिये कारावास की सजा की व्यवस्था होनी ही चाहिये और अगर ऐसी व्यवस्था यहां नहीं की जाती तो यह कानून ही बेकार हो जायगा, भले ही सरकार को इससे जुरमाने के रूप में कुछ धन मिल जाया करे लेकिन जो मुनाफाखोर लोग हैं और सिनेमा से बेजा तौर पर लाभ उठाते हैं और जनहित का ध्यान नहीं रखते उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिये आशा है कि अब मंत्री जी इसको स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री जगन प्रसाद रावत--मुझे खेद है कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ८ की नवीं पंक्ति में शब्द "अधिक" के बाद के शब्द निकाल दिये जायं और उसके स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं:--

"दंड का भागी हो सकेगा जो प्रत्येक दिन के लिये जब तक अपराध होता रहे, ५०० रुपये तक का आर्थिक दंड अथवा एक माह तक का सपरिश्रम कारावास अथवा दोनों प्रकार के दंड हो सकते हैं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :--

पक्ष में--९,

विपक्ष में--६९।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

कम्पनियों द्वारा अपराध

९--(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो प्रत्येक वह व्यक्ति जो अपराध होने के समय कम्पनी का अवधायक (incharge) तथा कम्पनी के कार्य के संचालनार्थ कम्पनी के प्रति उत्तरदायी रहा हो तथा कम्पनी भी अपराध के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और यह तदनुसार दंडनीय होंगे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसा जो यह प्रमाणित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं हुआ अथवा उसने ऐसे अपराध के प्रतिरोध के लिये पर्याप्त श्रम किया है (exercised all due diligence) दंडनीय न होगा।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई कम्पनी इस अधिनियम के अधीन अपराध करे और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की सहमति अथवा उपेक्षा (consent or connivance) से अथवा किसी ऐसे अनवधानवश (neglect) हुआ है जो उस पर आरोप्य हो तो उक्त डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेट्री या अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा वह तदनुसार दंडनीय होगा।

स्पष्टीकरण---इस धारा के प्रयोजनों के लिये---

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगम निकाय (body corporate) से है तथा इसके अन्तर्गत व्यवसाय संघ (firm) अथवा व्यक्तियों की अन्य संस्था (association) है, तथा

(ख) व्यवसाय संघ के संबंध में "डाइरेक्टर" का तात्पर्य व्यवसाय संघ के भागीदार (partner) से है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी---श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि खंड ९ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय। श्रीमन्, अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे तो यह उपखंड बिलकुल निरर्थक है। खंड ९ इस प्रकार है

"९—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति वह व्यक्ति जो अपराध होने के समय कम्पनी का अवधायक (incharge) तथा कम्पनी के कार्य के संचालनार्थ कम्पनी के प्रति उत्तरदायी रहा हो तथा कम्पनी भी अपराध के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और वह तदनुसार दंडनीय होंगे।"

इसमें कम्पनी भी दोषी हो सकती है और कम्पनी के कार्य में कोई भी जो हिस्सा लेनेवाला हो वह सभी इसमें अपराध के भागी हो जाते हैं। अंग्रेजी के विधेयक में तो और भी स्पष्ट है कि कम्पनी का कोई पार्टनर हो, चाहे शेयरहोल्डर हो या कोई भी भाग लेने वाला हो वह सभी इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति माना जायगा। उपखंड २ में इसको एक प्रकार से रिपील कर दिया है। उपखंड १ इस प्रकार है ---

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, यदि कोई कम्पनी इस अधिनियम के अधीन अपराध करे और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी डाइरेक्टर मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की सहमति अथवा उपेक्षा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(consent or connivance)से अथवा किसी व्यक्ति से अज्ञानवश(neglect) हुआ है जो उस पर आरोप्य हो तो उक्त डाइरेक्टर मैनेजर, सेक्रेटरी, या अधिकारी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा वह तदनुसार दंडनीय होगा ।"

तो इसलिये इस उपखंड की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उपखंड १ में यह सब बातें आ चुकी हैं । अतः मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस निरर्थक उपखंड को वापस लेने की कृपा करें।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है अगर कोई माननीय सदस्य खड़ा हो और कोई सदस्य कह दे कि बैठ जाओ।

श्री उपाध्यक्ष---मेरे सुनने में ऐसी कोई बात नहीं आई।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---अध्यक्ष महोदय,एक संशोधन मैंने भी इसी प्रकार का दिया था लेकिन वह उचित समय पर न आ सकने के कारण क्रम में न आ सका । माननीय नारायणदत्त जी ने जो तजवीज रक्खी है मैं उसे बहुत ही साफ समझता हूं । वह एक आम बात है। कानून में केवल वही व्यक्ति दंडित नहीं किया जाता जो जुर्म करता है। कानून में कोई भी व्यक्ति जिसकी मदद से जुर्म होता है वह भी दंड का भागी होता है। इसलिये कम्पनी का केवल मैनेजिंग डाइरेक्टर, डाइरेक्टर ही नहीं बल्कि दूसरा भी कोई व्यक्ति जो आम से आम आदमी हो यदि वह सहायता देता है जुर्म करने में तो वह भी दंड का भागी होगा। इसलिये उपखंड २ का रखना निरर्थक सा मालूम होता है । मैं समझता हूं कि जब इस तरह से कानून की मंशा पहले से ही निहित है तो उसको एक लिखित रूप में लाना बेकार सा हो जाता है। कानून की थोड़ी जानकारी के नाते उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कानून पहले से ही मौजूद है और बरता जा रहा हो उसे दूसरी तरह से रखना कानून की शोभा और प्रेस्टिज को उपखंड २ द्वारा समाप्त करना है।

श्री फतेहसिंह राणा---माननीय तिवारी जी ने जो संशोधन पेश किया उससे मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। एक कानूनदां आदमी भी ऐसी गलती कर सकता है यह मैं सोच नहीं सकता था। अगर वे अपने संशोधन को गौर से पढ़ें और इस बिल को भी तो वे अपने संशोधन को स्वयं वापस ले लेंगे। उन्होंने कम्पनीज ऐक्ट भी देखा होगा और वे यह भी जानते होंगे कि ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनीज क्या होती है और उनके डाइरेक्टर्स कौन होते हैं उनके सेक्रेटरीज कौन होते हैं, यह सब चीज वे जानते हैं। पहली जो उपधारा १ है उसमें केवल कम्पनी शब्द है और वह आदमी जो बिजनेस के लिये जिम्मेदार है कम्पनी के प्रति वह दंडित किया जा सकता है और यह जो उपधारा २ है उसमें सेक्रेटरीज ले लिये, डायरेक्टर ले लिये, मैनेजर को ले लिया वरना उसके सब लोग बच जाते थे। मैनेजर कह सकता था कि जो संचालक है वह जिम्मेदार है, मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। इसलिये उन सब लोगों को सजा देने के लिये उन सब के नामों को इसमें दे दिया है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बहुत साफ है और वे अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री जोरावर वर्मा---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, तिवारी जी ने जो संशोधन रक्खा है मैं समझता हूं कि वह बहुत ही उपयुक्त है क्योंकि धारा २ में जिन बातों की ओर संकेत किया गया है वे धारा १ में आ जाती हैं। इसलिये इसको रखने से कोई विशेष इसका हल नहीं निकलता। मैं समय अधिक नहीं लेना चाहता लेकिन यह चाहता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय।

(इस समय ४ बजकर १८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये---)

श्री जगनप्रसाद रावत---अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी माननीय सदस्य राणा जी ने बताया कि अगर हम इस हिस्से को नहीं रखते तो कुछ लोगों के निकल भागने की गुंजाइश थी। लेकिन अगर माननीय नारायणदत्त तिवारी जी की बात मान ली जाय और इसका समावेश उपखंड १ में हो जाता है, फिर भी अगर स्पष्टीकरण हो जाय तो उनका क्या नुकसान है, यह मेरी समझ में नहीं आया। मैं समझता हूं इस अंश का रहना आवश्यक है और नारायणदत्त जी तिवारी अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, नारायणदत्त जी द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय राणा जी ने अपना भाषण देते समय यह कहा कि नारायणदत्त जी कानूनदां आदमी हैं और ऐसा संशोधन ले आते हैं। ठीक है, मैं तो नारायणदत्त जी से राणा जी को ज्यादा कानूनदां मानता हूं। लेकिन एक ही दुख है कि कानूनदां होते हुये माननीय राणा जी कानून को पढ़ने की कृपा नहीं करते। इसीलिये अभी थोड़ी देर हुई श्रीमन्, अपने भाषण में आपने यह कहा कि अगर किसी को जुरमाना हो जाता है तो उसके बाद कंटीनुएंस आफेंस किसी कानून में नहीं है। मैं आपके द्वारा माननीय राणा जी को बता देना चाहता हूं कि म्युनिसिपल ऐक्ट में ऐसा कानून है कि अगर कोई आदमी बिना इजाजत के घर बनवाता है और म्युनिसिपल बोर्ड उस पर मुकदमा चलाता है और उसको सजा दी जाती है तो उस को रोज जुरमाना देना पड़ेगा, अगर वह अपना मकान गिरा नहीं देता है, तो ऐसा कानून है। माननीय नारायणदत्त जी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। अगर वह मान लिया जायगा तो विधेयक सुन्दर होगा।

श्री फतेहसिंह राणा---श्रीमन्, मुझे परसनल एक्सप्लेनेशन देना है।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने कोई पर्सनल बात नहीं कही।

श्री फतेहसिंह राणा---मेरा नाम लिया है उन्होंने। उन्होंने यह कहा कि राणा ने ऐसा कहा।

श्री अध्यक्ष---आपने वह चीज नहीं कही?

श्री फतेहसिंह राणा---नहीं कही।

(माननीय अध्यक्ष की अनुमति के बाद)

मल्ल जी ने अभी फरमाया कि मैंने यह कहा कि कोई ऐसा कानून नहीं है जिसमें कंटीनुएंस आफेंस हो, रोज जुरमाना होता जाय। ऐसा मैंने नहीं कहा था। मैंने यह अर्ज किया था कि कंटीनुएंस आफेंस जहां माना जाता है वहां कारावास का दंड किसी कानन में नहीं मिलेगा और अब मैं उन्हें चैलेंज कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष---खैर वह दूसरी बात है।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**---श्रीमन्, मैं माननीय वीरेन्द्रपति जी और माननीय जोराबर वर्मा जी का आभारी हूं। उन्होंने मेरी इस कानूनी सलाह को स्वीकार किया और उसका समर्थन किया। वास्तव में मैं कानूनदां होने का दावा नहीं करता। मैं तो अपने आपको कानून का विद्यार्थी मानता हूं। इसलिये यदि मेरे प्रयत्नों में कोई त्रुटि हो गयी हो तो मैं स्वयं उनको जानने में समर्थ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अपनी अल्पबुद्धि के अनुसार जिस प्रकार खंड १ का मैंने अध्ययन किया, आप भी इससे सहमत होंगे कि खंड ९ (१) में जो उपखंड (२) की सब बातें आ जाती हैं। केवल इतना ही है कि जो प्राविजो इसमें दिया गया है उसकी शर्तें उपखंड (२) में अप्लाई नहीं करतीं सिर्फ फर्क इतना है। अगर वह यह चाहते थे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि उपखंड (१) का प्राविजो उपखंड (२) में अप्लाई न करे तो उपखंड (१) की शब्दावली को परिवर्तित करके ऐसा हो सकता था। अब माननीय मंत्री जी स्पष्ट कारणों से मेरे संशोधन को मानने में असमर्थ हैं। मैं भी अपने ही स्पष्ट कारणों से अपने प्रस्ताव को वापस लेने में असमर्थ हूं।

श्री जगनप्रसाद रावत--मुझे संशोधन स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ९ का उपखंड (२) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के स्पष्टीकरण (ख) की पंक्ति २ में शब्द "से" और शब्द "है" के बीच में शब्द "भी" रख दिया जाय।

श्रीमन्, देखने को तो यह संशोधन शाब्दिक संशोधन प्रतीत होता है लेकिन यह अत्यन्त महत्व का संशोधन है क्योंकि यह स्पष्टीकरण (ख) में डाइरेक्टर शब्द की परिभाषा की गई है। श्रीमन्, आप जानते हैं कि डाइरेक्टर किसी कम्पनी का केन्द्र बिन्दु होता है और डाइरेक्टर की कम्पनीज़ ऐक्ट के अन्तर्गत एक विशेष प्रकार की सुनिश्चित और सुव्यवस्थित परिभाषा भी होती है। लेकिन इसमें डाइरेक्टर की परिभाषा किस प्रकार तोड़ मरोड़ दी गई है इसको आप देखें। व्यवसाय संघ के संबंध में "डाइरेक्टर" का तात्पर्य व्यवसाय संघ के भागीदार (Partner) से है। Director in relation to a firm means a partner in the firm. यह इसमें है। मेरे संशोधन को मानने से यह होगा कि Director in relation to a firm means also a partner in the firm. इसमें यह "आलसो" शब्द और जुड़ जायगा यानी व्यवसाय संघ के संबंध में "डाइरेक्टर" का तात्पर्य व्यवसाय संघ के भागीदार से "भी" है ऐसा हो जायगा। इससे डाइरेक्टर का जो मुख्य अर्थ है वह तो रहेगा ही इसमें पार्टनर भी शामिल हो जायगा। लेकिन इस समय जो शब्दावली है उससे केवल पार्टनर ही फर्म का डाइरेक्टर माना जायगा। डाइरेक्टर की परिभाषा को यह रेस्ट्रिक्ट कर देता है। "आलसो" जोड़ देने से पूरी परिभाषा भी आ जायगी और जो इसमें है वह भी रहेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि मेरा यह जो शाब्दिक संशोधन है इसको अगर माननीय मंत्री जी कौंसिल वाले डर से न मानें तो शाब्दिक ही समझ कर आप ही इसको अपने अधिकार से कर सकते हैं।

श्री जगनप्रसाद रावत--जैसा नारायणदत्त जी ने अभी कहा केवल शाब्दिक यह नहीं है। उनका जो मंशा है वह भी मैं समझता हूं लेकिन यहां पर जो शब्द दिये हुये हैं उन्हीं को मैं उचित समझता हूं। इसलिये मैं उनके संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री जोरावर वर्मा--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह तिवारी जी ने जो संशोधन रखा है, उन्होंने कहने को तो कह दिया कि यह शाब्दिक है लेकिन उस "भी" के लग जाने से बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। डाइरेक्टर तो खैर डाइरेक्टर होगा ही यह "भी" लग जाने से पार्टनर जो दूसरे लोग इसके हैं, वह भी इसमें आ जायेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि उनका मतलब भी यही है कि वह सब लोग इसके जिम्मेदार हो जायं। इसलिये अगर एक शब्द उचित है तो यह कोई ऐसी बात नहीं है कि कौंसिल में जाने की वजह से इसे न माना जाय। मैं समझता हूं अगर यह उचित है तो अवश्य इसे मान लेना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं एक ही बात जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी अगर उसका ठीक से उत्तर दे दें तो मैं अपने संशोधन को वापस ले लूं। क्या स्पष्टीकरण (ख) में रखी गई परिभाषा के अन्तर्गत पार्टनर के अलावा डाइरेक्टर भी आ जाता है या नहीं?

श्री जगन प्रसाद रावत--उसमें सभी पार्टनर आ जाते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं पार्टनर के अलावा जो और डाइरेक्टर हैं उसके लिये पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—खैर आप वापस नहीं ले रहे हैं।

प्रश्न यह है कि खंड ९ के स्पष्टीकरण (ख) की पंक्ति २ में शब्द "से" और शब्द "है" के बीच में शब्द "भी" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

विमोचन का अधिकार। १०—राज्य सरकार सामान्य जनता अथवा उसके किसी वर्ग के हित में, उन शर्तों और निरोधों के अधीन जिन्हें वह आरोपित करे, किसी चल-चित्र यंत्र द्वारा प्रदर्शन को अथवा प्रदर्शनों के वर्ग को इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बने नियमों के किसी उपबन्ध से लिखित आज्ञा द्वारा तथा उसके लिये कारण बतलाते हुये विमुक्त (exempt) कर सकती है।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**—श्रीमन्, खंड १० के अनुसार राज्य सरकार को इस बात की शक्ति मिलती है या मिल सकती है कि वह इस विधान के अधीन बनाये हुये नियमों के अनुसार या अधिनियम की किसी भी शर्तों या निरोधों के अधीन किसी भी चित्र के प्रदर्शन को विमुक्त कर सकती है। इस असाधारण अधिकार लेने के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बतलाया था कि कभी-कभी इंडो चायनीज असोसिएशन या इंडो सोवियट कल्चरल एसोसिएशन या मंत्री संघ की ओर से कोई फिल्म का प्रदर्शन करना हो तो उसके लिये आज्ञा देने की आवश्यकता पड़ती है और उसके लिये एग्जेम्पशन भी करना पड़ सकता है। उसकी व्यवस्था तो नियमों में भी हो सकती है उसके लिये एग्जेम्पशन की जरूरत नहीं है कि इसे ऐक्ट से एग्जेम्प्ट किया जाय। ऐक्ट के अधीन बने नियमों द्वारा भी मुक्त कर सकते हैं और जब ऐसे विशेष अवसर आयेंगे उस समय उसके लिये विधान बन जायगा कि किस आधार पर प्रदर्शन किये जायेंगे तो ऐक्ट से इस प्रकार की शक्ति देना ठीक नहीं है।

दूसरी बात यह है कि जैसी स्वयं आपने रूलिंग दी कि इस प्रकार के फिल्मों के प्रदर्शन की इजाजत राज्य सरकार नहीं दे सकती कि इंडोचायनीज एसोसिएशन या कल्चरल सोसाइटी को फिल्म प्रदर्शन का अधिकार दे दे। वह तो सेंट्रल बोर्ड आफ फिल्म सेंसर देगा। आप नहीं कह सकते कि कोई फिल्म यहां प्रदर्शन करने की हमने इजाजत दे दी वह तो विधान के खिलाफ होगा। यह अधिकार केवल केंद्र और सेंसर बोर्ड को है। सिनेमाटोग्राफ ऐक्ट, १९५२ की धाराओं के अनुसार और संविधान के शेड्यूल ७ के आइटम ६० के अनुसार। तो लाजमी नहीं है कि उसके लिये कानून बनाया जाय।

तो मैं ज्यादा न कहते हुये आशा करूंगा कि माननीय मंत्री जी कम से कम इस खंड १० के लिये यह स्वीकार करेंगे कि यह अनावश्यक है और अगर विशेष अवसर आते हैं तो नियमों की आवश्यकता है न कि नियमों से छूट देने की।

श्री जगनप्रसाद रावत—मेरा ख्याल है कि माननीय नारायणदत्त जी ने चल-चित्र और चल-चित्र यंत्र द्वारा प्रदर्शन इन दो चीजों में भेद नहीं माना। यह सही है कि हम किसी चल-चित्र के प्रदर्शन की आज्ञा नहीं दे सकते, वह तो केंद्रीय सरकार देगी, लेकिन जिस चल-चित्र

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के प्रदर्शन करने की आज्ञा दे उसको यंत्र द्वारा या उसका जो सिनेमा घर है, उसके लिये जो स्थान है उसके संबंध में नियम हमारी स्टेट सरकार ही बनाती है। यह जो एग्जम्पशन हम लेते हैं, इस बात के लिये लेते हैं कि जो चल-चित्र जहां दिखाये जाते हैं उनके संबंध में जो नियम है, उनको अगर आवश्यकता पड़ जाय तो एग्जेम्प्ट करने का अधिकार हो। जैसे कि अस्पताल के पास कोई सिनेमाघर नहीं हो सकता, या सिनेमा नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन आवश्यकता पड़ती है अस्पताल में ही मरीजों को सिनेमा दिखाने की। स्कूल के पास या छात्रालय के पास सिनेमाघर नहीं हो सकता, लेकिन कभी-कभी आवश्यकता होती है कि स्कूल के अन्दर या छात्रावास के अन्दर ही दिखलायें तो इस तरह की जो आवश्यकतायें पड़ जाती हैं उसके लिये यह हमने एग्जेम्पशन का अधिकार मांगा है और यह सही है कि एग्जेम्पशन का अधिकार तो हम ले रहे हैं, लेकिन किस प्रकार काम में लायेंगे ये बातें नियम में आ सकती हैं। लेकिन अधिकार की बात नियमों में लायें, यह अधिक उचित नहीं मालूम होता और खास तौर से जब माननीय नारायणदत्त जी या उनके ऐसे विचार रखने वाले दूसरे सदस्य इस बात का आक्षेप करते हों कि यह बात नियम में क्यों रखी जाती है तो उनके लिये तो यह बात और भी सुविधाजनक है कि हम उनकी आज्ञा से ही और उनकी राय से ही सदन में इस अधिकार को मांग रहे हैं।

मैं समझता हूं कि इसके बाद वह इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष--संशोधन नहीं, विरोध है।

प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

११--(१) किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, इस अधिनियम अथवा इसके इस अधीन बने नियमों के अधीन दी गई आज्ञा अथवा दी गई समझी गई आज्ञा के अनुसार सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने वाले किसी भी कार्य के विषय में कोई भी वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही (suit, prosecution or legal proceeding) नहीं हो सकेगी। अधिनियम के अधीन किये गये कार्यों का संरक्षण।

(२) राज्य सरकार के विरुद्ध, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बने नियमों के अधीन दी गई अथवा दी गई समझी गई किसी आज्ञा के अनुसार सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने वाले किसी कार्य के कारण उत्पन्न क्षति (damage) अथवा सम्भाव्य (likely) क्षति के संबंध में कोई वाद अथवा विधिक कार्यवाही न हो सकेगी।

श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं।

खंड ११ के उपखंड (१) की पंक्ति २ के शब्द "दी गई" के बाद तथा पंक्ति ३ के शब्द "आज्ञा" के बीच के सब शब्द निकाल दिये जायं।

श्रीमन्, यह जो खंड है वह इस प्रकार है:--

"किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये नियमों के अधीन दी गई आज्ञा अथवा दी गई समझी गई आज्ञा।"

तो इतना मैं चाहता हूं कि "अथवा दी गई समझी गई आज्ञा" को निकाल दिया जाय। यह ठीक है, यह क्लाज होना चाहिये कि अगर कोई सद्भावना से कोई काम करता है तो कोई भी सिनेमा का मालिक उसके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग न कर दे। अगर ऐसी व्यवस्था विधेयक में नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। रोज मालिक लोग एक न एक मुकदमा दायर कर दिया करेंगे। यह तो होना ही चाहिये। लेकिन यह जो इसमें लिखा हुआ है कि "अथवा दी

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

गई समझी गई आज्ञा" यह मेरी समझ में नहीं आया। या तो यह ड्राफ्टिंग गलत है या बहुत होशियारी से रखा गया है। यह तो इतनी वाइड पावर्स देता है काम करने वालों को कि जिसका हिसाब नहीं। वे आज्ञा भले ही न दें लेकिन दी गई समझी गई आज्ञा होगी। यह बहुत गलत है और मैं समझता हूं कि इसको जरूर निकाल देना चाहिये। इसके रहने से जो लोग गलत काम करना चाहेंगे उनको गलत काम करने का मौका मिलेगा और उनको इस कानून के जरिये प्रोटेक्शन मिलेगा कि हम जो चाहें कर लें, हमारे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मेरे संशोधन को मान लें।

श्री जगनप्रसाद रावत---ये शब्द आवश्यक हैं और बहुत सोच समझ कर रखे गये हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, मैं क्या बताऊं। आप ही जरा हमको बतायें या मंत्री जी ही हमको समझा दें कि मतलब क्या होता है। यह तो वे बताते नहीं हैं और कहते हैं कि आवश्यक हैं, बहुत सोच समझ कर रखे गये हैं। यहां हाउस में हम लोग आते हैं तो बहुत सोच समझ कर बात करने के लिये आते हैं। वह तो जैसा मैंने कल कहा था वही आज भी कह दूं कि आपके साथ इतना बहुमत है इसलिये आप ऐसी चीज कहते हैं। आप तो ऐसा कहते हैं जैसे कोई धर्म गुरु हो और वह कह दे कि जो हम कहते हैं, वही सही है। तो इस तरह से न तो सरकार को धर्म गुरु मान कर यहां आते हैं और न हमको यह करना चाहिये क्योंकि जनता ने हमको चुन कर भेजा है और इसलिये भेजा है कि यहां आकर हम विवेक और बुद्धि से काम लें तो यह दलील हमारी समझ में नहीं आती है। हां, ट्रेजरी बेंचेज के लोग इस दलील को पूरी तरह से समझ गये होंगे। अभी मैं विभाजन कराऊं तो मालूम हो। वह लोग तो तुरन्त समझ गये हैं और इतना ही काफी है कि बहुत समझकर यह रखे गये हैं। वह लोग मंत्री जी को अपना धर्म गुरु मान सकते हैं लेकिन हम लोग इसके लिये तैयार नहीं हैं और हम लोग अपने विवेक से काम लेंगे। इसलिये मैं प्रेस करता हूं और आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग हाउस में आते हैं तो कम से कम हम लोग समझ तो जायं कि यह शब्द क्यों रखे गये हैं।

श्री अध्यक्ष---आप इसका अर्थ समझना चाहते हैं कि "दी गई, समझी गई" के क्या अर्थ हैं?

श्री जगन्नाथ मल्ल---जी हां, मैं यह निवेदन करूंगा कि दी गई और समझी गई आज्ञा के क्या अर्थ होते हैं वह हमें समझा देंगे तो हम उसको वापस ले लेंगे। लेकिन वह समझा नहीं पायेंगे। हम उनको धर्म गुरु तो मानने से रहे और दूसरा शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है या वह वैसे ही हुक्म देते फिरें तो हम उसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं भले ही हमारा अमेंडमेंट गिर जाय। यह बहुत समझदारी से रखे गये हैं इस तरह से तो हम समझने के लिये तैयार नहीं हैं कि दी गई समझी गई आज्ञा के क्या अर्थ हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत---शब्द बहुत ही सरल और स्पष्ट हैं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ११ के उपखंड (१) की पंक्ति २ के शब्द "दी गई" के बाद तथा पंक्ति ३ के शब्द "आज्ञा" के बीच के सब शब्द निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं उसमें व्यक्तियों के लिये था और इसमें माननीय मंत्री जी के लिये है इसलिये मैं इस संशोधन को सदन के सम्मुख उपस्थित करता हूं:---

खंड ११ के उपखंड (२) की पंक्ति २ के शब्द "दी गई" तथा शब्द "किसी" के बीच के शब्द निकाल दिये जायं।

यह मंत्री जी के लिये है जो कहते हैं कि शब्द बहुत मामूली और स्पष्ट हैं। आप इतने पढ़े-लिखे हैं हम लोग नहीं हैं, अगर आप स्पष्ट कर दें तो श्रीमन् ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हम इतना नहीं समझ पाते जितना कि मंत्री जी समझते हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप अपने साथी से समझ लें तो अच्छा है, यह लीगल टर्म्स हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल--हम समझते हैं कि मंत्री जी लीगल टर्म्स को जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो यह हमारी बदकिस्मती है। मैं आपके द्वारा प्रार्थना करूंगा कि वह जरा समझाने की कृपा करें या कह दें कि हमको नहीं मालूम है, ऐसा ही मालूम होता है जैसा कि आप पढ़ कर कह देते हैं।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य इस चीज को समझना चाहते हैं तो फर्ज कर लीजिये कि जो दी गई समझी गई, अगर इसमें प्रत्यक्ष लिख दिया जाय कि आज्ञा दी गई तो आप उनको माफ करने के लिये तैयार हैं। अगर आज्ञा एक्चुअली लिख कर दे दे कोई व्यक्ति जिसको अधिकार है तो आप माफ कर देंगे। आज्ञा दी गई समझी गई के अर्थ हैं कि अगर न्याय करने वाले समझ लें कि वह आज्ञा दे दी गई है, तो भी माफी दी जावेगी। बात तो यह है कि अन्य सदस्य समझ गये हैं कि यह अर्थ होते हैं इसके। अगर मंत्री जी स्पष्ट रूप से समझा दें तो दिक्कत नहीं पड़ेगी लेकिन यह लीगल टर्म्स हैं। इनको आप दूसरों से समझ सकते हैं तो आप कृपा करके माननीय नारायणदत्त जी से पूछ लें तो ज्यादा अच्छा होगा। वह भी शायद समझाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, इसलिये दिक्कत हो रही है।

श्री जगनप्रसाद रावत--अध्यक्ष महोदय, उनके पास दूसरी किताब मालूम होती है। कौन्सिल से जो विधेयक पास हुआ है शायद उसकी कापी उनके पास नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--वह किताब मेरे पास भिजवा दें, जिससे मैं भी समझ जाऊं।

श्री जगनप्रसाद रावत--खंड ११ के उपखंड २ में कहीं शब्द "दी गई" नहीं आये हैं। मैं पढ़ कर सुना दूं?

श्री अध्यक्ष--जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिल पारित हुआ है उसकी एक नकल मेरे पास भी है। इसमें यह शब्द है। मालूम पड़ता है कि छपने में कुछ गड़बड़ हो गई है। (श्री जगनप्रसाद रावत की कापी देखने के बाद) माननीय मंत्री के पास जो कापी है उसमें एक दूसरा हिस्सा चिपका है कि यह पारित हुआ है और उनके पास ओरिजनल विधेयक है। मेरे और आप (श्री जगन्नाथ मल्ल) के पास जो कापी है वह जैसा बिल परिषद् में पारित होकर आया है वह है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--आपकी कापी ज्यादा अधिकृत मानी जायगी।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि उनके दफ्तर से उनको गलत कापी मिल गई है।

श्री जगन्नाथ मल्ल--तो श्रीमन्, मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि अगर उनके पास चिप्पी लगी है तो वह उसको रहने दें और वह मेरे इस संशोधन को मान लें। अगर चिप्पी वाली बात ही है तो कौन्सिल में भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मेरा और मंत्री जी, दोनों का काम बन जायगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन पेश करता हूं।

श्री जगनप्रसाद रावत--आपके संशोधन में और आपका जो पहला संशोधन था उसके शब्दों में कोई ज्यादा अन्तर नहीं है और मैं समझता हूं कि इसमें भाषा में कोई दोष नहीं है और इसलिये इसे ऐसा ही रहना चाहिये।

श्री जोरावर वर्मा--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सचमुच मैं जहां तक समझा हूं,यह शब्द "टु बी कंसीडर्ड" का अनुवाद है और यह उनका अनुवाद किया गया है और इसीलिये मंत्री जी को मल्ल जी की बात जंचती नहीं है। क्लाज १ अधिकारियों के लिये था और यह राज्य सरकार के लिये है। राज्य सरकार किसी जगह जानबूझकर या अनजान में कोई गलती कर जाती है और उसने समझ लिया कि यह अनजान में हो गई तो यह ठीक नहीं है। इन शब्दों को निकलना चाहिये और अगर सरकार जानबूझ कर इन शब्दों के द्वारा कोई गलत काम करती है तो सरकार को भी उसका दंड मिलना चाहिये। इसलिये मैं माननीय मल्ल जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे क्योंकि जैसे अंग्रेजी राज्य से पीछा छूटा है वैसे ही इन अंग्रेजी शब्दों के अनुवाद से भी अपना पीछा छुड़ाना होगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल--मैं तो कह चुका। अब इस पर और क्या बोलूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ११ के उपखंड (२) की पंक्ति २ के शब्द "बी गई" तथा शब्द "किसी" के बीच के शब्द निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कालीचरण टंडन (जिला फर्रुखाबाद)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक यह बिल पारित न हो जाय तब तक सदन बैठा रहे।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--मैं इसका विरोध करता हूं और आपका ध्यान बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के नियमों और कन्वेन्शन की तरफ ले जाना चाहता हूं कि इस तरह का कोई प्रस्ताव न आये तो ज्यादा उपयुक्त हो क्योंकि इससे जहां एक ओर यह प्रतीत होता है कि सरकारी पक्ष के लोग अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक इसको पास कराना चाहते हैं वहां इस तरफ के लोगों का जो कार्यक्रम बना हुआ है उसमें विघ्न पड़ता है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि १२ से लेकर १३ और खंड १ यह तीन खंड रह गये हैं। ऐसी अवस्था में इस तरह का प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं है। समय बढ़ाने के लिये नियम में यह दिया हुआ है कि मेरी राय से ऐसा प्रस्ताव सदस्य ला सकते हैं। आज तो मैं इस अधिकार का उपयोग कर लेता हूं और निर्णय देता हूं कि इस समय इसकी आवश्यकता नहीं है। और मैं इस तरह के समय बढ़ाने के प्रस्ताव को पेश करने की आपको इजाजत नहीं देता हूं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)--समय बचाने के लिये मैं अपने प्रस्ताव को पेश नहीं करता हूं मगर तीसरी रीडिंग पर अपने विचार जरूर व्यक्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खंड १२

१२—(१) सिनेमैटोग्राफ ऐक्ट, १९१८, जहां तक इसका सम्बन्ध चल-चित्र यंत्र की फिल्मों के प्रदर्शन की स्वीकृति से भिन्न विषयों से है, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश में जहां तक इसकी प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, निरस्त (repeal) किया जाता है। निरसन १९१८ की अधिनियम संख्या २।

(२) सिनेमाटोग्राफ ऐक्ट, १९१८, के अधीन दी गई कोई आज्ञा जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रचलित हो, प्रचलित रहेगी और इस अधिनियम के अधीन दी गई आज्ञा समझी जायगी; और ऐसी किसी आज्ञा के अधीन की गई सभी नियुक्तियां, दिये गये लाइसेंस, आरोपित शर्तें या निरोध (conditions or restrictions) तथा प्रचारित आदेश जो उक्त प्रारम्भ से तत्काल पूर्व प्रचलित हो, यथावत् प्रचलित रहेंगे, और इस अधिनियम के अनुसार की गई, दिये गये, आरोपित अथवा प्रचारित समझे जायंगे। १९१८ की अधिनियम संख्या २।

*श्री नारायणदत्त तिवारी—मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान सिनेमाटोग्राफ ऐक्ट सन् १९५२ की तरफ ले जाना चाहता हूं जिसकी धारा १८ में सिनेमाटोग्राफ ऐक्ट १८ को रिपील कर दिया गया है। श्रीमन्, इसमें यह है कि :

"That in relation to Part A States and Part B States the repeal shall have effects only in so far as the said Act relates to the sanctioning of cinematograph films for exhibition".

लेकिन यहां पर १२ (१) में जो भाषा दी गयी है वह मेरे विचार से गलत है। इसमें यह दिया हुआ है कि :

"The Cinematograph Act, 1918, in so far as it relates to the matters other than the sanctioning of Cinematograph films for exhibition, is hereby repealed in its application to the State of Uttar Pradesh."

यह पहला ऐक्ट सन् १९५२ के ऐक्ट द्वारा रिपील किया जा चुका है। जो कि सेन्ट्रल ऐक्ट है। जो एक बार पहले रिपील किया जा चुका है तो फिर उसको यहां पर दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जब वह पहले का ला ही नहीं माना जाता है तो फिर १९१८ के सिनेमाटोग्राफ ऐक्ट को रिपील करने का मतलब क्या है ? वह बेकार सी चीज है। इस १२ (१) के उपखंड में उसको अब भी माना गया है जो कि एक बार पहले रिपील हो चुका है।

दूसरा कारण यह है कि सिनेमाटोग्राफ ऐक्ट, १९१८ सेन्ट्रल ऐक्ट है और उसका हमारे विधान के द्वारा रिपील करना उचित नहीं है। उस सेन्ट्रल ऐक्ट से ही यह रिपील हो जाता है। इसके कारण और उद्देश्य में माननीय पन्त जी ने जो शब्द इस्तेमाल किये थे वह यह हैं कि "विधेयक के अधिनियम बन जाने और उसके प्रचलित हो जाने पर १९१८ का ऐक्ट जो सिनेमा के विनियमन के सम्बन्ध में अब भी इस राज्य में प्रवृत्त है स्वतः निरस्त हो जायगा।" तो यह शोभा नहीं देता है कि हम सेन्ट्रल ऐक्ट के बारे में, भले ही वह अधिकार हमको प्राप्त हो जो जनरल ऐक्ट के जरिये से रिपील हो जाता है, वह इसके जरिये से रिपील किया जाय। दूसरे यह शोभा की बात नहीं है कि जनरल क्लाजेज ऐक्ट स्वतः जो धारा इसमें लागू होती है उसको रिपील करता है। इसलिये मैं इस उपखंड (१) का विरोध करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगनप्रसाद रावत--अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय नारायणदत्त जी ने कहा वैसी बात नहीं है। एक समय में दो ऐक्ट लागू हों यह अच्छी बात नहीं है। दूसरे १९१८ के जिस कानून को हम निरस्त करना चाहते हैं उसको निरस्त करने का हमें अधिकार भी है। इसलिये उसको निरस्त करना ही अधिक उपयुक्त होगा। जिससे जो लोग इन नियमों का पालन करने वाले हैं उनके दिमाग में किसी प्रकार का कोई भ्रम न रहे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आपकी वैधानिक व्यवस्था चाहता हूं वह यह कि हम इन शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं :

"Other than the sanctioning of Cinematograph films for exhibition"

इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरे यह सन् ५२ के सेन्ट्रल ऐक्ट से रिपील हो चुका है।

श्री अध्यक्ष--इन शब्दों के द्वारा वे यही स्पष्ट कर रहे हैं। १९१८ के ऐक्ट का जो भाग केन्द्र ने रिपील कर दिया है उसको वे रिपील नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको छोड़ कर बाकी हिस्से को रिपील कर रहे हैं। उसको स्पष्ट करने के लिये ही यह शब्द रक्खे गये हैं--

"The Cinematograph Act, 1918 is so far as it relates to the matters other than the sanctioning of Cinematograph films for exhibition....."

"अदर दैन" जिसके लिये रक्खा गया है वह हिस्सा पार्लियामेंट ने रिपील कर दिया है उसको छोड़ जो हिस्सा ऐप्लीकेबिल रह जाता है उसको रिपील किया जा रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--अध्यक्ष महोदय, लेकिन यह सही नहीं है। उसके बजाय यह इस प्रकार से होना चाहिये--

"The Cinematograph Act, 1918 in so far as it relates to the State of Uttar Pradesh in hereby repealed."

श्री अध्यक्ष--लेकिन दोनों का अर्थ तो एक ही है। आप दोनों इसके लिये निश्चय कर लें कि कौन से शब्दों को यहां इस्तेमाल किया जाय।

श्री जगनप्रसाद रावत--मैंने पहले ही कह दिया कि जैसा है, वैसा ही रहने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १२ का उपखंड (१) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३

नियम बनाने का अधिकार।

१३--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, नियम बना सकती है।

(२) पूर्वगामी अधिकार की समान्यतया को बाधित न करते हुए इन नियमों में विशेषतः निम्नलिखित के निमित्त व्यवस्था की जा सकती है :--

(क) उन स्थानों की स्थिति तथा उनके विनियमन, जहां तथा वे शर्तें, जिनके अधीन चलचित्र-प्रदर्शन किए जायंगे;

(ख) स्थानों के तथा चल-चित्र प्रदर्शनों के लिए लाइसेंसों के प्रदान तथा नवीकरण (renewal) के लिए आदेय शुल्क (fees to be levied);

(ग) स्थानों, विद्युत तथा अन्य उपकरणों (appliances) एवं प्रतिष्ठानों (installations) के निरीक्षण शुल्क;

(घ) प्रतिबन्ध, शर्तें तथा निरोध जिनके अधीन लाइसेंस दिये जायं;

(ङ) विद्युत उपकरणों तथा अन्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण;

(च) अवधि और शर्तें (conditions) जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के उपखंड (२) के भाग (ग) की पंक्ति २ में शब्द "शुल्क" के स्थान पर शब्द "तथा सम्बन्धित शुल्क" रख दिया जाय।

इसी से सम्बन्धित एक संशोधन यह भी है--

"खंड १३ के उपखंड (२) का भाग (ङ) निकाल दिया जाय।"

श्रीमन्, आप देखेंगे कि उपखंड (२) के भाग (ग) में प्लेसेज के इंसपेक्शन के लिये फीस का निर्धारण किया गया है। मैंने अपने संशोधन में फीस के प्रावीजन को अलहैदा कर दिया है क्योंकि जहां-जहां इंस्टेलेशन होगा वहां-वहां फीस भी ली जायेगी इसलिये ये दोनों चीजें एक नहीं है और वहां इंसपेक्शन भी होगा। इसलिये उसके स्थान पर मैंने शब्द "तथा सम्बन्धित शुल्क" रख दिये हैं। इसके अतिरिक्त मैं ख्याल करता हूं कि इंस्टालेशन पहले होना चाहिये और फीस बाद को होनी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

राधेरमण सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
८ दिसम्बर, १९५५

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६३ पर)

थाना खलीलाबाद व दुधारा, जिला बस्ती में हुये कत्ल, बलवा और डाके की घटनाओं का विवरण

थाने का नाम	अपराध	रिपोर्ट हुई	चालान हुआ	सजा हुई	रिहा हुये	न्यायालय में विचाराधीन	जांच नहीं हुई	लापता रहे जिनमें अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई
खलीलाबाद	डकैती	१	१	..	..	१	..	..
	कत्ल	१	..	..	..	..	..	१
	बलवा	२	२	..	२	..	..	..
दुधारा ..	डकैती	१	१	..	..	१	..	..
	कत्ल	१	..	..	..	..	..	१
	बलवा	४	२	..	१	१	१	१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६८ पर)

जिला बदायूं में सन् १९५४ और १९५५ में होने वाले कत्लों का विवरण

सन्	रिपोर्ट हुई	चालान हुये	सजायाब हुय	छट गये	अदालत में विचाराधीन
१	२	३	४	५	६
१९५४ ..	४८	२९	११	१६	२
१९५५ ..	४६	३०	४	१	२५

विधान सभा बदायूं

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६८ पर)

जिला भ्रष्टाचार विरोधी समितियों के अध्यक्षों की जिलेवार सूची

क्रम-संख्या	जिला		अध्यक्ष का नाम
१	बांदा	..	श्री महाबीर प्रसाद निगम, वकील
२	मुरादाबाद	..	श्री जगदीश प्रसाद, एम० एल० ए०
३	बाराबंकी	..	श्री महन्त जगन्नाथ बख्श दास, एम०एल०ए०
४	कानपुर	..	श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित, एम० एल० ए०
५	गोंडा	..	श्री राजा राघवेन्द्र प्रताप सिंह, एम०एल०ए०
६	जालौन	..	श्री लल्लूराम द्विवेदी, एम० एल० सी०
७	बहराइच	..	श्री सरदार जोगेन्द्र सिंह एम० पी०
८	मैनपुरी	..	श्री शिवबख्श सिंह, एम० एल० ए०
९	देवरिया	..	श्री देवनन्दन शुक्ल, एम० एल० ए०
१०	इलाहाबाद	..	श्री गोपाल स्वरूप पाठक, एडवोकेट
११	सहारनपुर	..	श्री मेलाराम, एडवोकेट
१२	देहरादून	..	श्री कृष्णचन्द्र सिंघल, वकील
१३	सीतापुर	..	श्री जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल, एम० पी०
१४	लखीमपुर-खीरी	..	श्री कमाल अहमद रिजवी, एम० एल० ए०
१५	अलीगढ़	..	श्री मलखान सिंह, एम० एल० ए०
१६	बलिया	..	श्री बैजनाथ सिंह, एम० एल० ए०
१७	हरदोई	..	श्री श्याम सुन्दर वाजपेयी, वकील
१८	राय बरेली	..	श्री रामशंकर त्रिपाठी
१९	हमीरपुर	..	श्री श्रीपति सहाय, एम० एल० ए०
२०	उन्नाव	..	श्री लीलाधर अष्ठाना, एम० एल० ए०
२१	बनारस	..	श्री ऋषि नारायण शास्त्री
२२	पीलीभीत	..	श्री कुंवर भगवान सिंह
२३	टेहरी-गढ़वाल	..	श्री रामचन्द्र उनियाल
२४	सुल्तानपुर	..	श्री गनपत सहाय, एडवोकेट
२५	इटावा	..	श्री रघुपति सिंह
२६	लखनऊ	..	श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, एम०एल०ए०
२७	एटा	..	श्री सहदेव सिंह शास्त्री, एम० एल० ए०
२८	प्रतापगढ़	..	श्री हरकेष बहादुर, वकील
२९	झांसी	..	श्री आर० बी० धुलेकर, एम० पी०
३०	गाजीपुर	..	श्री विजयशंकर सिंह, एम० एल० ए०
३१	आगरा	..	श्री पूरनचन्द्र, एडवोकेट
३२	मुजफ्फरनगर	..	श्री अनोखेलाल, एडवोकेट
३३	मिर्जापुर	..	श्री जे० एन० विलसन, एम० पी०
३४	मेरठ	..	श्री फतेह सिंह राणा, एम० एल० ए०
३५	नैनीताल	..	श्री इन्द्र सिंह नयाल, एम० एल० सी०
३६	बिजनौर	..	रानी फूलकुमारी साहिबा
३७	आजमगढ़	..	श्री मुक्तिनाथ राय
३८	मथुरा	..	श्री राधामोहन चतुर्वेदी
३९	बुलन्दशहर	..	श्री परशादीलाल, वकील

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७० पर)

विवरण-पत्र

जिला गोंडा में १ जनवरी सन् १९५५ से १५ सितम्बर, १९५५ तक हुए कत्ल के मामलों का विवरण

क्रम-संख्या	थाने का नाम	कत्ल के मामलों की संख्या	हथियार आदि जिनके द्वारा कत्ल किया गया
१	कोतवाली ..	४	१ फरसे और बल्लम से, २ गंडासे से तथा १ गला घोंट कर।
२	कर्नलगंज ..	२	१ फरसे से और बल्लम से तथा दूसरा विष द्वारा।
३	मनकापुर ..	२	१ फरसे से और बल्लम से तथा दूसरा बल्लम से।
४	पारसपुर ..	१	फरसे और बल्लम से
५	नवाबगंज ..	२	१ फरसे और बल्लम से तथा दूसरा तलवार से।
६	तराबगंज ..	..	
७	सादुल्लानगर ..	..	
८	वजीरगंज ..	..	
९	चपिया ..	१	बल्लम से
१०	बलरामपुर ..	२	१ लाठी से तथा दूसरा आग्नेय अस्त्रों से
११	उतरौला ..	१	गंडासे से।
१२	कौड़िया	..	
१३	तुलसीपुर ..	२	१/२ गला घोंट कर तथा दूसरा कई हथियारों से।
१४	धानेपुर	..	
१५	पचपेड़वा ..	१	गंडासे से
१६	इंटियाठोक ..	४	तीन फरसे तथा बल्लम से तथा १ गंडासे
१७	ललिया ..	१	से गला घोंट कर
	कत्लों की कुल संख्या	२३	

संसद विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७१ पर)

जिला बनारस के थाना बलुआ में १ जनवरी से ३१ अगस्त सन् १९५५ तक हुए चोरी, डकैती, नकबजनी और मारपीट के मामलों का विवरण

क्रम-संख्या	अपराध	मामलों की संख्या जिनकी रिपोर्ट की गई	मामलों की संख्या जिनमें जांच की गई	मामलों की संख्या जो चालान किये गये	मामलों की संख्या जो सजा-याब हुए	मामलों की संख्या जो अदा-लत में विचारा-धीन हैं	मामलों की संख्या जिनकी जांच नहीं की गई	मामलों की संख्या जो लापता रहे और जिनमें अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई
१	चोरी ..	१४	११	२	१	१	३	९
२	डकैती ..	१	१	१	१	..	..	..
३	नकबजनी	१०	१०	२	..	२	..	८
४	मारपीट ..	८	५	५	१	४	३	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ब'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७३ पर)

सूची

(वर्तमान सत्र के १६वें गुरुवार के लिये श्री चन्द्र सिंह रावत द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर में उल्लिखित सूची ।)

उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत उन स्थाई सेवाओं और पदों की सूची जिनके लिये अभी तक सेवा के नियम नहीं बन सके हैं

नोट १—इन सभी सेवाओं या पदों की भर्ती इत्यादि के तरीके शासकीय आदेशों द्वारा नियत किये गये हैं और जब तक नियम नहीं बन जाते हैं यह आदेश लागू रहेंगे ।

नोट २—इन सभी सेवाओं और पदों के लिए नियम बनाये जा रहे हैं ।

क्रम-संख्या	विभाग का नाम	उन स्थायी सेवाओं या पदों के नाम जिनके लिए अभी सेवा नियम नहीं बने
१	२	३
१	नियुक्ति विभाग ..	उत्तर प्रदेश जुडीशियल आफिसर्स सर्विस
२	सचिवालय प्रशासन विभाग ..	मंत्रियों और चीफ सेक्रेटरी के निजी सहायक
३	नियोजन विभाग ..	उत्तर प्रदेश प्रान्तीय रक्षक दल सर्विस
४	वित्त विभाग ..	आडिटर्स, कोआपरेटिव आडिट आर्गेनाइजेशन
५	सार्वजनिक निर्माण विभाग ..	(१) पी० डब्लू० डी० ड्राफ्टसमैन सर्विस (२) पी० डब्लू० डी० रिसर्च इंजीनियर (३) असिस्टेंट रिसर्च आफिसर (४) असिस्टेन्ट केमिस्ट
६	सिंचाई विभाग ..	(१) असिस्टेंट मेकेनिकल इंजीनियर्स सर्विस (२) सबार्डिनेट (इलेक्ट्रिकल ऐण्ड मेकेनिकल) इंजीनियरिंग सर्विस । (३) वाटर रेगुलेशन्स इस्टेब्लिशमेन्ट ऐन्ड ऐन्टी-मलेरिया जमादार सर्विस ।
७	विद्युत विभाग ..	(१) इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ड्राफ्टसमैन ऐण्ड कम्प्यूटर्स सर्विस । (२) चीफ इंजीनियर्स, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर्स एण्ड इक्जीक्यूटिव इंजीनियर्स । (३) इलेक्ट्रिक इन्सपेक्टर टू गवर्नमेंट ऐन्ड असिस्टेंट इलेक्ट्रिक इन्सपेक्टर टू गवर्नमेंट । (४) इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर
८	इस्टेट विभाग ..	(१) ड्राइवर (२) कोयर ट्रेकर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	विभाग का नाम	उन स्थायी सेवाओं या पदों के नाम जिनके लिए अभी सेवा नियम नहीं बने
१	२	३
९	पुलिस विभाग ..	(१) उत्तर प्रदेश पुलिस (प्राजीक्यूशन ब्रांच) सर्विस । (२) सबार्डिनेट रेडियोग्राफी सर्विस (टेक्निकल) ।
१०	जेल विभाग ..	(१) उत्तर प्रदेश जेल्स (डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल प्रिजंस) सर्विस । (२) उत्तर प्रदेश जेल्स (सुपरिन्टेन्डेंट) सर्विस (३) सबार्डिनेट जेल एक्जीक्यूटिव सर्विस (जेलर्स) । (४) सबार्डिनेट जेल एक्जीक्यूटिव सर्विस (डिप्टी जेलर्स और असिस्टेन्ट जेलर्स) । (५) मैट्रन्स और नर्सेज (६) अध्यापक (७) कम्पाउन्डर (८) बाबूर्स (९) टेक्निकल स्टाफ (१०) इन्सपेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स (११) प्रिंसिपल जेल ट्रेनिंग स्कूल (१२) डाइरेक्टर आफ जेल इन्डस्ट्रीज (१३) जेल आडीटरी (१४) इन्सपेक्टर, जेल बिल्डिंग्ज (१५) एग्रीकल्चर इन्सपेक्टर (१६) मैनेजर जेल्स डिपो
११	वाहन विभाग ..	(१) जनरल मैनेजर (२) सहायक जनरल मैनेजर (३) सर्विस मैनेजर्स (४) सहायक सर्विस मैनेजर (५) एकाउन्ट्स आफिसर्स (६) असिस्टेंट काउन्ट्स आफिसर्स (७) रीजनल इन्सपेक्टर्स (८) असिस्टेंट रीजनल इन्सपेक्टर्स (९) रीजनल ट्रांस्पोर्ट आफिसर्स (१०) असिस्टेंट रीजनल आफिसर्स (११) ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (१२) डिप्टी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर्स (१३) असिस्टेंट ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर्स (१४) ट्रांस्पोर्ट कमिश्नर के निजी सहायक (१५) स्पेयर पार्टस कंट्रोल आफिसर (१६) ग्रूप इंजीनियर ।
१२	माल विभाग ..	(१) चकबन्दी विभाग के कर्मचारी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	विभाग का नाम	उन स्थायी सेवाओं या पदों के नाम जिनके लिए अभी सेवा नियम नहीं बने
१	२	३
	माल विभाग—(समाप्त)	(२) तराई और भाभर गवर्नमेंट स्टेट्स के रजिस्ट्रार कानूनगो और पटवारी स्कूल टीचर्स।
		(३) तराई और भाबर गवर्नमेंट स्टेट्स और दूसरी गवर्नमेंट स्टेट्स के अध्यापक
		(४) दूसरी गवर्नमेंट स्टेट्स के ओवरसियर
		(५) तराई और भाबर स्टेट्स के सैनिटरी इन्सपेक्टर्स और कम्पाउन्डर्स।
		(६) तराई और भाबर स्टेट्स, गढ़वाल भाभर स्टेट्स और दूसरी गवर्नमेंट स्टेट्स के पटवारी।
		(७) तराई और भाबर स्टेट्स सुपरवाईजर कानूनगोज।
		(८) तराई और भाभर स्टेट्स के वनों के कर्मचारी असिस्टेन्ट इलेक्शन आफिसर्स सर्विस।
१३	निर्वाचन विभाग ..	असिस्टेन्ट इलेक्शन आफिसर्स सर्विस
१४	शिक्षा विभाग ..	(१) उत्तर प्रदेश एजूकेशन सर्विस (जूनियर स्केल)।
		(२) सबार्डिनेट एजूकेशनल सर्विस (गजेटेड) टीचिंग ब्रांच।
		(३) सबार्डिनेट एजूकेशनल सर्विस (नान गजटेड) टीचिंग ब्रांच।
		(४) गवर्नमेंट डिग्री कालेजों के प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर।
		(५) डाइरेक्टर स्टेट म्यूजियम्स
		(६) क्यूरेटर आर्केलाजिकल म्यूजियम्स, मथुरा।
१५	पंचायत राज विभाग ..	(१) अतिरिक्त सहायक संचालक, पंचायत
		(२) सहायक जिला पंचायत अधिकारी
		(३) पंचायत इंस्पेक्टर्स
१६	समाज कल्याण विभाग ..	टेक्निकल असिस्टेंट (फिजिकल कल्चर)
१७	उद्योग विभाग ..	सबार्डिनेट इन्डस्ट्रीज सर्विस
१८	श्रम विभाग ..	सबार्डिनेट लेबर सर्विस
१९	जन स्वास्थ्य विभाग ..	(१) सर्विस आफ एपेडेमिक असस्टिंट्स
		(२) सर्विस आफ अनालिटिकल असिस्टेंस आफ पब्लिक अनालिस्ट्स लेबोरेटरी।
२०	चिकित्सा विभाग ..	(१) डिवीजनल आयुर्वेदिक और यूनानी आफिसर्स सर्विस।

क्रम-संख्या	विभाग का नाम	उन स्थायी सेवाओं या पदों के नाम जिनके लिए अभी सेवा नियम नहीं बने
१	२	३
	चिकित्सा विभाग---(समाप्त)	(२) वैद्य और हकीम सबार्डिनेट सर्विस (३) आयुर्वेदिक और यूनानी कम्पाउन्डर सर्विस। (४) संचालक, अतिरिक्त संचालक और उप-संचालक, चिकित्सा विभाग।
२१	कृषि और पशुपालन विभाग ..	(१) उत्तर प्रदेश केन सर्विस (२) सबार्डिनेट केन सर्विस (३) उत्तर प्रदेश फिशरीज सर्विस (४) सबार्डिनेट फिशरीज सर्विस (५) उत्तर प्रदेश मेकेनाइज्ड स्टेट फार्म्स सर्विस। (६) सबार्डिनेट मेकेनाइज्ड स्टेट फार्म्स सर्विस (७) उत्तर प्रदेश एनीमल हस्बैन्डरी सर्विस (८) सबार्डिनेट एनीमल हस्बैंडरी सर्विस
२१	अर्थ और संख्या विभाग ..	(१) उत्तर प्रदेश इकनामिक इन्टेलिजेंस सर्विस। (२) सबार्डिनेट इकनामिक इन्टेलिजेंस सर्विस।
२३	आबकारी विभाग ..	(१) ताड़ी सुपरवाइजर्स सर्विस (२) प्रोहिबिशन और सोशल अपलिफ्ट अफिसर्स सर्विस। (३) प्रोहिबिशन और सोशल अपलिफ्ट आर्गनाइजर्स सर्विस। (४) शुगर केन इन्सपेक्टर्स सर्विस अभी कुछ ही समय पहले स्थायी हुआ है, नियम बन रहे हैं।
२४	सूचना विभाग ..	

पी० एस० यू० पी०---ए० पी० १६८ एल० ए०---१९५६---७९६।